पंचम माला, खंड 59, अंक 20 सोमवार, 5 अप्रैल 1976/16 चैत्र, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LIX No. 20 Monday, April 5, 1976/Chaitra 16, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 59 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 20, सोमवार, 5 अप्रैल, 1976/16 चैत्र, 1898 (शक)

No. 20, Monday, April 5, 1976/Chaitra 18, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES/पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	*Oral Answers to Questions—*	
*तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 385, 387, 389, 393, 394 और 397	*Starred Question Nos. 381 to 385, 387, 389, 393, 394 and 397	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	*Written Answers to Questions—*	
तारांकित प्रश्न संख्या 386, 388, 390 से 392, 395, 396 और 398 से 400	Starred Question Nos. 386, 388, 390 to 392, 395, 396 and 398 to 400 . .	18—23
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1936 से 1945, 1947, 1949, 1950, 1952 से 1962, 1964 से 1966, 1968 से 1981, 1983 से 1990, 1992 से 2002, से 2008 2019	Unstarred Question Nos. 1936 to 1945, 1947, 1949, 1950, 1952 to 1962, 1964 to 1966, 1968 to 1981, 1983 to 1990, 1992 to 2002, 2008 to 2019	23—64
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	64—66
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	66
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक--	Workmen's Compensation (Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में	As passed by Rajya Sabha . . .	66
अनुदानों की मांगें, 1976-77--	Demands for Grants, 1976-77—	
नौबहन और परिवहन मंत्रालय :	Ministry of Shipping and Transport :	67—79
श्री विश्व नारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri . . .	67-68
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan . . .	68-69
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad . . .	70
श्री एम० एस० शिवस्वामी	Shri M. S. Sivaswamy . . .	70-71
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	71-72

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sing + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES/पृष्ठ
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty	72-73
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	73-74
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	74-75
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . . .	75
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	75
श्री डी० के० पण्डा	Shri D. K. Panda	75
श्री रामावतार शास्त्री . .	Shri Ramavatar Shastri . . .	75
डा० जी० एस० ढिल्लों	Dr. G. S. Dhillon	76—79
अनुदानों की मांगें, 1976-77—	Demands for Grants, 1976-77—	
रक्षा मंत्रालय :	Ministry of Defence :	80—102
श्री दशरथ देब .	Shri Dasaratha Deb	80—82
श्री बृजराज सिंह—कोटा	Shri Brij Raj Singh—Kotah . . .	85—88
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	88—91
श्री मल्लिकार्जुन . .	Shri Mallikarjun	91-92
श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Horo . . .	92
श्री विश्वनाथ राय	Shri Vishwanath Roy	93
ी बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao . . .	93—95
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup	95-96
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	96
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	96
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga .	97
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip	97-98
ी एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	98-99
श्री विट्ठल गाडगिल	Shri Vithal Gadgil	99—102

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 5 अप्रैल, 1976/16 चैत्र, 1898 (शक)

Monday, April 5, 1976/Chaitra 16, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

World Bank Team on National Seed Programme

*381. **Shri Lalji Bhai**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether a study team of the World Bank had recently visited India and examined the proposals of eight States for implementing the National Seed Programmes; and

(b) if so, outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b). A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

A World Bank Appraisal Mission visited India in October-November, 1975 to appraise the National Seeds Programme. The National Seeds Programme formulated by a Joint Working Party set up by the Government of India represents an integrated approach to seed development in the country with the main object of making available quality seeds in adequate quantities and at reasonable prices to support the national agricultural production programmes. Under the National Seed Programme, institutions responsible for production and storage of breeder seeds will be identified and facilities therein will be strengthened. Foundation seed production will be coordinated by the National Seeds Corporation and will be carried out on the large farms of the State Farms Corporation of India, Agricultural Universities and the State Governments. Certified seeds will be produced by Seed Corporations which will be set up in the different States. Eight State Seed Corporations are expected to be set up, four in the first phase and the remaining in the second phase. The certified seed production will be taken up in a compact area on lands belonging to the share-holders of the Corporations. Farmers in the compact area will hold 35% of the share capital of the Corporation. The State Government will hold 35% of the shares and the National Seeds Corporation 30%. The seed produced by the share-holder farmers will be processed and marketed by the State Seed Corporation within the State. Inter-State marketing will be organised by the National Seeds Corporation. The proceeds of sale less expenses and service charges will be passed on to the growers. The National Seeds Programme envisages a dual pricing policy to ensure larger consumption of certified seeds in the surplus States and to prevent diversion of seeds for food purposes in deficit States. Facilities for control of quality and for scientific storage are also proposed to be strengthened. A reserve stock of foundation and certified seeds also is proposed to be built up. The World Bank have indicated their willingness to assist in the implementation of the National Seeds Programme.

Shri Lalji Bhai: Sir, in the Statement it is mentioned that eight State Seed Corporations are likely to be set up. May I know the names of those States where these Corporations will be set up as also the capital to be invested therein and when these Corporations will start functioning ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, हमने उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया है । चार राज्य जहां शुरू में इनकी स्थापना की जायेगी उनके नाम हैं—पंजाब, हरयाणा, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और दूसरे वर्ग में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिल नाडु राज्य आयेंग, आरम्भ में इन आठे राज्यों में इन निगमों की स्थापना की जायेगी। भविष्य में इस कार्यक्रम का विस्तार होने पर अन्य राज्यों में भी इन निगमों की स्थापना की जायेंगी । हम अन्य सम्भावनाओं का भी पता लगा रहे हैं । यह केवल प्रारम्भ है ।

आरम्भ में इस परियोजना पर 46 करोड़ रुपए व्यय होंगे जिसकी पचास प्रतिशत राशि हमें विश्व बैंक से ऋण के रूप में मिलेगी और शेष पचास प्रतिशत राशि हम लगायेंगे ।

परियोजना इस वर्ष से चालू हो जायेगी ।

Shri Narsingh Narain Pandey: On the basis of the Appraisal Report of the World Bank it has been decided to make quality seeds available to farmers in larger quantities. May I know the total requirement of quality seeds at present and the quantity there of being made available as also the steps proposed to be taken to meet this shortage ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्वालिटी बीज का उत्पादन करना और उसे उचित दामों पर उपलब्ध कराना है । इसलिए सारा उत्पादन, परिस्करण तथा विपणन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है ।

जहां तक उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इस समय यह फसल वार किया जाता है । उदाहरणार्थ इस समय हम मोटे तौर पर 26,000 टन धान का बीज तैयार कर रहे हैं । हमें लगभग 72,000 टन बीज की जरूरत पड़ती है, तो हमारा इरादा इस परियोजना के अन्तर्गत 61,000 टन बीज पैदा करने का है । गेहूं का हम इस समय 72,000 टन बीज पैदा कर रहे हैं और हमारा विचार 1,36,000 टन बीज तैयार करने का है जबकि आवश्यकता लगभग 1,58,000 टन की पड़ेगी । मेरे पास पूरा विवरण मौजूद है और यदि माननीय सदस्य इस बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं उनके पास पूरा विवरण भेज सकता हूं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : जिन चार राज्यों को इस हेतु चुना गया है उनमें से तीन उत्तर भारत में है और केवल एक दक्षिण में है और वह भी करीब करीब उत्तर भारत से ही मिला हुआ है । सरकार ने इन राज्यों को क्यों चुना और केरल जैसे कमी वाले राज्यों को क्यों छोड़ दिया ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की सराहना करता हूं किन्तु जहां तक बीज सम्बन्धी कार्यक्रम का सम्बन्ध है हम भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित नहीं कर सकते । वास्तव में मैंने एक सूची पहले पढ़ी थी और जिस में तमिलनाडू, आन्ध्र तथा कर्नाटक तीनों राज्य शामिल हैं । जहां तक केरल का संबंध है वहां के बारे में माननीय सदस्य मुझ से अधिक जानते हैं । वह एक बागान फसल क्षेत्र है और इस लिये स्वभाविक तौर पर वहां बागानों के लिये नर्सरियां बनाने पर अधिक बल दिया जायगा, जहां तक बीज का संबंध है, हमें तकनीकी राय के अनुसार चलना पडता है और यह देखना होता है कि जलवायु कहां की अधिक अच्छी है, जहां तक धान के बीजों का संबंध है उन की सप्लाई करने के लिये आन्ध्र और तमिलनाडू की स्थिति ज्यादा अच्छी है। फिर भी भविष्य में जब कभी इस बारे में कार्यक्रम बनाया जायगा इन सुझावों पर गौर किया जायगा ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मंत्री जी ने राष्ट्रीय बीज निगम के दो पहलुओं का उल्लेख किया है पहला उत्पादन का और दूसरा विपणन का । राष्ट्रीय बीज निगम

की विपणन प्रक्रिया के बारे में सरकार क्या सोच रही है ताकि बीज सभी स्तरों पर जहां आम तौर पर उस की आवश्यकता पड़ती है उपलब्ध कराया जा सके क्योंकि किसान बीज के लिय बहुत दूर नहीं जा सकता।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सामान्यतः नीति यह है कि जहां तक राष्ट्रीय बीज निगम का संबंध है वह राज्यों में प्रमाणित बीजों का विपणन नहीं करेगा। यह काम और जिम्मेदारी राज्य निगमों की होगी जो हर राज्य में स्थापित किये जायेंगे। जहां तक अन्तर्राज्जीय व्यापार का संबंध है आधारी बीज के उत्पादन और समन्वय के संबंध में राष्ट्रीय बीज निगम का महत्वपूर्ण कार्य होगा, बीज पैदा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बीज निगम की होगी जबकि राज्य में बीजों के विपणन की जिम्मेदारी राज्य बीज निगम की होगी।

केरल में भूमि सुधार कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय सहायता

***382. श्री सी० जनार्दनन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने के लिये आगामी तीन वर्षों में दीर्घावधि ऋण के रूप में प्रत्येक वर्ष के लिये 21 करोड़ रुपयों की केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस का सरकार ने क्या उत्तर दिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार को लिखे गये हाल के पत्र में केरल सरकार ने उस वित्तीय दायित्व का उल्लेख किया है जिसका उसे भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन में निर्वाह करना है और उस ने सुझाव दिया है कि वर्ष 1976-77 के दौरान इस उद्देश्य के लिये 25 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की जाये। केरल सरकार ने इस उद्देश्य के लिय शीघ्र अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था करने का अनुरोध भी किया है। उन के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

श्री सी० जनार्दनन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में भूमि सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और केन्द्रीय सरकार ने इन्हें शीघ्रता से लागू करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश दिया है, क्या सरकार केरल राज्य सरकार की प्रार्थना पर अविलम्ब निर्णय करेगी?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : केरल सरकार हम से पत्र व्यवहार कर रही है; परन्तु यदि माननीय सदस्य मुझे गलत न समझें तो मैं कहना चाहूंगा कि संभवतः केरल सरकार ने जोश में आकर तुरन्त प्रतिकर देने का कुछ अधिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। हमारा अपना मत है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था क्योंकि जहां काशतकार अन्तर्गत हों वहां यदि हम भूस्वामियों को प्रतिकर के रूप में बड़ी रकमें दें, तो भूमि सुधारों

की क्रियान्वित में अनेक बाधायें आयेंगी और संसाधन एक मुख्य कठिनाई बन जायेंगे । तथापि केरल सरकार की यथासंभव सहायता करने का हमारा प्रयास है। योजना आयोग को इसकी जानकारी है। यह प्रश्न विशेष बटाई समस्या से संबंधित है। परन्तु जहां तक फालतू भूमि लेने का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक ने केरल सरकार को, यदि आवश्यक हो तो बांड जारी करने की विशेष अनुनति दी है।

श्री सी० जनार्दनन : मैं वास्तव में मंत्री महोदय के कथन के कुछ अंश से असहमत हूं। केरल सरकार की 1975-76 में वास्तविक मांग 25 करोड़ नहीं है अपितु उस का वास्तविक घाटा 63 करोड है अर्थात तीन वर्षों के लिये प्रति वर्ष 21 करोड़ । मंत्री महोदय के पास इस मांग का ब्यौरा है। क्या सरकार इस अभूतपूर्व भूमि सुधार को क्रियान्वित करने के लिये, जो केवल केरल जैसे राज्य ने अभी तक शुरू किया है, सम्पूर्ण रूप में विचार करेगी ?

श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे : मैं कह चुका हूं कि हमारा प्रयास केरल सरकार की सहायता करने का होगा। परन्तु मैंने यह कहा था कि केरल सरकार ने कुछ 103 करोड़ रुपयों का दायित्व किया है और आगामी तीन वर्षो में संसाधनों में 63 करोड़ पयों की कमी बताई है, जो मेरे विचार में एक बड़ा दायित्व है जिस से बचा जा सकता था। योजना आयोग मामले पर विचार करके उचित निष्कर्ष निकालेगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : जिन लोगों की भूमि ली गई है उन्हें किस प्रकार भुगतान करने का सरकार का विचार है। क्या भारत सरकार आशा करती है कि वे भूखे मरे या केरल सरकार उन्हें भूखा मरने दे और उन्हें बांड दे जो न तो खाये जा सकते हैं और न ही किसी तरह उपयोग किये या भुनाये जा सकते हैं ?

श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे : मैं तो यह कह रहा हूं कि नकद भुगतान से बचना चाहिये था। सामान्यत: हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि हमें भूमिधारियों को तुरन्त प्रतिकर देने का तुरन्त नकदी में भुगतान करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये क्योंकि लाभ पाने वाले लोग 12-20 वर्षों में किश्तों में भुगतान करेंगे । इसलिए स्वाभाविक है कि यह धन समयानुसार भूमिधारियो को प्रतिकर देने के लिये प्रयोग किया जा सकता है परन्तु केरल सरकार ने तुरन्त नकद भुगतान करने का दायित्व अपने ऊपर लिया है ।

भूमि सुधारों की क्रियान्विति के पीछे मुख्य भावना यह नहीं है कि कैसे तुरन्त प्रतिकर दिया जायेगा बल्कि समूचा प्रयास यह है कि जहां तक काश्तकार का सम्बन्ध है, उसे स्वामित्व का स्थायी रूप से खेती करने का अधिकार मिले ताकि वह भूमि का अधिक लाभप्रद रूप में प्रयोग करने की स्थिति में हो। जोर इस बात पर है परन्तु इस मामले में कहीं और जोर दिया गया है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : वास्तव में गत 15-20 वर्षों में केरल में भूमिधारी वास्तव में भू-स्वामी नहीं थे। सम्पत्ति काश्तकारों के हाथों में थीं और भूस्वामी वास्तव में भूखे मर रहे थे। इस समय कुछ राहत दिये जाने पर भी उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल जानकारी है ।

श्री वयालार रवि : समिति ने, जिसमें मार्क्सवादी साम्यवादी दल के भी काफी सदस्य थे, सावधानीपूर्वक विचार करके यह अधिनियम पास किया है । सब इस बात से सहमत थे कि भूस्वामियों के मामले में केरल में स्थिति बिल्कुल भिन्न है । हमने न केवल फालतू भूमि बल्कि काश्त-

कारों के पास भूमि के लिये भी कुछ प्रतिकर देने का निर्णय किया। क्या सरकार इस बात की सराहना करेगी कि किस तरह हमने दोनों पक्षों की ओर ध्यान दिया और केरल सरकार की भू-स्वामियों को, जो वास्तव में मध्यम वर्ग के निर्धन व्यक्ति हैं, प्रतिकर देने की प्रार्थना पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय ने जानकारी मात्र दी है, कोई प्रश्न नहीं पूछा है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

कृषि उत्पादन

***383. श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों, तिलहनों तथा दालों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग से कृषि-उत्पादन में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कीटाणुओं तथा बीमारियों के नियंत्रण की समस्या उत्पन्न हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). जी हां। खाद्यान्नों और तिलहनों में एरंड की अधिक उत्पादनशील किस्मों के प्रचलन से कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है। दालों की कोई अधिक उत्पादनशील किस्म नहीं है।

गेहूं जैसी अधिक उत्पादनशील कुछ किस्में कीट प्रतिरोधी हैं, परन्तु, कुछ अन्य खाद्यान्न कृमि तथा रोगों से अधिक प्रभावित होते हैं। अतः इनसे शीघ्र प्रभावित होने वाली किस्मों की सुरक्षा के लिये अधिक संगठित वनस्पति-रक्षण उपाय करने की आवश्यकता होती है।

श्री पी० गंगादेव : यदि हमारे यहां चूहे आदि कृन्तकों, कीटों और रोगों पर नियंत्रण करके उनसे होने वाली क्षति को रोका जा सके तो हमारा कृषि उत्पादन बहुत बढ़ाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति में कृमि नाश तथा पौधे के रोगों को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वनस्पति रक्षण उपाय निरन्तर बड़े पैमाने पर अपनाये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये चालू वर्ष में 3 करोड़ हैक्टेयर भूमि में ये उपाय किये गये। हमारा इरादा अधिकाधिक भूमि में ऐसा करने का है। परन्तु ऐसा करते समय हमें जीव संतुलन को नहीं बिगाड़ना चाहिये क्योंकि कीटनाशक दवाइयों के अधिक मात्रा में उपयोग के अन्य परिणामिक पहलू भी हैं। इस बारे में हमें सावधानी बरतनी होगी। स्थिति का सामना करने के लिये भारत सरकार की अच्छी प्रकार तैयार की गई योजना है।

श्री पी० गंगादेव : सभी राज्यों में कीटनाशक दवाई अधिनियम के प्रभावी प्रयोग हेतु उसमें क्या संशोधन करने का भारत सरकार का विचार है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : एक ऐसा बोर्ड है जिसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और समय-समय पर स्थिति का पुनरावलोकन किया जाता है। और वार्षिक योजना चर्चाओं के माध्यम से इन सभी मामलों की जांच की जाती है और राज्यवार योजनाएं तैयार की जाती हैं। यहां तक कि बरती जाने वाली सावधानियों पर भी चर्चा की जाती है।

Shri Achal Singh: What steps have been taken by the Government to keep the prices of pulses in check ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह प्रश्न पूछे गये प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । इस वर्ष चने की बहुत अच्छी फसल होने की सम्भावना है । किसानों को यह आशंका है कि भाव बहुत नीचे गिर जाएंगे । सरकार समर्थन मूल्यों पर चना खरीदने को तैयार है । इस समय तो कोई समस्या नहीं है । परन्तु दीर्घकालिक समस्या फिर भी है ।

Shri Narsingh Narain Pandey : Keeping in view the 5 or 6 per cent shortfall, whether Government propose to formulate any pest control scheme on national basis with the help of the World Bank ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक पांच या छ: प्रतिशत कमी का सम्बन्ध है, जब मौसम खराब रहता है, तब उत्पादन में इतनी कमी हो जाती है । किन्तु इस वर्ष तो ऐसी कोई कमी होने का प्रश्न ही नहीं हैं । वास्तविकता तो यह है कि इस वर्ष अपने उत्पादन से ही देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा ।

Shri R. S. Pandey : Some scientists are of the opinion that "Kesari Dal" is harmful to public health whereas some other scientists are of the view that it is harmless, will the Minister throw some light on it ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारे वैज्ञानिकों ने केसरी दाल की एक ऐसी किस्म निकाली है जो कि स्वास्थ्य के लिये कम हानिकारक है । किन्तु अभी इसका वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन होना आरम्भ नहीं हुआ है ।

गाँवों में कम लागत के मकानों का नमूना

*384. **डा० रानेन सेन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम हैं कि कलकत्ता के एक डिजाइनर ने गांवों में कम लागत के मकानों के निर्माण की प्रतियोगिता में वर्ष 1975 का विशेष पुरस्कार जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गांवों में कम लागत के मकानों की योजना के लिये इस नमूने पर विचार करना चाहती है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां :

(ख) प्रतियोगिता के लिए प्राप्त सभी प्रविष्टियों की एक प्रदर्शनी स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के सभा भवन में 22 मार्च से 28 मार्च, 1976 तक की गयी थी । यह आशा की जाती है कि विभिन्न निर्माण अभिकरणों के द्वारा सर्वोत्तम प्रविष्टि का उपयोग ग्रामीण आवास के लिए एक आदर्श के रूप में किया जायेगा ।

डा० रानेन सेन : ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन लोगों को कुछ भूमि आवंटित की गई थी परन्तु वे विभिन्न कारणों से मकान नहीं बना सके हैं । लगभग एक वर्ष पहले कलकत्ता में इस सम्बन्ध में कुछ प्रतियोगिताएं हुई थी, परन्तु जब गावों में मकान बनाने की योजना पिछड़ गई हैं, तब बहुत ही अधिक उपर्युक्त नमूने का पता लगाने के लिए एक और प्रतियोगिता कराने के क्या कारण हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : जैसा कि मेरे उत्तर से स्पष्ट है, यह प्रतियोगिता स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर द्वारा कराई गई थी जिसका निर्माण एवं नगरीय विकास कम्पनी एक न्यासी है । उन्होंने तीन लाख रुपये दिये थे और इतना ही अनुदान उक्त कम्पनी ने दिया था जिससे नगरों और गांवों में मकान बनाने के लिए डिज़ाइन तैयार किये गये थे । यह प्रतियोगिता नमूनों के लिए ऐसे डिज़ाइनों का पता लगाने के लिये की गई थी जिनका विभिन्न अभिकरण उपयोग कर सकें । मकान बनाने के लिए उन्होंने इन्हीं का उपयोग करना है ।

डा० रानेन सेन: समाचारपत्रों में तो रही निकला था कि यह प्रतियोगिता ग्रामीण आवास के लिये है । अब वह कहते हैं कि यह नगरीय आवास के सम्बन्ध में थी ।

श्री एच० के० एल० भगत : दूसरी ग्रामीण आवास के लिये है । यह सही है । जिस प्रतियोगिता का आपने हवाला दिया है वह ग्रामीण आवास के लिये हुई थी ।

डा० रानेन सेन: गांवों में कम लागत पर मकान बनाने की योजना में अब और क्या प्रगति हुई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत गरीब हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक इस डिजाइन विशेष का सम्बन्ध है, प्रविष्टियां देने वालों से कहा गया था कि वे ऐसे गांव में, जिसकी जनसंख्या लगभग 2000 व्यक्ति हों, 200 नये मकान बनाने के लिये डिजाइन तैयार करें । इस के लिये स्थानीय सामान लगाया जाये और मकान में दो कमरे और कुछ अन्य स्थान हो । उन्होंने ये डिजाइन तैयार किये और इन डिजाइनों के अनुसार प्रत्येक मकान पर 4000 रुपये से 8000 रुपये तक खर्च आयेगा ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार मकान बनाने के लिये उन लोगों को, जिन के पास जगह नहीं है, जमीन देने की योजना को प्राथमिकता दी जानी है । क्या ग्रामीण आवास योजना के सम्बन्ध में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये मुख्य मंत्रियों या राज्यों में आवास मंत्रियों के साथ कोई सम्मेलन या बैठक हुई हैं और यदि हां तो क्या इस बात का पता लगाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कम लागत पर मकान बनाये जा सकते हैं और किसानों और हरिजनों की मदद करने के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें कितनी कितनी सहायता देंगी ?

श्री एच० के० एल० भगत : उन लोगो को, जिनके पास मकान बाने के लिये स्थान नहीं है, जगह देने के मामले पर हाल ही में प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में चर्चा की गई थी ।

योजना के अनुसार जिन लोगों को मकान बनाने के लिये जगह दी जायेगी, वे अपने मकान स्वयं बनायेंगे । परन्तु कुछ राज्यों ने इस मामले में दिलचस्पी ली है और अपने साधनों से मकान बनाये हैं । मेरे पास इन राज्यों का ब्यौरा है ।

ग्रामीण आवास की समस्या बहुत व्यापक है । प्रश्न यह है कि उन लोगों के लिये किया भी क्या जा सकता है ? इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है । आवास मंत्रियों ने एक ग्रामीण आवास निगम स्थापित करने का सुझाव दिया है । यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस समय बल इस बात पर दिया जा रहा है कि इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारें धन जुटाएं और कुछ धन स्वैच्छिक अभिकरणों से भी इकट्ठा किया जाना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह एक प्रसन्नता की बात है कि ग्रामीण आवास के लिये डिजाइनों की कई प्रदर्शनियां की जा रही हैं। ग्रामीण आवास निगम बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। दर इस बात का है कि मकान इस निगम के सदस्यों को ही मिलेंगे और ये उन हरिजनों को नहीं मिल पायेंगे जिनके लिये यह निगम स्थापित किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह निगम किस लिये स्थापित किया जा रहा है ? उन क्षेत्रों में, जहां हरिजनों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, मकान बनाने के लिये क्या कोई ठोस कार्यवाही की गई है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जहां तक मकान बनाने के लिये भूमि का आवंटन करने की योजना का सम्बन्ध है उसका उत्तर दिया जा चुका है और जहां तक मकान बनाने के लिये योजना का सम्बन्ध है उसके बारे में मेरे पास राज्यवार आंकड़े हैं, जो माननीय सदस्य मेरे से ले सकते हैं।

विश्वविद्यालय स्थापित करने के मानदण्ड

***385. श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का अनुमोदन करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में विश्व-विद्यालयों की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्थिति का अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो उस अनुमान की रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

संविधान के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य विधान मण्डल सक्षम है और इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति लेना जरूरी नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(क) के अन्तर्गत आयोग को किसी भी नये विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कोष से सहायता प्राप्त करने का पात्र घोषित करने का अधिकार है। केन्द्रीय सरकार ने विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(क) के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए कुछ विश्वविद्यालयों की पात्रता) नियम, 1974 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों की प्रति सभा पटल पर दिनांक 2 दिसम्बर, 1974 को रख दी गयी थी। ये नियम राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को भी भेज दिये गये हैं। आयोग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा नये विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव बनाने से पहले उस राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विद्यमान सुविधाओं और इससे सम्बन्धित आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव बनाने से पहले आयोग को शुरू से ही सर्वेक्षण से सहयोजित होना चाहिए। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को मार्गदर्शी रूपरेखाएं सूचित की हैं और उनसे नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव के साथ-साथ निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना/आंकड़े भेजने के लिए अनुरोध किया है।

2. नये विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं, यदि कोई हैं, का मूल्यांकन करने के लिए आयोग ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि आयोग ने उन राज्य सरकारों को सलाह दी है, जिनके नये विश्वविद्यालयों को खोलने से सम्बन्धित प्रस्ताव आयोग के पास अनिर्णीत पड़े हुए हैं, कि वे आयोग के विचारार्थ सारी योजना अवधि के लिए अपने प्रस्ताव भेजें।

श्री विश्वनाथरायण शास्त्री : विवरण में यह कहा गया है कि "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन उसे केन्द्रीय निधियों से सहायता प्राप्त करने के लिए किसी नये विश्वविद्यालय को उपयुक्त घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व ही आयोग को आरम्भ से ही सर्वेक्षण के सम्बन्ध में सहयोजित किया जाना चाहिए।" इसे सर्वेक्षण में शामिल किया जाना है। इस वक्तव्य के अन्तिम भाग में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। मुझे तो ये कथन परस्पर विरोधी मालूम होते हैं। यह सच है कि संविधान के अनुसार राज्य विधानमण्डल प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं पर यह सर्वविदित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन विश्वविद्यालयों का वित्तपोषण करता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान विश्वविद्यालय पर्याप्त हैं या कुछ नए विश्वविद्यालय खोलने की जरूरत है ? इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? जब तक यह स्थिति मालूम नहीं हो जाती तब तक तदर्थ आधार पर सहायता देना काफी नहीं है।

श्री डी० पी० यादव : शिक्षा राज्य का विषय है। यदि माननीय सदस्य सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य को ध्यान से पढ़ें तो उन्हें उसमें कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा। जहां तक नया विश्वविद्यालय खोलने की सम्भावनाओं का पता लगाने की बात है, यह कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है। राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव भेजना होता है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : यह संवैधानिक उपबन्ध है। पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न केवल सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है अपितु उनके लिए प्रस्तावों का अनुमोदन भी करता है। कुछ राज्यों में केन्द्र ने विश्वविद्यालय स्थापित किये हुए हैं। विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए राज्यों को केन्द्र के पास प्रस्ताव भेजना होगा। उच्च शिक्षा के भावी विकास के लिए समुचित आयोजन बहुत जरूरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस दिशा में क्या कुछ करने जा रहा है ?

श्री डी० पी० यादव : केन्द्रीय विश्वविद्यालय किन्हीं विशेष परिस्थितियों में खोले जाते हैं और इस सम्बन्ध में हमने उत्तरी पहाड़ी अंचल में एक पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापित किया है।

श्री बी० वी० नायक : विवरण में कहा गया है कि "आयोग ने नये विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।" क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि संविधान के अधीन अधिकांश राज्य विधान मण्डलों को नये विश्वविद्यालय स्थापित करने की शक्ति प्रदत्त है, इस प्रकार का सर्वेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विधान में मनाही है ? हमारे देश में राजनीतिक वस्तुस्थिति को देखते हुए उन पर दबाव डाला जाता है। हमारे देश के अनेकों कालेजों में स्टाफ को महीनों तक वेतन नहीं मिलता है। इन परिस्थितियों में क्या केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेषज्ञों की सेवा में किसी प्रकार की मास्टर योजना बनायेगी ? अन्यथा आज के नंगे-भूखे अध्यापक ही हमारी भावी पीढ़ी का निर्माण करेंगे। क्या इस बात को गम्भीरता से लेंगे और सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर देंगे ?

श्री डी० पी० यादव : हमारे देश में विश्वविद्यालयों की पर्याप्त संख्या है जिनका स्तर बहुत ऊंचा है। सर्वेक्षण के बारे में पहले ही जवाब दे चुका हूं।

Shri Ramavatar Shastri: A demand has been made for long from various parts of the country for at least one Central University in each State. Similarly a demand has been made for declaring Patna University as a Central University. May I know from the Minister whether Government have laid down any criterion for declaring a university as a Central University? If not, whether you propose to do so so as to make the people and the educationist know about Government's policy in this regard ?

Shri D. P. Yadav: We have no plan to set up Central University in each State. Nor have we any proposal to declare immediately Patna University as a Central University.

श्री पी० जी० मावलंकर : माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है--"आयोग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि किसी राज्य सरकार द्वारा नए विश्वविद्यालय के लिए कोई प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व राज्य में उच्चशिक्षा के लिए विद्यमान सुविधाओं का तथा उसकी भावी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।" मैं उन राज्यों की संख्या और नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने अपने राज्य में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण कर लिया है। दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र में भावनगर में एक आवासी विश्वविद्यालय तथा उत्तरी गुजरात में (मेहसाना जिले में) में एक नया विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिये हैं ?

श्री डी० पी० यादव : भावनगर के बारे में प्रस्ताव लम्बित है क्योंकि विहित प्रपत्र में जानकारी तथा प्रस्ताव गुजरात सरकार से अभी आने हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : उत्तरी गुजरात के लिए जिस विश्वविद्यालय की मांग की गई है उसके बारे में क्या उत्तर हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

उचित दर की दुकानों पर गेहूं के मूल्य कम करने का प्रस्ताव

*387. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में गेहूं के मूल्य हाल ही में बहुत गिरे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उचित दर की दुकानों पर बेचे जाने वाले गेहूं के मूल्य भी उतने ही घटाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):

(क) इस समय खुले बाजार में गेहूं के मूल्य, पिछले वर्ष के मूल्य की तुलना में काफी कम चल रहे हैं;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिये गए गेहूं का निर्गम मूल्य, जो कि संपूर्ण देश के लिए एक समान है,पहले ही राज-सहायता प्राप्त मूल्य है और उसमें कमी करने का कोई विचार नहीं है।

श्री राम सहाय पाँडे : इस बार गेहूं और अनाज की आशातीत फसल हुई है। बुलन्दशहर में वसूली मूल्य और खुदरा मूल्य क्या हैं? वसूली किस मूल्य से की जा रही है? वहां खुदरा मूल्य क्या हैं।

आप हमें तुलनात्मक आकड़े दें। अगर मेरा प्रश्न विशिष्ट न भी हो तो आप विशिष्ट उत्तर दें। यह बहुत ही सीमित प्रश्न है। बुलन्दशहर और खुर्जा में कीमतों की तुलनात्मक स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही बता दिया है कि गैहूं के मूल्य राजसहायता प्राप्त हैं और उसे कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राम सहाय पाण्डे : पंजाब, बुलन्दशहर, मेरठ आदि गैहूं उत्पादक क्षेत्रों में गेहूं का बाजार भाव क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न गेहूं के विक्रय मूल्य में कमी करने के बारे में है और आप देश में व्याप्त बाजार भावो की बात कर रहे हैं।

श्री राम सहाय पांडेय : मैं विशेषकर पंजाब, हरियाना और बुलन्दशहर की बात कर रहा हूं जोकि गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : बाजार भाव प्रतिदिन दिये जाते हैं।

Shri Nitiraj Singh Choudhary: Mr. Speaker, Sir, the procurement price of wheat has been fixed at Rs. 105 per quintal and issue price at Rs. 125 keeping a margin of Rs. 20/- for transport and other expenses. But still, Government say that they are incurring loss, and they have to make this loss good from Government account. Do the Government not consider it proper to despatch wheat to the distribution centres immediately after it has been procured so that it is not eaten up by rodents and the consumers get good wheat and Government also do not suffer loss on this account.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव है कि गेहूं की खरीद के तुरन्त बाद उसे उन क्षेत्रों को भेज दिया जाना चाहिए जहां इसे स्टोर किया जा सके तथा बाद में जहां से इसे वितरित किया जा सके। इससे आनुषंगिक व्यय कम होगा। यही हमारा भी विचार है अब हम ऐसा ही करेंगे। जितनी भण्डारण क्षमता उपलब्ध होती है उतना ही गेहूं वहां भेज दिया जाता है। माननीय सदस्य के विचार में वसूली मूल्य अधिक है। इसकी आम आलोचना की जाती है। पिछले वर्ष खाद्य निगम ने दो या तीन लाख टन की वसूली की। बाकी राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से वसूली की गई। वसूली पर लगभग 17 रुपये का खर्च आया। वितरण खर्च 14 रु० आता है। इस प्रकार इसका मूल्य 136 रु० बैठता है। पर सरकार इसे 125 रु० के भाव से बेचती है, और इसके लिए राज सहायता देनी होती है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रकृति की इच्छा से इस वर्ष आशातीत फसल होने की सम्भावना है। वास्तव में इससे भण्डारण क्षमता की समस्या पैदा हो जायेगी। क्या भारत में गेहूं का वसूली मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से आधा है? यदि हां, तो भण्डारण की जो कठिनाइयां हम इस समय अनुभव कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए अपने पड़ौसी मित्र देशों को वापिसी के आधार पर गहूं निर्यात करना हमारे लिए सम्भव होगा क्योंकि हमारे पड़ौसी मित्र देशों की दशा बहुत खराब है (**व्यवधान**) पड़ौसी मित्र देश कहते है आप मेरे प्रश्न को बिना समझ भावुक हो उठे हैं। क्या इस आधार पर उन्हें गेहूं दिया जा सकता है कि इसे एक या दो वर्ष में वापस लौटा दें? अपर्याप्त भण्डारण सुविधा के कारण गहूं को चूहे आदि खा जायेंगे। हम इसका इस शर्त पर निर्यात कर सकते हैं कि यह हमें एक या दो वर्ष में वापस कर दिया जायेगा। क्या मैं इस विषय पर मन्त्री जी के विचार जान सकता हूं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने पिछले पांच-सात सालों में पर्याप्त भण्डारण स्थान का निर्माण किया है। परन्तु कठिनाई यह है कि इस वर्ष आशातीत फसल हुई है। इस समय हमारे भण्डारों में लगभग 95 लाख टन अनाज है। हर रोज अधिकाधिक अनाज हमारे पास आ रहा है। गेहूं का मौसम अभी आने वाला है। भण्डारण सुविधाएं अपर्याप्त हैं। पर इससे हमारी वसूली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हम वसूली करते रहेंगे । यद्यपि भारत जैसे देश के लिए निर्यात की बात काफी आकर्षक लगती है तथापि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी अन्य देशों पर निर्भरता कम हो । अतः अच्छी फसल का लाभ राष्ट्र के फायदे के लिए उठाया जाना चाहिए जिससे कि कीमतों में घटबढ़ न हो और हमें आयात न करना पड़े । यही हमारा दृष्टिकाण है ।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का सम्बन्ध है अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत व्यापक शब्द है क्योंकि मूल्य एक देश से दूसरे देश में भिन्न-भिन्न हैं । गेहूं की यहां तक पहुंचने की कीमत, जिसे हम अब खरीद रहे हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में 144 रुपये है अर्थात् इसमें भाड़ा, जो कि काफी अधिक है—20 रुपये से 30 रुपये तक, शामिल है । किन्तु गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में गहूं की कीमत बहुत अधिक थीं । वास्तव में हम इसे उसके साथ नहीं जोड़ सकते । आखिर हमारे उपभोक्ता बहुत गरीब हैं उनकी क्रय शक्ति वहन कम है और अन्तर्राष्ट्रीय कीमत से अपनी तुलना नहीं कर सकते । अतः हमें स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप अपनी कीमत लेनी है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मन्त्री महोदय ने भण्डार क्षमता का उल्लेख किया है । क्या मैं जान सकती हू कि सरकार ने अच्छी फसल का पूर्व अनुमान क्यों नहीं लगाया था तथा उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था क्यों नहीं की थी ? क्या यह सही है कि शिक्षा संस्थानों को अनाज का भण्डार बनाने के समाचार मिल रहे हैं । क्या इससे बच्चों की शिक्षा पर असर नहीं पड़ेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है बहुत बड़े भण्डार का निर्माण किया गया है । दुर्भाग्यवश गत 2–3 वर्षों में भण्डार केवल 25 या 30 प्रतिशत ही भरे पड़े थे और अधिकांश भण्डार खाली पड़े थे । अब बहुत अच्छी फसल आ रही है । मैं माननीय सदस्य से सहमत कि सभी प्रकार से ध्यान दिया जाना चाहिए था । मन्त्रालय ने तथा भण्डार समिति ने इस बात पर अवश्य विचार किया था किन्तु साधनों की कमी के कारण हम बड़े भण्डार न बना सके । अब इस बात पर विचार किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर पहले ही निर्माण कार्यक्रम चल रहा है । हमारी यह नीति नहीं है कि शिक्षा संस्थानों को अनाज के भण्डारों के लिए प्रयोग किया जाये किन्तु केवल जब आवश्यक होता है पंजाब जैसे सबसे अधिक अधिशेष वाले राज्यों में हम छुट्टियों में उनका प्रयोग कर सकते हैं । वास्तव में महलों को तथा कालेजों के मकानो का भी आकस्मिकता आने पर प्रयोग किया जा सकता है ।

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

*389. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी मिलों विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिये कदम उठाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार देश की ऐसी चीनी फैक्ट्रियों के पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण के लिए एक योजना बना रही है जिनकी मशीनरी पुरानी तथा अप्रचलित है और जो अलाभकर रूप में कार्य कर रही है ।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन अलाभप्रद चीनी मिलों का जिनकी मशीनें जीर्ण अवस्था में हैं कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से गन्ना उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है । इसका चीनी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है और इससे कुल कितनी हानि हुई है तथा गन्ना उत्पादकों को कितनी कम अदायगी की गई है ? क्या यह हानि उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों के पुनर्वासन या आधुनिकीकरण सम्बन्धी खर्च के बराबर है ?

श्री शाहनवाज खां : यह स्पष्ट है कि देश को जो हानि हो रही है वह वास्तव में बहुत अधिक है । आधुनिकीकरण और पुनर्वास पर तुलनात्मक खर्च काफी कम है और यही कारण है कि सरकार ने पुरानी मिलों के पुनर्वासन तथा आधुनिकीकरण का निश्चय किया है ।

श्री डी० डी० देसाई : हमने अभी गत वर्ष रुग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है किन्तु ये कपड़ा मिलें थीं और अब हम इन रुग्ण चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने ही वाले हैं । इस मामले में लेवी चीनी मूल्य का अन्तर बहुत अधिक है । मन्त्री महोदय ने सामान्य व्याख्या की है किन्तु चीनी के मामले में लेवी मूल्य के अन्तर की संगणना दक्षिण बिहार के लिए 442 रुपये और आन्ध्र प्रदेश के लिए 118 रुपये के बीच की जाती है । मैं इस असंतुलन का विवेचन नहीं करना चाहता हूं किन्तु चूंकि सरकार को सूती कपड़ा मिलों पर इतनी भारी हानि उठानी पड़ रही है कि साल भर में ही वे उन रुग्ण कपड़ा मिलों का कर्ज मुक्ति के लिए राष्ट्रीयकरण करने के लिए बाध्य हो सकते हैं जिन्हें बड़ी ऊंची कीमत पर खरीदा गया है । क्या सरकार इन दो राज्यों में चीनी मिलों को अपने हाथ में लेने या समाप्त करने अथवा अपनी मिलें लगाने पर विचार करेगी ?

श्री शाहनवाज खां : सरकार ने जहां भी देखा है कि चीनी मिलें सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं उन्हें अपने हाथ में लेने में वह हिचकिचाई नहीं है । हम उन चीनी यूनिटों अथवा मिलों को जो कि ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं और जिनकी पिराई क्षमता कम है, आधुनिकीकरण करने का अवसर देना चाहते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि कुछ रुग्ण मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना है । मुझे विश्वास है कि सरकार उनके आधुनिकीकरण पर कुछ करोड़ रुपये खर्च करेगी । इसकी बजाय मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को अपने हाथ में लेने का अन्तिम निर्णय ले लिया है या नहीं और यदि नहीं लिया है तो उसके क्या कारण हैं ? क्या मिल मालिकों के दबाव के कारण निर्णय नहीं लिया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : चीनी मिल मालिकों से कोई दबाव नहीं है । फिर भी यदि कोई दबाव भी है तो भी सरकार इसमें नहीं आयेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी उठ खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि कोई दबाव नहीं है । श्री राम गोपाल रेड्डी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मिलों को अपने हाथ में लेने के बारे में क्या स्थिति है ? राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : चीनी मिलों का अधिग्रहण 'समाजवाद को पूंजीवाद का कूड़ादान बनाना' कहा गया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री रेड्डी बहुत बड़े चीनी मिल मालिक हैं। उन्हें क्यों प्रश्न करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि जब भी आवश्यक होगा उन्हें अपने हाथ में ले लिया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। यह आपने कहा है। जब श्री नरसिंह नारायण पाण्डे ने यहां चर्चा उठाई तो हमें आश्वासन दिया गया कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है। क्या चीनी मिलों को अपने हाथ में लेने के बारे में निर्णय ले लिया गया है या निणय लिये जाने की सम्भावना है ?

श्री शाहनवाज खां : मैंने पहले कहा था कि मेरा दल चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए वचनबद्ध है। मेरे दल की यही नीति है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उनका दल कांग्रेस है या आजाद हिन्द फौज।

अध्यक्ष महोदय : सरकार की क्या नीति है ?

श्री शाहनवाज खां : यह मेरे दल की सरकार की नीति है। उसके लिए उचित अवसर क्या होगा इसके बारे में अभी निर्णय किया जाना है। चीनी जांच आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं। वे सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या इन पुरानी मिलों का आधुनिकीकरण करने के बारे में कोई कार्यक्रम बनाया गया है, और यदि हां, तो कितने धन की आवश्यकता है और कितने वर्षों में वे सारे उद्योग का आधुनिकीकरण करेंगे ?

श्री शाह नवाज खां : सिद्धान्तरूप में यह निर्णय ले लिया गया है कि सभी रुग्ण मिलों का आधुनिकीकरण तथा फिर से व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए चालू वर्ष के बजट में व्यवस्था की गई है। हमें आशा है कि आधुनिकीकरण शीघ्र ही शुरू हो जायेगा।

नागार्जुन सागर परियोजना

+

***393. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना के लिए कोई विशेष सहायता मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1975-76 वर्ष के लिए नागार्जुन सागर परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 3.5 करोड़ रुपये की एक विशेष अग्रिम योजना सहायता स्वीकृत की है।

इस परियोजना की मार्च, 1981 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम: 11.19 लाख एकड़ के विद्युत आयकट मार्ग की खदाई पूरा करने के उद्देश्य से और शीघ्र ही सिंचाई सुविधाएँ प्राप्त करने तथा खाद्य उत्पादन के लिये इस योजना अवधि में नागार्जुन सागर के लिये विशेष सहायता के रूप में कितने धन की मंजूरी दी गयी है ? चौथी योजना काल में सरकार ने योजना को पूरा करने के लिये पूरी धन राशि की मंजूरी नहीं दी। क्या सरकार इस योजना काल में सारी धनराशि देगी ?

श्री केदार नाथ सिंह: जैसा कि में पहले बता चुका हूं कि केन्द्र ने 1975–76 के लिये विशेष अग्रिम योजना सहायता के रूप में 3.5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : यह परियोजना 3 या 4 करोड़ रुपये मंजूर करके पूरी नहीं की जा सकती। मुझे विश्वास नहीं होता है कि इस गति से यह 1981 तक पूरी की जा सकेगी। यह एक विशाल परियोजना है और हमारे देश को सचमुच ऐसे अदभुत् इंजीनियरी कार्य पर गर्व होना चाहिये। उस समय प्रचलित मूल्यों पर प्रारम्भ में इसकी 90 करोड़ रुपये की लागत आंकी गयी थी। परन्तु 200 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि पहले ही खर्च की जा चुकी है और इसे पूरा करने के लिये अभी भी 100 करोड़ रुपये की धनराशि की और आवश्यकता पड़ेगी। परियोजना के पूरा करने में विलम्ब के कारण बांध पर पानी का प्रयोग नहीं हो रहा है और इस प्रकार जो 200 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही खर्च की जा चुकी है, उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। इस तरह से हम खाद्यान्न के आयात करने में विदेशी मुद्रा के रूप में भारी हानि उठा रहे हैं। राज्य सरकार इस परियोजना के लिये धनराशि प्राप्त करने में असमर्थ है। क्या यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होगा कि केन्द्र उदारता के साथ वित्तीय सहायता देने के लिये तैयार हो, जिससे यह परियोजना दो वर्षों के भीतर पूरी की जाये ?

श्री केदार नाथ सिंह: इसका कारण यह है कि केन्द्र ने विशेष अग्रिम योजना सहायता के रूप में 3.5 करोड़ रुपये नाजार्जुन सागर परियोजना के लिये दिये हैं। वाशिंगटन में एक दल विश्व बैंक से चर्चा के लिये पहले ही जा चुका है। यह अभी भी वहां है। इसके साथ ही हमें यह भी महसूस करना है कि यह राज्य विषय है और राज्य को अपने संसाधनो से परियोजना के लिये धन देना होगा।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : परियोजना की क्षमता 20 लाख एकड़ में सिंचाई करने की है, जबकि 12.5 लाख एकड़ में सिंचाई हुई है। मुख्य मंत्री वेंगल राव भारत सरकार को प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये देने का सुझाव देते रहे हैं। इस 20 करोड़ रुपये से 2 लाख एकड़ और भूमि में सिंचाई हो सकेगी और इस तरह अधिक खाद्यान्न उत्पादन किया जायेगा। मैं जाना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये दे सकती है जिससे यह परियोजना अल्पावधि में पूरी की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है कि सहायता के बारे में चर्चा के लिये दल वाशिंगटन में है।

श्री एम० राम गोपाल रेडडी: जी नहीं। उन्हें यह बताने दीजिये कि क्या प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये दिये जायेंगे जिससे प्रति वर्ष 2 लाख एकड़ में सिंचाई की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : वे कार्यवाही कर रहे हैं। आप दल की वापिसी का इन्तजार करें।

चुकन्दर की खेती

*394. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चुकन्दर से चीनी बनाने का काम आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो किन-किन मिलों में ;

(ख) चुकन्दर के उत्पादन के लिये कौन-कौन से क्षेत्र अधिक उपयुक्त हैं ;

(ग) क्या चीनी बनाने वाले कारखानों के कार्यकाल में चुकन्दर से वृद्धि होती है और इसके परिणामस्वरूप चीनी के उत्पादन में भी वृद्धि होती है और यदि हां, तो कितनी; और

(घ) देश में चुकन्दर की खेती बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) चुकन्दर से चीनी का उत्पादन-गंगानगर शूगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर (राजस्थान) में आरम्भ हो गया है । इसके अतिरिक्त, फाल्टन शूगर वर्क्स लिमिटेड, सखरवाड़ी, जिला सतारा (महाराष्ट्र) में गन्ने के साथ कुछ चुकन्दर का परिसंस्करण भी किया गया है ।

(ख) किए गए अनुसंधान संबंधी परीक्षणों के आधार पर यह पाया गया था कि चुकन्दर अधिकांश राज्यों, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाई जा सकती है ।

(ग) चीनी बनाने वाले कारखानों के कार्यकाल की वृद्धि चुकन्दर की उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करती है । चीनी के उत्पादन के पूरक स्रोत के रूप में और अप्रैल एवं मई में, जबकि गन्ने से चीनी बनाने के लिये मौसम अनकूल नहीं होता है, चीनी के कारखानो के कार्यकाल को लगभग 45 से 60 दिन तक बढ़ाने के लिये चुकन्दर को आरम्भ करने की सिफारिश की गई है ।

(घ) देश में चुकन्दर की खेती बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने चौथी योजना के दौरान राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों के लिये चुकन्दर के विकास की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्वीकृत की थी । इन राज्यो में यह योजना अब भी जारी है । इस योजना के अन्तर्गत उत्पादकों को 100 प्रतिशत राज-सहायता दी जाती है, जो 1978–79 के अन्त तक चुकन्दर के बीजो पर 25 प्रतिशत रह जायेगी । किसानों के खेतों में प्रदर्शन भी किए जाते हैं । इसके लिये भारत सरकार राज-सहायता देती है, ताकि उन्हें चुकन्दर की खेती करने के लिये उत्प्रेरित किया जा सके ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : विवरण के भाग (ख) में यह बताया गया है कि "किये गये अनुसंधान सम्बन्धी परिक्षणों के आधार पर यह पाया गया था कि चुकन्दर अधिकांश राज्यो, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाई जा सकती है ।" फिर विवरण के भाग (घ) में यह बताया गया है कि भारत सरकार ने चौथी योजना के दौरान

राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों के लिये एक योजना स्वीकृत की थी। इस संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह योजना उन अन्य राज्यों में क्यों लागू नहीं की है, जहां चकन्दर उगायी जा सकती है और जिनमें भूमि चुकन्दर की खेती के लिये अधिक उपयुक्त पायी गयी है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अधिकांश रूप से चुकन्दर की खेती देश के कई भागों में जाड़े में की जा सकती है । कठिनाई यह है कि जब हम चुकन्दर का उत्पादन करते हैं, तब चीनी कारखानों को विसारक (डिफ्यूजर) आदि जैसी मशीनें लगानी पड़ेंगी जो मंहगी है । अतः चुकन्दर पेरने की कोई सुविधा नहीं है । और वस्तुतः चुकन्दर की खेती के कार्यक्रम को शुरू करना व्यवहार्य नहीं होगा। हम कतिपय क्षेत्रों में प्रारम्भिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जहां चीनी कारखाने विसारक आदि के लिये धन लगाने को तैयार हैं। यदि यह योजना सफल हो जाती है, तो अन्य क्षेत्रों में इसे शुरू करने में रुकावट नहीं आयेगी।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : माननीय राज्य मंत्री श्री शाहनवाज खां ने यह बताया है कि पुरानी चीनी मिलों की दशा में पुनः सुधार किया जायेगा और नयी मशीनें लगायी जायेंगी । जब हम जानते हैं कि चुकन्दर की उपज अच्छी होती है, विटामिन 'बी' बनाने के लिये चुकन्दर के सीरे का आयात किया जा रहा है। चुकन्दर की लुगदी पशुओं का अच्छा आहार है, तब क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि चीनी मिलों में, जिनकी दशा में पुनः सुधार करना होगा, चुकन्दर तथा गन्ना विसारक मशीनें लगायी जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय: आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में इस पहलू पर विचार किया जायेगा।

श्री शाह नवाज खां : जब चुकन्दर के प्रयोग करने के लिये स्थिति अनुकूल होती, तब हम यह कार्य शुरू कर देंगे ।

Shri Narsingh Narain Pandey May I know whether the honourable Minister will consider the question of the setting up of separate units, where sugar beet is produced, because the machines in sugar factories are quite different ? Sugar beet production can be increased by setting up of separate units and cotton industry can also be developed.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : विश्व बाजार में चुकन्दर के उत्पादन के कारोबार में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया है, क्योंकि चुकन्दर से खोई का उत्पादन नहीं होता है जो चीनी कारखानों में काम आती है । अब ऊर्जा संकट और ईंधन समस्या के कारण इसकी उत्पादन लागत बढ़ गयी है । चुकन्दर का उत्पादन गन्ने के उत्पादन के मुकाबले में महंगा है । अतः इस नमूने को इस पृष्ठभूमि में प्रयोग किया जाना चाहिये।

श्री विश्वनारायण शास्त्री: क्या यह सच है कि चुकन्दर से चीनी बनाने की प्रक्रिया में चुकन्दर से 'सिट्रिक अम्ल' निकाला जा सकता है जो अब ऊंची कीमत पर आयात किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी या संयुक्त क्षेत्र में ऐसी मशीनरी लगाने का है, जिससे चुकन्दर से 'सिट्रिक अम्ल' निकाला जा सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह एक सुझाव है ।

1017 एल० एस०--2

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की इमारत के एक भाग पर कब्जा

*379. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुछ व्यक्तियों ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की इमारत के एक भाग पर कब्जा कर लिया था;

(ख) क्या इमारत का वह भाग अब भी उनके कब्जे में है; और

(ग) यदि हां, तो उस भाग को अपने कब्जे में लेने में असफल रहने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर में एक भवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कब्जे में था। इस भवन के अधिकार के बारे में अभी मुकदमा चल रहा है।

(ख) इस समय उक्त भवन उत्तर प्रदेश सरकार के कब्जे में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री० भोगेन्द्र झा: मन्त्री जी ने केवल भवन के उत्तर प्रदेश सरकार के कब्जे के बारे में उत्तर दिया है। मुख्य प्रश्न इसके स्वामित्व और हक के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भवन का स्वामित्व लेने वाली हैं अथवा इसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को वापस देने वाली है। यह स्पष्ट बताया जाना चाहिये।

श्री डी० पी० यादव : हम इसे ध्यान में रखेंगे।

श्री भोगन्द्र झा : मैंने यह पूछा है कि क्या भवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को वापस दिया जायेगा या नहीं ? यह स्पष्ट बताया जाये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी विचार नहीं बनाया है।

श्री डी० पी० यादव : महोदय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक गैर कानूनी संगठन है। अतः इस भवन को उसे वापस देने का कोई प्रश्न ही नहीं होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चावल तथा गेहूं लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध तथा नियंत्रण हटाना

*386. **श्री सरोज मुकर्जी** :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ़ मौसम के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन वर्ष 1970 के उच्चतम स्तर को पार कर गया है;

(ख) क्या गेहूं उत्पादन में वृद्धि के कारण कुछ राज्यों ने पहले ही खाद्यान्न के लाने ले जाने पर लगी रोक तथा खाद्यान्न में राशन व्यवस्था समाप्त कर दी है;

(ग) क्या सरकार की चावल तथा गेहूं पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण समाप्त करने और खाद्यान्न के व्यापार पर लगे नियन्त्रण पूरी तरह से हटाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार आशा है कि खरीफ़ 1975–76 के दौरान खाद्यान्नों की पैदावार 1970–71 के रिकार्ड स्तर से बढ़ जाएगी ।

(ख) गेहूं की अधिकाधिक वसूली करने के लिए, प्रत्येक राज्य को एकल जोन बनाए रखा जा रहा है और गेहूं के एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन को संचलन करने की इज़ाज़त नहीं है । तथापि, राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे आन्तरिक संचलन पर लगे प्रतिबन्धों, यदि कोई लगाए गए है, को हटाने के प्रश्न पर विचार कर । उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अन्दर सीमा क्षेत्रों को खाद्यान्नों का संचलन करने सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाने का निर्णय किया है और इसको मान लिया गया है ।

सांविधिक राशन प्रणाली, जो कि चावल और गेहूं के बारे में पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता और दुर्गापुर—आसनसोल ग्रुप के औद्योगिक नगरों तथा चावल के बारे में महाराष्ट्र के बम्बई शहर पर लागू है, वह उन पर लागू रखी जा रही है । उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण करने की प्रणाली, जो कि विभिन्न राज्यों में लागू है, में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है ।

(ग) फ़िलहाल ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Irrigation Schemes under 20-Point Economic Programme

*388. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) irrigation schemes being taken up in Madhya Pradesh under the 20-Point Economic Programme;

(b) when work on these projects is likely to start; and

(c) acreage of land likely to be brought under irrigation under these schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh): (a) to (c). The 20-Point Economic Programme envisages creation of 5 million hectares of additional irrigation potential from major and medium schemes during the last 4 years of the Fifth Plan. Cut of this 3·93 lakh hectares is expected from the on-going schemes of Madhya Pradesh as under:—

	('000 hectares)
Major Schemes	
1. Tawa	163
2. Hasdeo Right Bank Canal	45
3. Mahanadi Reservoir	22
4. Barna	63
	293

Medium Schemes.

15 nos.	100
TOTAL	393

कुछ क्षेत्रों का प्रचुर उत्पादक क्षेत्रों के रुप में विकास

***390. श्री सरजू पाँडे : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के लिये कुछ क्षेत्रों का प्रचुर उत्पादक क्षेत्रों के रूप में विकास करने का हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के क्या नाम हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु, भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से देश के उन सब क्षेत्रों में जिनमें उत्पादन बढानें की सम्भावित क्षमता है, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास करना चाहेगा।

मछलियों का अकाल

***391. श्री राजदेव सिंह: क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य उद्योग को मछलियों के अकाल का सामना करना पड़ रहा है जो इस सामुद्रिक उपक्रम की एक जेविकीय और आवधिक समस्या है; और

(ख) क्या सरकारी आधार पर मछली के व्यापार और मछली पकड़ने के प्रयोग किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) तटवर्ती क्षेत्रों में मछली की उपलब्धि में घटा-बढ़ी समुद्र से मछली पकड़ने की एक आवधिक समस्या है।

(ख) राज्य सरकार सहकारी समितियों के ज़रिये मछली पकड़ने, उसके परिसंस्करण, भडारण और विपणन को प्रोत्साहन दे रही है।

नेहरु नगर परियोजना

***592. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हरियाणा राज्य की तेहरू नहर परियोजना को इस बीच मंजूरी दे दी है;

(ख) अब तक कितनी सहायता का वचन दिया गया है और कितनी सहायता देते का विचार है तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए इस परियोजना हेतु कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा सरकार को जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई स्कीम के लिए 1975–76 में 5 करोड़ रुपये की विशेष अग्रिम योजना सहायता के रूप में दिए गए हैं। 1976–77 के दौरान इस प्रकार की सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) पांचवीं योजना के अन्त तक इस स्कीम के काफ़ी हद तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

औद्योगिक आवास को बढ़ावा देने के लिए आवास तथा नगरीय विकास निगम की सहायता

*395. **श्री एन० ई० होरो०** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास उद्योग में निगम ने नियोजकों को स्टाफ़ क्वाटरों के निर्माण के लिये ऋण देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजाना की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीम की मुख्य विशेषतायें निम्नांकित हैं :—

(i) सार्वजनिक तथा गैर सरकारी क्षेत्र के मालिकों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग निम्न आय वर्ग के अपने कर्मचारियों के लिये किराया आधार पर मकानों के निर्माण के लिये कुल परियोजना लागत का 70 प्रतिशत तक (इसमें विकसित भूमि की लागत शामिल है) ऋण सहायता हुडकों द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है।

(ii) ऋण की पहली किस्त दी जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर ऋण वापस करना ही होगा तथा इस ऋण पर $11\frac{1}{2}$ प्रतिशत का ब्याज होगा (समय पर अदायगी के लिये $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत छूट होगी।

(iii) मालिकों द्वारा आवंटियों से मकान के किराये की वसूली उन की परिलबिधयों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

कृषि विमानन के लिए स्वायत शासी निकाय

*396. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया द्वारा किये गये अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि देश में कृषि विमानन के लिये स्वायत शासी निकाय की स्थापना की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) लोक लेखा समिति ने इसी प्रकार का एक सुझाव दिया था। तब सार्वजनिक क्षेत्र के एक स्वायत प्रतिष्ठान और सरकार की एक यूनिट के प्रति एकड़ संचालन शुल्क का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के आधार का आधार यह पाया गया था कि एक स्वायत निगम का संचालन संबंधी शुल्क अधिक होगा। चूंकि कृषि विमानन का संचालन शुल्क इतना कम होना चाहिये जितना कि किसान दे सकते हैं ; अतः वर्तमान सरकारी यूनिट को जारी रखने और इसका समुचित रुप से विस्तार करने का निर्णय किया गया था ।

मछली पकड़ने के क्षेत्रों का सीमा निर्धारण

***398. श्री शंकरराव सावन्त :**
श्री बसन्त साठे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री 19 जनवरी 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 791 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगें कि साधारण मत्स्य नौकाओं और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उपकरणों से लैस बड़ी मत्स्य नौकाओं के हित के लिये मछलो पकडने के क्षेत्रों के सीमा निर्धारण में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब ो० शिन्दे) :

बिना यंत्रों के चलने वाले, छोटे यंत्र चालित और बड़े यंत्र चालित जलयानों के लिये मात्स्यकी क्षेत्रों के सीमांकन के प्रश्न पर केन्द्रीय मात्स्यकी बोर्ड की 22 और 23 मार्च, 1976 को हुई दसवीं बैठक में विचार विमर्श किया गया था। यह फ़ैसला किया गया कि इस प्रयोजन के लिये गठित की जाने वाली एक समिति इस प्रश्न का आगे और जांच करे।

केरल में तेल ताड़ बागान के लिए सहायक कम्पनी

***399. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य में तेल ताड़ बागान के लिए एक पृथक निकाय बनाने के बारे मैं अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या "प्लांटेशन कारपोरेशन आफ केरल लिमिटेड" के अन्तर्गत एक पृथक सहायक निकाय बनाया जायेगा जिसमें भारत सरकार की भी शेयर पूंजी होगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या तथ्य है ;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अभी नहीं।

(ख) तथा (ग) : जी हां। तेल ताड़ की विकास की परियोजना "प्लांटेशन कारपोरेशन आफ केरल लिमिटेड" के अधीन एक सहायक कम्पनी को सौंपने का विचार है, जिससे भारत सरकार के शेयर साम्य पूंजी का 49 प्रतिशत तक होंगे।

गोदावरी जल विवाद

*400. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्द्ध राज्यों ने गोदावरी जल विवाद को आपस में तय कर लिया है ;

(ख) क्या खोलाव सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य, जो उपरोक्त विवाद के कारण अभी लम्बित पड़ा था पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) दिसम्बर, 1975 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार गोदवारी नदी और उसकी सहायक नदियों के अधिकांश जल के समुपयोजन के लिए परियोजनाओं की मंजूरी और स्वीकृति के लिए सहमत हो गए हैं । शेष जल के आवंटन का निर्णय गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा करने के लिये छोड़ दिया गया है

(ख) और (ग). उड़ीसा की आपर कोलाब परियोजना के सिंचाई भाग पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई है और उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है । राज्य की विकासात्मक योजना में इस परियोजना को शामिल करना इसके तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाये जाने पर और राज्य सरकार की वार्षिक योजनाओं में इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने पर निर्भर करेगा ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आवंटन के विशेष लाटरी निकाला जाना

1936. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन व्यक्तियों ने निम्न आय वर्ग में दिल्ली विकास प्राधिकरण में नाम दर्ज कराये थे उनके लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नवम्बर, 1975 में राजोरी गार्डन में फ्लैटों के आवंटन के लिए लाटरी निकाली थी ;

(ख) क्या फ्लैटों की संख्या के आवंटन के लिए 'विशेष लाटरी' अभी तक नहीं निकाली गई है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) फ्लैटों की संख्या के आवंटन के लिये 'विशेष लाटरी' कब तक निकाले जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजौरी गार्डन में बनाए गये निम्न आय वर्ग के 149 फ्लैटों के लिये सामान्य लाटरी (जनरल ड्रा) 10–11–1975 को निकाली गयी थी ।

(ख) जी, हां । क्योंकि अभी तक विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा बिजली, जलपूर्ति तथा मल निकास की व्यवस्था पूरी नहीं की गई है अतएव इन फ्लैटों के लिए अभी तक 'विशेष लाटरी नहीं निकाली जा सकी ।

(ग) यह आशा की जाती है कि जून के प्रथम सप्ताह तक फ्लैट तैयार हो जायेंगे तथा मई 1976 में 'विशेष लाटरी' निकाली जायेगी ।

तमिलनाडु में खाद्य उत्पादन सम्बन्धी नई नीति

1937. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये एक नई नीति अपनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य उत्पादन कितना हुआ ; और

(घ) तमिलनाडु के लिए वर्तमान लक्ष्य क्या निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य उत्पादन इस प्रकार था :—

1972–73	71.67 लाख मीटरी टन
1973–74	73.25 लाख मीटरी टन
1974–75	50.57 लाख मीटरी टन

(घ) तमिलनाडु के लिए वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 के लिए क्रमशः 80.60 लाख मीटरी टन तथा 83.90 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

Non-Payment of Sugarcane Price by Sugar Mills in Madhya Pradesh

1938. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether there was a general complaint from the sugarcane growers of Madhya Pradesh last year that they were neither paid fixed prices nor their entire quantity of sugarcane was lifted by sugar mills ;

(b) Whether sugarcane growers had requested the Central Government that the reserved zone system for the saidsugar mills be abolished and these growers should be allowed to set up power crushers for gur-making ; and

(c) if so, steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture& Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) (a) & (b) ; No, Sir.

(c) Does not arise .

बाराचौका जल-निकास योजना, पश्चिम बंगाल

1939. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के दम्बई कन्टाई सब-डिवीजन में बाराचौका जल-निकास योजना को मंजूरी के दी है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार की सलाह पर राज्य सरकार ने वर्ष 1974–75 के अपने बजट में इस योजना को शामिल किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 32.41 लाख रुपये की लागत की बाराचौका जल-निकास स्कीम की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी और फरवरी, 1969 में योजना आयोग द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई अद्यतन लागत 93.8 लाख रुपये है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस स्कीम पर 1973-74 में कार्य हाथ में लिया गया था। इस स्कीम को पांचवीं योजना में शामिल कर दिया गया है और 58.8 लाख रुपये के अनन्तिम परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1974–75 के दौरान 4 लाख रुपये व्यय हुए हैं और 1975–76 के दौरान 7 लाख रुपये के व्यय होने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा 1976–77 के लिए अपनी वार्षिक योजना के प्रस्तावों में 14 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

संकर कपास की नई किस्म जे० के० एच०–1

1940. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) क्या इन्दौर स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय कृषि कालेज ने कपास की एक नई संकर किस्म के जे० के० एच०–1 का विकास किया है जिसे वर्षा पर आश्रित पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जा सकता है और फिर भी वह उपज में प्रसिद्ध किस्म संकर–4 का मुकाबला करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे मध्य प्रदेश के सघन आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिये कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मैदानो में बरानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कपास की एक नयी संकर किस्म जे० के० एच०–1 विकसित की गयी है। यह नयी संकर किस्म राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयक्त नहीं है। कुछ मौसमों के लिए कपास की किस्म संकर–4 के मुकाबले इसकी उपज का मूल्यांकन समन्वित परिक्षणों के अन्तर्गत अभी किया जाना है। जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पहाड़ी क्षेत्रों के लिए चश्मा चढ़ाकर उगायी जाने वाली कपास को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसके पौधे आमतौर पर साल भर उगाये जाते है। विभिन्न मूलवृत्तो और कलमों के संयोग से तैयार पौधों की जांच की गयी है, जिसमें से कुछ उपयोगी पाये गये हैं। कीट-व्याधियों की रोकथाम के लिए लौथा रसायनो द्वारा मौसम के अन्त में फसल का नियंत्रण करना जैसी तकनीकों पर भी अध्ययन किये गये हैं।

Gandhi Sagar Dam

1941. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Mandsaur District is not getting any benefit from the Gandhi Sagar Dam, Chambal (Madhya Pradesh) from irrigation point of view though it is situated in that district ; and

(b) Whether lakhs of acres of land is lying barren due to non-availability of water for irrigation from this dam ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar-Nath Singh) (a) and (b) Waters of the Gandhi Sagar am, which forms Stage I of the Chambal project, are fully committed for use for irrigating areas in Bhind and Morena districts of Madhya Pradesh and Kotah and Bundi districts of Rajasthan.

The Government of Madhya Pradesh is reported to be preparing the feasibility report for Chaldu Project, on the tibutary of the Chambal, for irrigation in Mandsaur district.

निरक्षरता उन्मूलन

1942. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत से निरक्षरता उन्मूलन के लिए कोई धनराशि नियत की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : सरकार ने साक्षरता संबंधी अनेक कार्यक्रम शरू किए हैं, उनमें कार्यात्मक साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम शामिल हैं । इन कार्यक्रमो के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में लगभग 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ;

इसके अतिरिक्त, प्राथमिक शिक्षा के लिए की गई सुविधाओं से जनता के युवा वर्ग में निरक्षरता को कम करने में भी पर्याप्त योगदान मिला है । प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अस्थायी परिव्यय में 743 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

Punasa Dam Madhya Pradesh

1943. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have reviewed recently the position regarding Punasa Dam, Madhya Pradesh ; and

(b) if so, results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) & (b) Punsa Project of Madhya Pradesh lies in Narmada basin. The dispute relating to the Narmada waters amongst the States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan is at present under adjudication by the Narmada Water Disputes Ttibunal. The Project cat be considered for clearance and implementation only after the decision of the Tribunal becomes available.

हिमाचल प्रदेश में काला कुण्ड बांध

1944. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले की तहसील नालागढ़ में काला कुण्ड बांध का निर्माण करने का कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं और इसकी अनुमानित क्षमता कितनी होगी और इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश राज्य सरकर ने पहले से ही इस परियोजना के पुर्ननिर्माण सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया हुआ है और इसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट को तैयार करने में कुछ समय लगेगा ।

बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनायें

1945. **श्री एम० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-सी बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनायें हैं जो अभी तक अपूर्ण चली आ रही है ;

(ख) प्रत्येक मामले में ऐसे कौन-से मुख्य मतभेद हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, उनका समाधान कैसे करने का विचार है और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) देश में सभी नदियों के विकास तथा उनके जल के उपयोग के लिए केन्द्रीय प्राधिकार प्राप्त करने के बारे में सरकार की वर्तमान विचारधारा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह): (क) और (ख). अन्तर्राज्यीय मतभेदों के कारण किसी लघु सिंचाई स्कीम में देरी नहीं हो रही है । बृहत् नदी बेसिनों में बृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०—10623/76] ।

(ग) इस प्रश्न की जांच की जा रही है ।

ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्रों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण

1947. **श्री वरके जार्ज** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम पंचायतों द्वारा आवासीय भूमि के जारी किये गये भूमि विक्रय दस्तावेजों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण दिये जाने के लिये वैध माना जाता है ;

(ख) क्या सम्बद्ध पंचायत समितियों द्वारा जल, बिजली, सड़कों और नालियों की व्यवस्था करने के पश्चात् ऐसी भूमि पर गृह-निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी गृह-निर्माण ऋण लेने के पात्र हैं ;

(ग) क्या ऐसे ऋण दिये जाने के लिये जल, बिजली आदि के आवश्यक उपबन्धों के सम्बन्ध में पंचायत समितियों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र को पर्याप्त साक्ष्य माना जाता है; और

(घ) क्या गृह-निर्माण ऋण देने के मामले में अनुसूचित जाति के बेघर कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तुलना में कोई प्राथमिकता दी जाती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) विक्रय विलेख जो अन्यथा कानून के अनुसार है, वह चाहे ग्राम पंचायत या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जारी किया गया हो हस्तान्तरित स्वामित्व के प्रमाण के रूप में मान्य है । तथापि, यह काफ़ी नहीं है । जिस भूमि पर भवन का निर्माण करना है उसको किसी भी प्रकार के भार से मुक्त होना चाहिये । इसके लिये जहां सम्पत्ति स्थित है वहां के सरकारी वकील अथवा राजस्व अधिकारी से एक निर्बाध प्रमाण-पत्र (नान-एनकम्ब्रेन्स सर्टीफ़िकेट) आवश्यक है तथा इसको आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ देना होता है ।

(ख) तथा (ग). 1 फरवरी, 1972 से पूर्व अग्रिम की अन्तिम किस्त का वितरण तभी किया जाता था जब विभागाध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट होता था कि जिस क्षेत्र में मकान बनाया जा रहा था वहां जलपूर्ति, सड़कों की रोशनी, सड़कें, मल निर्यास तथा जल-निर्यास जैसी सुख-सुविधाओं की दृष्टि से उसका विकास पूर्ण होता था; परन्तु 1 फरवरी 1972 के पश्चात् इस अपेक्षितता का यह संशोधन किया गया है कि विभागाध्यक्षों को अन्तिम किस्त स्वीकृत करने से पूर्व सभी सुख-सुविधाओं की उपलब्धता तथा व्यवस्था के बारे में उनको अपनी पूर्ण सन्तुष्टि करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है ।

(घ) जी, नहीं । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के गृह-निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन-पत्र उनकी प्राप्ति की तिथि के आधार पर निपटाये जाते हैं । तथापि, प्लाटों तथा सरकारी और अर्द्ध-सरकारी अभिकरणों से बने बनाए फ्लैट/मकान खरीदने के आवेदन-पत्रों को, जहां भुगतान किसी निश्चित तिथि तक करना होता है, प्राथमिकता दी जाती है ।

व्यापार-कार्यों के लिए प्रतिबंधित फर्में

1949. **श्री शशि भूषण :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों की संख्या क्या है जिनके साथ सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार, व्यापार कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है ;

(ख) इन फर्मों के साथ व्यापार कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण क्या हैं; और

(ग) व्यापार कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के अतिरिक्त इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जनवरी, 1973 से मार्च, 1976 तक की अवधि के दौरान, सरकार ने 9 फर्मों के साथ व्यापार कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है । उसका वर्ष वार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1973	1974	1975	1976
1	शून्य	4	4

(ख) इसके ये कारण हैं---जाली जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना, जानबूझ कर घटिया दर्जे का माल सप्लाई करना, टेंडर में प्रक्षेपण करना, क्षमता-रिपोर्ट में प्रक्षेपण करना, धोखे से भुगतान प्राप्त कर लेना, सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट करने के लिए प्रलोभित करना।

(ग) जहां किसी विशिष्ट ठेके की शर्तों के अनुसार फर्म (फर्मों) से वसूली बकाया है, वहां इन वसूलियों को उगाहने के लिए कार्यवाही भी की गई है।

मतस्य ग्रहण पोतों पर राज सहायता

1950. **श्री एम० रामगोपाल रेडडी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्मित मत्स्य ग्रहण पोतों पर 27 प्रतिशत तक राज सहायता दे रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप मत्स्य ग्रहण पोतों के आयात में कितनी कमी हुई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) तथा (ख). सरकार ने 15 जून, 1970 को एक योजना अधिसूचित की थी, जिसके अन्तर्गत गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण के लिये देश में निर्मित 57 फुट लम्बे या इससे अधिक के इस्पात के पोतों के लिये राज सहायता देने की व्यवस्था है। इस अधिसूचना के अनुसार राज सहायता की मात्रा का निर्धारण समतुल्य आयातित पोत की लागत, बीमा, भाड़ा की लागत के $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा। किसी भी हालत में ग्राह्य राज सहायता देशी पोत की लागत और समतुल्य आयातित की लागत, बीमा, भाड़ा की लागत के बीच के अन्तर तक ही सीमित होगी। इस सहायता का उपयोग करने के संबंध में मत्स्य उद्योग की प्रतिक्रिया सीमित रही है। सरकार ने हाल ही में लागत लाभ के अनुपात के आधार पर राज सहायता देने के लिये एक संशोधित विधि की सिफ़ारिश करने के लिये एक कार्यकारी दल की स्थापना की है। इस दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि सरकार को आशा है कि इस योजना और इस उद्योग को बढ़ाने के लिये की जा रही अन्य व्यवस्थाओं के फलस्वरूप मत्स्य ग्रहण पोतों के आयात की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जायेगी, परन्तु 1976 तक लगभग 10 पोतों का आयात किया जायेगा।

धान की नई किस्म

1952. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्त नगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने यू० पी० आर० आई० 71/72 नामक धान की एक नई किस्म का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन कितना है ; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय ने किसानों को इसके बीज वितरित किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान): (क) जी हां, पंतनगर स्थित गोबिन्द वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक नयी किस्म, यू०पी०आर०आई० 71–72 विकसित की गयी है।

(ख) पता चला है कि पंतनगर में इस किस्म की प्रति हैक्टर 55 क्विंटल उपज हुई है । चूंकि विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत परीक्षण के लिए इस किस्म को नहीं भेजा है, इसलिए अन्य क्षेत्रों में इसकी पैदावार और उपयुक्तता से संबंधित सुचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) विश्वविद्यालय के चावल सम्बधी मिनीकीट कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ किसानों को इस किस्म के बीज दिये गये हैं ।

Expenditure Incurred By F.C.I.

1953. Shri B.S. Chowhan : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) expenditure incurred by the food Corporation of India on maintenance transportation and management during the last three years, year wise; and

(b) quantity of damaged foodgrains auctioned by the Corporation during the aforesaid years, year-wise and revenue earned there from ?

THE Minister of state in the **Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) The expenditure incurred by the food Corporation of India on handing of grains and foods stuffs comprising transportation cost, transit and storage losses, handling expenses at th godown, godwon charges, interest charges and administrative overheads during the last three years was as under :—

Year	Amount Rs./ Crores
1972-73	155·18
1973-74	168·74
1974-75	178·43

(b) The required information is being collected by the Food Corporation of India and will be laid on the Table of the Sabha.

मछली पकड़ने के ट्रालर

1954. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिये गये मछली पकड़ने के ट्रालरों की संख्या कितनी है और उन्हें प्राप्त करने वाली फर्में कौन सी हैं ;

(ख) क्या उनका आवंटन मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी के परामर्श से किया जा रहा है ; और

(ग) क्या ये ट्रालर पाने वाले अधिकांश व्यक्ति मत्सय उद्योग में नहीं हैं और उनमें से कुछ व्यक्तियो ने ऐसा आवंटन अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) ट्रालरों की सीमित संख्या के आयात के संबंध में जून, 1973 में सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के

उत्तर में 244 ट्रालरों के आयात के लिये कुल मिला कर 83 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इस स्कीम की शर्तों को पूरा करने का वचन देने वाली सभी पार्टियों को आबंटन किए गए थे। तथापि, वाद में इन में से कई आवंटी सभी शर्तें पूरी नहीं कर पाये, जबकि इस संबंध में उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था।

शेष पार्टियों को आबंटनों की अन्तिम सूची इस प्रकार है :–

	नाम	नियतम किये गये ट्रालरों की संख्या
1.	राज्यकीय मात्स्यकी विकास निगम, पश्चिम पंगाल	4
2.	तामिल मात्स्यकी निगम . .	2
3.	केरल मात्स्यकी निगम . .	2
4.	गुजरात एग्रो मेरिन प्रोडक्टस . .	2
5.	आंध्र प्रदेश मात्स्यकी निगम .	2
6.	मेरीन फ़िशरीज (प्रा०) लि० . .	2
7.	फ़ोनिक्स इंडियन मेरीन (प्रा०) लि०	2
8.	एकवा फ़ूड प्राडक्टस (प्रा० लि०)	2
9.	वानी मेरिन्स (प्रा०) लि०	2
10.	श्रीनिवास सी० फ़ूड (प्रा०) लि० .	2
11.	प्रोन मेग्नेट (प्रा०) लि०	2
12.	ई० आई० डी० पैरी लि० .	2
13.	इंडियन टोबेको लि० . .	2
14.	ब्रिटानिया बिस्कुट कं० लि० . . .	2

(ख) कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग, वित्त मंत्रालय के अर्थ कार्य विभाग और जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय अन्तर मंत्रालय के दल की सिफ़ारिशों के आधार पर आबंटन किये गये थे। समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक संगठन है।

(ग) जी नहीं। सरकार को इस की कोई जानकारी नहीं है कि किसी आवंटी ने अपना आबंटन अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया है।

पाँडिचेरी का भूमि अधिकतम सीमा कानून

1955. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पांडिचेरी सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें राज्य के भूमि अधिकतम सीमा कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की दृष्टि से पांडिचेरी के जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानून की कई अन्य राज्यों से प्राप्त इसी तरह के कानूनों के साथ जांच की जा रही है ।

शिक्षा, कार्य अनुभव एवं उत्पादकता को सम्बद्ध करना

1956. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में समाज के दलित वर्गों के लिये विकास की गति प्रदान करने के विचार से शिक्षा, कार्य अनुभव एवं उत्पादकता आदि को संबद्ध करने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या निश्चित पाठयक्रम निर्धारित किये गये है और इस योजना को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्रातिशीघ्र कब तक लागू किया जा जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों के शैक्षि क कार्यक्रमों में शिक्षा के साथ कार्य अनुभव जोड़ने के संबंध में ब्यौरे तैयार करने के लिये उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है । समिति की रिपोर्ट अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

कर्नाटक को खाद्यान्न

1957. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य को वर्ष 1973–74, 1975–76 में कितनी मात्रा में खाद्यन्न की सप्लाई की गई और वर्ष 1976–77 में कितनी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किये जाने का विचार है ; और

(ख) राज्य को खाद्यान्न की सप्लाई में भिन्नता के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) निम्नलिखित वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार को सप्लाई की गई खाद्यान्नों की मात्रायें इस प्रकार है :-

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष (पहली अप्रल से मार्च के अंत तक)	मात्रा
1973–74	2.82
1974–75	1.73
1975-76 (फ़रवरी, 1976 तक) . . .	1.56

केन्द्रीय भण्डार में कुल उपलब्धता, राज्य की सापेक्ष आवश्यकताओं, मंडियो में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान से रखते हुए प्रति मास प्रत्येक राज्य को खादयान्नों के आवंटन किये जाते हैं ताकि उस की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 1976–77 के दौरान भी इसी आधार पर कर्नाटक को खादयान्नों के आवंटन किये जायेंगे और इसलिये खाद्यान्नों की जो मात्रा दी जायेगी उस के बारे में इस समय ठीक-ठीक बताया नहीं जा सकता है।

Three Language Formula

1958. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) names of states which have accepted the three lantuage formula; and

(b) reasons for non-acceptance thereof by the remaining states ?

The Deputy Minister in The Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): (a) & (b) The Three language formula was evolved by the Government of India in consultation with the State Governments and on the advice of the Central Advisory Board of Education, which considered the languate question in depth in 1956. The meeting of the Chief Ministers of States and Central Ministers held in August, 1961, simplified the formula and agreed to its adoption in the States. The then Governments of Tamil Nadu, however, abolished the three Language formula in the schools in the state in January, 1968, in pursuance of Resolution adopted by the State Legislature.

The state of Haryana, Himachal Pradesh, Manipur and Meghalaya, which were formed subsequent to the meeting of the Chief Ministers mentioned above, are implementing the Three Language formula. Tripura follows at the school stage the educational pattern obtaining in West Bengal, while the present position in. Nagaland is being ascertained. The language policy in State of Sikkim is yet to be finalised by it.

Some States, while implementing the Formula, have introduced certain modifications, the present extent of which will be ascertained, in the Three Language Formula as adopted in the Meeting of Chief Ministers and Central Ministers, held in 1961, and re-formulated in the Parliament Resolution on Language in 1968.

Potato Corporation

1959. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether potato growing farmers are facing financial difficulties because of crash in prices of potato;

(b) if so, whether Government propose to fix support price for potato and set up a Potato Corporation to save farmers from ruin;

(c). if so, when; and

(d). how Government propose to protect the interest of potato producing farmers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) No.

(b) & (c). There is no such proposal at present.

(d) To protect the interests of potato growing farmers, the following steps have been taken by the Government:

(*i*) The National Agricultural Cooperative Marketing Federation has been entrusted the responsibility to purchase and export about 30,000 tonnes of exportable types of potatoes from the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh at a minimum price of about Rs. 45/- per quintal.

(*ii*) The Food Corporation of India is making limited commercial purchases of potato in the six major potato growing districts of Uttar Pradesh.

(*iii*) The Railway Board has been requested to quickly provide adequate railway wagons from potato growing areas to the potato consuming areas.

वर्ष 1975-76 के लिए बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं का परिव्यय

1960. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के लिये बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये राज्यवार योजना परिव्यय क्या था ; और

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत कितनी राशि खर्च की गई और कितना क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत लाया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) 1975-76 सिंचाई स्कीमों के लिये राज्यवार योजना परिव्यय संलग्न विवरण में किये गये है। [ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10624/76]

(ख) 1975-76 के दौरान बृहत, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों पर प्रत्याशित व्यय और उन से सृजित की जाने वाली संभावित अतिरिक्त सिंचाई शक्यता निम्न प्रकार है :–

	प्रत्याशित व्यय (करोड़ रुपये)	सृजित की जाने वाली संभावित अतिरिक्त सिंचाई शक्यता (मिलियन हैक्टेयर)
बृहत तथा मध्यम	500.32	1.05
लघु*		
सरकारी क्षेत्र	124.74	0.70
संस्थागत	210.96	
	335.70	

*लघु स्कीमों पर किये गये व्यय में निजी क्षेत्र का परिव्यय शामिल नहीं किया है, जो मालूम नहीं है।

कृषि मूल आयोग की शिफारिशें

1961. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में ध्यान, पटसन तम्बाकू दालों तथा अन्य कृषि उत्पादों के लिये कुछ सिफ़ारिश की है ;

(ख) यदि हां; तो इस बारे में क्या सिफ़ारिशें की गई हैं ; और

(ग) इन सिफ़ारिशों को लागू करने पर उत्पादकों को कहां तक सहायता मिलेगी ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) कृषि मूल्य आयोग द्वारा 1975–76 के फ़सल मौसम के लिये सिफ़ारिश किये गये फ़सलो के मूल्यों का एक विवरण संलग्न है ।

(घ) कृषि मूल्य आयोग अपनी सिफ़ारिश करते समय अन्य बातों के साथ साथ, अलग-अलग फ़सलों की उत्पादन लागत पर उपलब्ध आंकड़ां आदानो के मूल्यों में परिवर्तन प्रतियोगी फ़सलों के अकालित मूल्यों में किये गये परिवर्तन उत्पादन की संभावनाओं और बाजार मूल्यो के सम्भावित रुख को ध्यान रखता है । इन मूल्यों का उद्देश्य यह है कि उत्पादकों को यथोचित लाभ सुनिश्चित किया जाये ।

विवरण

जिन्स	मूल्य की किस्म	कृषि मूल्य आयोग द्वारा 1975–76 के फ़सल मौसम के लिये सिफ़ारिश किये गये मूल्य
		(रु० प्रति क्विंटल)
धान	वसूली मूल्य	74.00
ज्वार	,,	74.00
बाजरा	,,	74.00
मक्का	,,	74.00
रागी	,,	74.00
गेहूं*	,,	105.00
जौ*	समर्थन मूल्य	65.00
चना*	,,	90.00
गन्ना	चीनी के कारखानो द्वारा अदा किया जाने वाला न्यूनतम मूल्य	9.00
कपास	न्यूनतम समर्थन मूल्य	210.00
पटसन	,,	135.00

*1976–77 के विपणन मौसम के संबंध में है ।

दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर कब्जे वाले व्यक्ति

1962. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर कब्जे वाले व्यक्तियों जैसे कि झुग्गी झौपडी वासियों को उनकी झुग्गीयां हटाये जाने पर झुग्गी की एवज में उन्हें 25 वर्ग जगह दी जाती है ;

(ख) क्या अनधिकृत कालोनियों में कानूनी दृष्टि से मकान मालिकों के मकान गिराने पर उन्हें भी उनके मकान के एवज में 25 वर्ग गज जगह दी जा रही है; और

(ग) यदि नहीं तो कानूनी दृष्टि से मालिकों को सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जे वालों के बराबर स्तर पर रख कर उन के साथ किये जा रहे अन्याय के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया :) (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं। तथापि जिन लोगों ने 2 मई, 1961 से पूर्व जमीन खरीद ली थी उन्हें, बशर्ते कि वे पात्र हों भूमि के अर्जन की एवज में दिल्ली विकास प्राधिकरण की रिहायशी स्कीम में विकसित वैकल्पिक प्लाट दिये गये है । उन मामलों में जहां अनधिकृत निर्माण पर्याप्त रुप में है, हटाये गये लोगों को किराया खरीद की शर्तों पर फ्लैट दिये गये हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाँचवीं योजना में 'भेड़' का विकास

1964. श्री सैय्यद अहमद आगा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में भेड़ पालन के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि नियत की है ; और

(ख) इस बारे में जम्मू और काश्मीर तथा अन्य राज्यों के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) भारत सरकार द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रशासित और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भेड़ प्रजनन और विकास के लिये कुल 580 लाख रु० का प्रावधान किया गया है ।

(ख) देश में केन्द्रीय प्रायोजित बड़े में भेड़ प्रजनन फ़ार्मों को चालू योजनावधि में 500 लाख रु० अलाट किये गये हैं जिस में सी मेरिनों और कोरिडैल तथा इन नस्लों को स्थानीय नस्लों के साथ संकर प्रजनन में संवर्धन किया जायेगा । वर्ष 1975-76 में 5 बड़े भेड़ प्रजनन फ़ार्मों को 70 लाख रु० दिये गये थे जो देश में स्थापित किये जा रहे थे । इन बड़ी भेड प्रजनन फ़ार्मों को 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण के प में केन्द्रीय सहायता प्रदान

की गई है। जम्मू और कश्मीर सरकार को दकसुम में बड़े भेड़ प्रजनन फ़ार्म, जो कि शुद्ध रूसी मेरिनो भेड़ें पाल रहा है, को मजबूत बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार 20 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। यह राशि अन्य राज्यों को दी गई औसतन 18 प्रतिशत की तुलना में कुल राशि का 29 प्रतिशत है।

वर्ष 1975–76 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत देश में 7 बड़े भेड़ प्रजनन फ़ार्मों की स्थापना के लिये 1.0 लाख ० की राशि निर्मुक्त की गई थी। जम्मू और कश्मीर सरकार को 39 लाख रु० दिये गये थे जो कुल राशि का 35 प्रतिशत थी जबकि अन्य 6 राज्यों को औसतन 10.8 प्रतिशत राशि प्राप्त हुई। 320 लाख रुपये की शेष धन राशि पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के शेष 3 वर्षों के दौरान भारत में बड़े भेड़ प्रजनन फ़ार्मों को निर्मुक्त की जायेगी। आबटनों का आंकलन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

आवास नगरीय विकास निगम द्वारा भुवनेश्वर के लिए नये आवास निर्माण कार्यक्रम

1965. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवास नगरीय विकास निगम द्वारा उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के लिये कौन से नये आवास निर्माण कार्यक्रम मंजूर किये गये हैं ;

(ख) इन कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके लिये कितनी राशि व्यय होगी ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) भुवनेश्वर के सैनिक स्कूल क्षेत्र में उड़ीसा हाउसिंग बोर्ड की आवासीय स्कीम।

(ख) तथा (ग) : 52.29 लाख रुपये की अनुमानित लागत की स्कीम के लिए आवास तथा नगर विकास निगमसिमित द्वारा 25 नवम्बर, 1975 को 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर 50.5 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। स्कीम में निम्नांकित रिहायशी एककों का निर्माण शामिल हैं :—

रिहायशी एककों का टाइप		रिहायशी एककों की संख्या
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग		100
निम्न आय वर्ग		181
मध्यम आय वर्ग		40
	जोड़	321

कृषि भूमिहीन श्रमिकों को लाभ

1966. श्री वसन्त साठे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ० ए० एल० के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही ऐसी ही सुविधायें भूमिहीन श्रमिकों को, जिन्हें अतिरिक्त भूमि वितरित की गई है, देने का कोई निर्णय किया है और इसके लिए कितनी धनराशि दी गई है ।

(ख) क्या सरकार ने साधन श्रम वाले विकास कार्यों के क्रियान्वयन में श्रम ठेका सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने और विकास कार्यक्रम में ग्रामीण श्रमिकों को कारगर तरीके से शामिल करने के लिए विशेष योजनाओं के क्रियान्वयन को कोई योजना बनाई है और इस बारे में राज्यों को सामान्य निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) क्या इस विशेष योजना के उचित तथा कारगर तरीके से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सतर पर क्रियान्वयन, देखभाल तथा मूल्यांकन और अनुसंधान सैलों को सुदृढ़ बनाने के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । तथापि, भूमि सीमा नियमों के कार्यान्वयन द्वारा उपर्जित फालतू भूमि के नियत भागियों को सहायता उपलब्ध करने के लिए एक अलग योजना तैयार की गई है जिस पर पांचवीं पचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 25 करोड़ रुपये को अनुमानित लागत के व्यय किये जाने का प्रस्ताव है । यह उन इलाकों में चलाई जानी है जो लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा सी० ए० डी० जैसी अन्य केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इसमें फालतू भूमि के प्रत्येक नियत भागी को प्रति मौसम 250 रुपये हेक्टयर मंजूर करने का प्रस्ताव है जिससे कि वह खेतो के लिए अपेक्षित निवेश खरीद सके और अपनी तात्कालिक खपत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ।

आबंटित भूमि के खंड में खेती किए जाने से पहले भूमि को कृषि योग्य बनाने, रूप रेखा बन्ध, आदि जैसी साधारण भूमि विकास प्रक्रियाओं की जरुरत पड़ेगी । ऐसे प्रयोजनों के लिए उन नियत भागियों, जिनकी भूमि में विकास की आवश्यकता है, को 500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है । उन्हें इस का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा शेष 50 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाएगा ।

(ख) देश में श्रमिक सहकारी सोसायटियों की गतिविधियों में लगातार विस्तार हुआ है । 30 जून, 1971 को श्रमिक सहकारी सोसायटियों की संख्या 6717 से बढ़कर 30 जून, 1975 को 9147 हो गई ; उसी अवधि के दौरान इन सोसायटियों की सदस्यता 4.76 लाख से बढ़कर 5.99 लाख हो गई और उनके द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों की लागत 21.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 33 करोड़ रुपये हो गई । 20 सूत्री आर्थिक कार्य क्रम के संदर्भ में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे श्रमिक सहकारी सोसायटियों, जिनमें वन ठेका सहकारी सोसाटियां भी शामिल हैं, के विकास के इस कार्यक्रम का विस्तार करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए ठोस प्रयास करें तथा इन सहकारी सोसायटियों को उपयुक्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करें

और वरीयता के आधार पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें ताकि उन्हें काम देने वाली एजेंसियों विशेषकर गहन श्रम कार्यक्रमों में पर्याप्त कार्य मिल सके।

(ग) लघु किसान विकास एजेंसी।सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, सी० ए० डी० आदि जैसे ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। मंत्रालय में इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन, प्रबोधन तथा समवर्ती मूल्यांकन के लिए अलग सैल स्थापित किए गए हैं। इन सलों के कर्मचारी-वर्ग की अपेक्षाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उन्हें कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुसार मजबूत बनाया जाता है। जहां आवश्यक समझा गया है वहां विषय-विशेषज्ञ भी नियुक्त किए गए हैं। कार्यक्रमों की समग्र समीक्षा तथा प्रबोधन योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में गठित ग्राम विकास तथा रोजगार संबंधी केन्द्रीय समन्वय समिति द्वारा किया जाता है। ग्राम विकास विभाग में प्रबोधन ऋण प्रभाग तथा निदेशक प्रशासनिक आसूचना द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्र समस्याओं की जांच विषय-विशेषज्ञों के परामर्श से संबंधित कार्यान्वयन सैल द्वारा की जाती है और इसलिए अलग अनुसंधान सैलों की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

गोदावरी बांध परियोजना

1968. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी बांध परियोजना की क्या स्थिति है ;

(ख) आई० डी० ए० द्वारा दी गई सहायता सहित अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) परियोजना के चार सैक्शनों में कार्य की प्रगति निम्नलिखित है :—

(1) **देवलेश्वरम**

काफर बांध का मिट्टी का कार्य चल रहा है।

ट्रेस्टिल कार्य प्रारम्भ हो गया है।

(2) **रैल्ली**

इस बराज में निर्माण कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है।

(3) **मददूर**

इस बराज में कार्य अभी प्रारम्भ होना है।

(4) **विजेश्वरम**

काफर बांध की रचना पूरी हो गई है।

(ख) मार्च, 1976 तक राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना पर लगभग 10.58 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की संभावना है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था क्योंकि राज्य सरकारें करती है अतः यह व्यय अन्तराष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता का भाग नहीं है।

(ग) इस परियोजना के पांचवीं योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना ।

दुग्ध संयंत्र

***969. श्री वसंत साठे** : क्या **कृषि और** सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तरल दुग्ध संयंत्र और दुग्ध उत्पाद कारखानों के लिये अपेक्षित मशीनों, उपकरणों, और अन्य सामान के आयात पर 1973 के पश्चात प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च हुई ;

(ख) 'आपरेशन फलड प्रोग्राम् (व्यापक दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम) के अन्तर्गत कितने नये तरल दुग्ध संयंत्र स्थापित किये गये हैं ;

(ग) दुग्ध चूर्ण उत्पादन संयंत्रों की संख्या कितनी है ;

(घ) आइसक्रीम, चाकलेट और अन्य दुग्ध उत्पाद संयंत्रों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक कारखानों की औसत स्थापना लागत क्या है तथा उसमें विदेशी मुद्रा कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी

सहकारी ऋण समितियों को पुनः सक्रिय करना

1970. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976-77 के लिए कृषि कार्यक्रम के बारे में चार दक्षिणी राज्यों के दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन ने यह निर्णय किया है कि 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण ऋण ग्रस्तता की समाप्ति के सन्दर्भ में समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सहकारी ऋण समितियों को पुनः सक्रिय बनाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ, सहकारी ऋण सोसायटियों की, उनके अतिदेयों की स्थिति तथा ऋण अन्तर को पूरा करने के विशेष सन्दर्भ में, प्रगति तथा समस्याओं की समीक्षा की ताकि कमजोर वर्गों और विशेषकर बंधुआ मजदूरों जो दासता से मुक्त हो गए हैं, कि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

बाण सागर बांध

1971. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध के निर्माण में बाधक अन्तर्राज्यीय विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) यह विवाद कब तक हल हो जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) सितम्बर, 1973 में संबंधित राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार संशोधित बाण सागर परियोजना रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार से सितम्बर, 1974 में प्राप्त हुई थी। इस परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय जल आयोग, कृषि विभाग और वित्त मंत्रालय में जांच की गई तथा राज्य सरकार को टिप्पणियां भेज दी गईं।

इनमें से कुछ की टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से कुछ दिन पूर्व ही प्राप्त हुए हैं। सभी टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त ही परियोजना को स्वीकृत करने के संबंध में विचारा किया जाएगा।

परियोजना का शीघ्र निर्माण करने के लिए बाणसागर नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया जा चुका है।

Fisheries in Andaman and Nicobar Islands

1972. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether any special scheme has been implemented in Andaman and Nicobar Islands for the development of fisheries; and

(b) if so, facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) & (b) Under a special scheme of introduction of mechanised boats, three mechanised boats have already reached Port Blair and the fourth boat is awaiting shipment at the Madras port. Three more boats are under construction at Cochin. The operation of these boats, if found successful, would pave the way for introduction of mechanised boats on a large scale which would involve establishment of a boat building yard and provision of a training centre. The mechanised boats already introduced are equipped for trawling as well as long lining. There is adequate financial provision in the Fifth Five Year Plan for the introduction of mechanised boats. A fishing harbour with a draft of 5 metres costing Rs. 67·18 lakhs is nearing completion at Pheonix bay near Port Blair. Government of India are also encouraging fishing enterprises to set up deep sea fishing industry in Andaman Islands.

चीनी मिलों की गन्ना पेराई क्षमता

1973. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई ऐसी चीनी मिलें हैं जो औद्योगिक गन्ना पेर सकती हैं किन्तु उन्हें आवश्यक गन्ना नहीं मिल पाता क्योंकि उनके आस पास के क्षेत्रों में गन्ने की पर्याप्त खेती नहीं की जाती ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गन्ने की काश्त बढ़ाने के लिये सरकार इन मिलों को कोई प्रोत्साहन देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मिलों को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिये क्या अन्य कदम उठाये जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी हां। ऐसी भी चीनी मिल हैं जिनकी पिराई समता फालतू है और गन्ने की कमी ऐसा कारण हो सकता है जोकि उनकी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करने के रास्ते में बाधक है । राज्य सरकारें गन्ने के विकास के लिए तथा चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना सप्लाई करने हेतु पग उठाने के लिए जिम्मेदार हैं ।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के प्रयत्नों में मदद देने के लिए, केन्द्रीय सरकार पांचवीं योजनावधि के दौरान देश में प्रत्येक चीनी फैक्ट्री क्षेत्र के इर्द-गिर्द गन्ने का सघन विकास करने के लिए 1130 लाख रुपये के परिव्यय की एक योजना कार्यान्वित कर रही है । इस कार्यक्रम में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है :—

(1) वाणिज्यिक खेती के लिए पौष्टिक तत्वों से भरपूर गन्ने के बीज का उत्पादन और वितरण ।

(2) गन्ने के पौधे और पेड़ी पर सुधरे हुए तरीकों का प्रदर्शन करना ;

(3) पौध संरक्षण उपायों को समय पर अपनाना ;

(4) राज्य स्तर पर गन्ना विकास कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ; और

(5) चीनी फैक्ट्री क्षेत्रों के आसपास लिंक सड़कों का निर्माण करना ।

नेशनल डायरेक्टरी फॉर वीमेन

1974. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री य बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान "नेशनल डायरेक्टरी फॉर वीमेन" तैयार करने की योजना बनाई है जैसा कुछ अन्य देशों में किया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार ने भारतीय महिलाओं की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ महिला संगठनों अथवा गैर-सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार ने एक स्वयंसेवी संगठन के आज की महिलाओं की एक डाइरेक्टरी निकालने के प्रस्ताव पर उस संगठन को प्रोत्साहित किया है । इस परियोजना के मुख्य सम्पादक द्वारा वित्तीय सहायता के लिए की गई प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

कृषि वस्तुओं में सट्टा और वायदा बाजार

1975. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में कृषि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नामम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने कृषि वस्तुओं में सट्टा और वायदा बाजार को रोकने के बारे में निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) कुछ केन्द्रों में रूई (कपास/लिंट), कच्ची जूट, मूंगफली, तिल और आलू के मूल्यों में कुछ मोसमी वृद्धि होने के सिवाय, हाल के सप्ताहों में कृषि जिंसों के मूल्यों में कोई नहीं हुई है ।

(ग) अधिकांश कृषि जिन्सों के मामले में वायदा-बाजार पर रोक लगा दी गई है ।

Rural Water Supply programme in Madhya Pradesh

1976. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the amount allocated to Madhya Pradesh during 1974-75 and 1975-76 for rural water supply programme ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri H. K. L. Bhagat): The amounts allocated to Madhya Pradesh for Rural Water Supply during 1974-75 and 1975-76 were Rs. 3·5 crores and Rs. 4·0 crores, respectively.

Emergency Funds for relief to Flood affected people of Madhya Pradesh

1977. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have allocated some special or emergency funds to Madhya Pradesh for providing relief to the people affected by the floods in 1975; and

(b) if so, the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhu das Patel): (a) & (b) The Government of India have not allocated any special or emergency funds to Madhya Pradesh for providing relief to the people affected by floods in 1975 in the State, nor the Central Government have received any such request from the State Government.

दिल्ली में संसद सदस्यों और महानगर परिषद के सदस्यों के लिये आवासीय भूखण्डों का आरक्षण

1978. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ प्रतिशत आवासीय भूखण्ड संसद सदस्यों और महानगर परिषद् के सदस्यों के लिये आरक्षित हैं ;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1974 के पश्चात् जिन सदस्यों को ये भूखण्ड आवंटित किये गये हैं उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिनके नाम इस समय प्रतीक्षा सूची में हैं तथा इस प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित सभी सदस्यों को कब तक भूखण्ड मिल जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया): (क) जी हां । निम्न तथा मध्यम आय वर्ग श्रेणियों में लाटरी द्वारा आवंटन के लिए आरक्षित प्लाटों के 5 प्रतिशत में से $2\frac{1}{2}$ प्र० श० संसद सदस्यों के लिए तथा $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत महानगर परिषद के सदस्यों, दिल्ली नगर

निगम के पार्षदों तथा कन्टोनमेंट बोर्ड तथा नई दिल्ली नगर पालिका के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आरक्षित है।

(ख) तथा (ग) जिन सदस्यों को अक्तूबर, 1974 के पश्चात् प्लाटों का आवंटन किया गया है और जो प्रतीक्षा सूची में हैं उनके नामों का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--10625/76]।

ऐसी निश्चित तिथि जिस तक यह प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाएगी बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह प्रथमतः प्लाटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और दूसरा यह कि सदस्यों द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सूची में नये नाम जोड़े जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कालेजों को वित्तीय सहायता देने की योजना

1979. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालिजों को (छात्रावासों सहित) वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थाओं के लाभार्थ सहायता की राशि में वृद्धि करने तथा योजना को उदार बनाने का विचार है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के कालेजों को और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत आते हैं उनके विकास के लिये अनुदान देता है बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो। इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि आया कालेज शहरी क्षेत्रों में स्थित है या ग्रामीण क्षेत्रों में। तथापि पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों के भवन विस्तार (पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कक्षा के कमरे) तथा पुरुष के छात्रावासों का निर्माण करने के लिये, आयोग क्रमशः 66.66 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की सहायता देता है जबकि इन्हीं दोनों प्रयोजनों के लिये अन्य कालेजों के मामले में सहायता 50 प्रतिशत दी जाती है।

Cultural Delegations

1980. **Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) number of cultural delegations sent abroad during 1975-76 and the countries from which similar delegations came to India; and

(b) names of persons who led these Indian delegations and the expenditure incurred on them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) 20 cultural delegations were sent abroad during 1975-76 and such delegations came to India from Afghanistan, Argentina, Australia, Bulgaria, Burma, Czechoslovakia, F.R.G., G.D.R., Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Poland, Romania, Sri Lanka, South Korea, Thailand, U.A.E., U.K., U.S.A., and U.S.S.R.

(b) The total expenditure sanctioned for the Indian delegations was Rs. 13·47 lakhs. No leaders as such were named by the Department for these delegations.

Demand for increase in procurement price of Wheat

1981. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether a demand has been made by the farmers for raising the procurement price of wheat ;

(b) whether keeping in view their cost of production it is necessary to increase the procurement price; and

(c) if so, steps taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) There have been demands from some farmers Associations for increase in the procurement price of wheat. These demands have been considered in the light of the recommendations of the Agricultural Prices Commission on the procurement price for wheat for 1976-77 based on the cost of production and all other relevant factors. After further discussion with the State Governments it has been decided to maintain the procurement price of wheat for 1976-77 season at Rs. 105/- per quintal.

मध्य प्रदेश में कृषि सेवा केन्द्र

1983. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितने कृषि सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं; और

(ख) प्रत्येक केन्द्र की निधियों और संभावनाओं का ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक केन्द्र में कितने कितने ट्रैक्टर हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) 31-3-1967 तक मध्य प्रदेश में 282 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

(ख). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बन्दरगाहों पर खाद्यान्नों को जहाजों से उतारने की क्रिया का आधुनिकीकरण

1984. **श्री एन० ई० होरो :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बन्दरगाहों में खाद्यान्नों को जहाजों से उतारने की क्रिया का यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि जहाजों को अधिक देर तक ठहरना न पड़े और विलम्ब शुल्क न देना पड़े जिसके कारण आयतित खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है ;

(ख) जिन बन्दरगाहों में खाद्यान्न जहाजों से उतारा जाता है उनके क्या नाम हैं; और

(ग) गत वर्ष बन्दरगाह वार कितना विलम्ब शुल्क दिया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) बम्बई की बन्दरगाह से 3 मशीनीकृत स्थानों से और कलकत्ता की बंदरगाह से एक मशीनीकृत स्थान से खाद्यान्नों की निकासी की जा रही है । कांडला और मद्रास बंदरगाहों से न्यूमैटिक मशीनों द्वारा भी खाद्यान्नों की निकासी की जा रही है । भारतीय बंदरगाहों पर अनाज संभालने के कार्य का आधुनिकीकरण

करने, बंदरगाहों पर से खाद्यान्नों को उतराने।उनकी निकासी की मात्रा में सुधार करने के बारे में जांच करने और उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकार ने संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों की एक समिति गठित की है ।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास कांडला, विशाखापटनम, कोचीन, तूतीकोरिन, मंगलौर, मरमुगांव, रोजी, कालीकट, बेरावल, अलेप्पी, ओखा, नवलखी और नागापत्तिनम में आयतित खाद्यान्नों को उतारा जा रहा है । इनमें से कुछ बंदरगाहों को मानसून के मौसम के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ।

(ग) एक बन्दरगाहवार विवरण संलग्न है जिसमें पिछले वर्ष (1975) खाद्यान्नों की संभाली गई मात्रा तथा प्रेषण से कमायी गई राशि/विलम्ब शुल्क पर हुए खर्च का ब्यौरा दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—10626/76] सभी मामलों में जहाज के मालिकों के खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Incentives to increase production of sugar

1985. **Shri Prasannbhai Mehta :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be Pleased to state :

(a) names of sugar mills which increased production after the announcement last year of special reliefs to boost sugar production ;

(b) names of mills to whom reliefs were given ; and

(c) the reasons for not extending these reliefs to the remaining mills.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) The Government announced, in November, 1975 incentives to new sugar factories and licensed expansion scheme based, in part, on excise duty concession and, in part, on higher percentage of levy-free sugar quota, in order to make them economically viable in the face of the present high cost of plant, machinery etc. The applications received from sugar factories claiming eligibility for the concessions are being processed.

Working Girls Hostels in Rajasthan

1986. **Shri Lal ji Bhai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) Whether Central Government propose to construct Working Girls Hostels in major cities of Rajasthan, for working women; and

(b) if so, details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) and (b) Under the Government of India's scheme of assistance to voluntary organisations engaged in the field of women's Welfare, financial assistance is given for construction/expansion of hostel buildings for working women in cities having a population of 2 lakhs and above. In 1975-76 only one voluntary organisation, Viz., King Edward VII Memorial Society, Ajmer, availed of central assistance of Rs. 82,260/- under the scheme for the construction of a working women's hostel at Ajmer.

Foreign Assistance for Chambal Development Project

1987. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the programme being undertaken in Kota District at present under the Chambal Development Project and names of the countries or institutions from which assistance is being taken for implementation of these programmes ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : An agreement was executed on 19th June, 1974, with the International Bank for Reconstruction and Development for loan assistance of S 52 million for the Chambal Command Area Development Project in Rajasthan. The Agreement became effective on 12th December, 1974. This Project is being executed in Kota and Bundi districts of Rajasthan. The principal items of work to be taken up under the above agreement are given below. Separate figures for Kota and Bundi districts are, however, not available :-

(a) **Drainage Works**— The construction of main drains, secondary drains and shallow seepage drains over about 167,000 ha where water-logging is most severe.

(b) **Canal lining.**—The construction of about 14km of canal lining to alleviate water-logging from canal seepage.

(c) **Increased canal capacity and control structures.**—The increase in the capacity of about 850 Km of canals in the areas in which on-farm development is to be carried out and the construction of about 160 control structures and about 4000 tertiary outlets.

(d) **Aquatic weed control.**— The Provision of equipment for aquatic weed control in the major canals, the filling of borrow pits in the bed of the Right main Canal and the construction of escapes to allow rapid de-watering.

(e) **On-farm development.**—The construction of irrigaion and drainage ditches and cart tracks to serve about 50,000 ha of irrigated land ; the re-alignment of farm boundaries, to permit an improved layout of the irrigation, drainage and road facilities; and land-shaping to ensure efficient irrigation.

(f) **Roads.**—The construction or improvement of about 250 Km. of roads in the Project Area.

(g) **Afforestation.**—The construction of ring bunds and the planting of trees and shrubs on about 1,000 ha in the Project Area.

(h) **Miscellaneous—Works and equipment.**—The construction of Project organisation buildings, and minor flood protection and silt removal works; the procurement of vehicles and equipment for project implementation.

(i) **Fertiliser.**—The procurement of 15,000 nutrient tons of fertiliser and its distribution to Project Area farmers over a period of three years after on-farm development works on their Block have been completed.

(j) **Studies.**—(i) The carrying out of further studies in hydrology, reservoir system operations, consumptive use, drainage design, construction methods for on-farm development, crab ecology and aquatic weed control.

(ii) The carrying out of a feasibility study for a secondstage Project.

(k) **Training.**—The training of CAA staff in on-farm development and extension work.

(l) **Research, Operation and Maintenance**—The improvement of agricultural research and extension work in the Project Area and of operation and maintenance standards for Project irrigation, drainage and road systems the whole by means, *inter alia*, of procurement and utilisation of appropriate materials and equipment.

Small Irrigation Dams in Rajasthan

1988. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) number of small irrigation dams constructed in Rajasthan during 1973-74 and 1975, year-wise and of those still under construction ; and

(b) number of new dams approved by Government and the outlay sanctioned for each ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shahnawaz Khan) : (a). In the year 1973-74, 37 small Irrigation works under Plan and 169 works under Drought Prone Area Programme (D.P.A.P.) were completed. In the year 1974-75, 20 works under Plan, 28 works under D.P.A.P. and 4 works under Tribal Sub-Plan were completed in Rajasthan, 69 works under Plan, 81 works under D.P.A.P. and 38 works under Tribal Sub-Plan are continuing in Rajasthan.

(b) No new scheme is proposed under normal State Plan programme. However, 44 new Irrigation works are proposed for the year 1976-77 under D.P.A.P. and an outlay of Rs. 1·02 crore is provided.

फसलों को हानि

1989. **श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में नाशक कीटों, बीमारियों तथा खर पतवार के जरिए हुई खाद्यान्नों की कुल हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है और उसे कम से कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख). देश में नाशक कीटों, बीमारियों तथा खर पतवार के जरिए हुई खाद्यान्नों की कुल हानि के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । हानि के विभिन्न अनुमान लगाए गए हैं और ये कीट, फसल और मौसम पर निर्भर करते हुए 10 से 30 प्रतिशत के बीच में हैं । फसलों के प्रभावी पौध संरक्षण पर काफी ध्यान दिया जा रहा है और केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर समुचित संगठन बनाए गए हैं । अपेक्षित कीटनाशी औषधियों की समय पर सुचारु रूप से सप्लाई करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि विश्वविद्यालय, राज्य सरकारों के अनुसंधान केन्द्र आदि जैसी अनुसंधान संस्थाएं भी विभिन्न फसलों के कृषि और रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास कर रही हैं ।

मक्का की नई किस्म

1990. श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की एक नई किस्म का विकास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस किस्म का बीज खेती के लिये दिया गया है ; और

(ग) क्या इसकी उपज सन्तोषजनक है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) जी हां, अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मक्के की एक नयी किस्म जे 603 विकसित की है ।

(ख) जी हां, पंजाब राज्य किस्म रिलीज समिति ने इस वर्ष पंजाब में आम रूप से उगाने के लिए मक्के की इस नयी किस्म को अगेती-76 के लोकप्रिय नाम से वितरित की है । अन्य राज्यों में इसे रिलीज करने से संबंधित निर्णय के लिए केन्द्रीय बीज उप-समिति को अभी विचार करना है ।

(ग) 1973, 1974 और 1975 के दौरान अनेक स्थानों पर जो समन्वित परीक्षण किये गये, उनमें सिंचित और बारानी दोनों स्थितियों के अन्तर्गत सारे देश में इस किस्म ने लगातार

अच्छी पैदावार दी है। इस किस्म में स्थानीय किस्मों की तुलना से करीब 25 से 50 प्रतिशत अधिक और विजया तथा गंगा-5 किस्मों के करीब-करीब बराबर पैदावार देने की क्षमता है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा निजी संग्रहालयों में असुरक्षित पड़ी पाण्डुलिपियां

1992. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा निजी संग्रहालयों में प्राचीन भाषाओं में अनेक पाण्डुलिपियां असुरक्षित पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दुर्लभ और बहुमूल्य पाण्डुलिपियों के संरक्षण हेतु तथा इनकी कापी करने तथा माइक्रो फिल्म आदि बनाने की उनके मंत्रालय की कोई व्यापक योजना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनका विचार देश की इस प्राचीन संपत्ति का संरक्षण किस प्रकार करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा प्राइवेट संग्रहालयों में से कुछ के पास श्रेण्य भाषाओं की कुछ पाण्डुलिपियां हैं और सरकार उन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा प्राइवेट संग्रहालयों के कार्य में रत, स्वैच्छिक संगठनों को, प्रतिकृति तथा माइक्रो फिल्म बनाने के उपस्कर खरीदने तथा भवन निर्माण के लिए उनकी सुरक्षा हेतु सरकार अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान जो भारत सरकार से सहायता प्राप्त स्वायत निकाय है प्राचीन तथा सुस्थापित ऐसे पुस्तकालयों को जो कम से कम 25 वर्षों से विद्यमान हैं, अप्राप्य तथा दुर्लभ पुस्तकों तथा पत्रिकाओं तथा पांडुलिपियों की जिल्दसाजी तथा उनके परिरक्षण के लिए सहायता देता है।

भारत सरकार, पांडुलिपियों की सूची के संकलन और प्रकाशन तथा संस्कृत, पाली और प्राकृत की दुर्लभ पांडुलिपियों के सम्पादन तथा प्रकाशन के लिए पंजीकृत संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं अथवा अर्ध-सरकारी निकायों को अनुदान देती है तथा भारतीय भाषाओं के प्रचार और विकास तथा मूल भाषाओं की प्राचीन पांडुलिपियों के लिए भी स्वैच्छिक संगठनों/शिक्षा संस्थाओं को इसी तरह के अनुदान दिए जाते हैं।

आसाम में भूमि कटाव

1993. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने उनके मंत्रालय को डिब्रूगढ़ के मेजन क्षेत्र को भूमि कटाव से बचाने के लिए एक योजना और उस पर खर्च के अनुमान भेजे हैं ; और

1017 एल० एस० 4

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). असम की राज्य सरकार के द्वारा 1974 की बाढ़ों के उपरान्त डिब्रुगढ़ के मैजान क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक स्कीम तैयार की थी जिसको योजना आयोग द्वारा 58.5 लाख रुपए की लागत पर कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था। इस स्कीम का अधिकांश भाग 1975 की बाढ़ों से पूर्व कार्यान्वित कर लिया गया था।

राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 79.21 लाख रुपये की लागत का एक संशोधित प्राक्कलन तैयार किया है। यह प्रक्कलन अक्तूबर, 1975 में केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हो गया था। आयोग ने इसकी जांच की और अपनी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी थीं। राज्य सरकार से इन टिप्पणियों के आधार पर तैयार किए गए अन्तिम प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए हैं।

उपर्युक्त कार्यों के पूर्ण हो जाने के उपरान्त इन क्षेत्रों के प्रतिप्रवाह में कुछ तट कटाव ध्यान में आए हैं, जिनका प्रेक्षण किया जा रहा है।

शिक्षा पर व्यय

1994. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर चौथी पंचवर्षीय योजना तक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटित राशि में काफी कमी कर दी गई है और कुल शिक्षा व्यय का इसका प्रतिशत 56 से घट कर 14.4 रह गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस स्थिति को बदलने और शिक्षा पर प्रति व्यक्ति 5.7 रुपए व्यय अलाट कर कोठारी आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पहली पंचवर्षीय योजना अवधि के आरम्भ में, प्राथमिक शिक्षा पर व्यय की प्रतिशतता, शिक्षा पर कुल व्यय का 39 प्रतिशत थी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई है।

(ख) शिक्षा राज्य का विषय है शिक्षा के लिए राशि आवंटित करना प्रत्येक राज्य सरकार पर निर्भर करता है। कोठारी आयोग (शिक्षा आयोग 1964—66) की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकों में राज्य शिक्षा मंत्रियों के विचार-विमर्श के दौरान, शिक्षा के लिए आवंटन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बार-बार बल दिया गया है।

रबी फसल की बिक्री

1995. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी राज्यों में किसान अपनी रबी फसल विशेषकर दालों को बहुत ही कम मूल्य पर बेचने के लिये मजबूर हैं ; और

(ख) क्या रबी फसल के उत्पादकों को उन लोभी बड़े व्यापारियों तथा स्टाक धारियों से बचाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख). रबी की फसलों के संबन्ध में सरकार ने 1976–77 के लिये गेहूं के वसूली मूल्य का पहले ही पुनरीक्षण कर लिया है और सभी किस्म की गेहूं के लिये वसूली मूल्य 105 रु० प्रति क्विंटल रखने का निर्णय लिया है । जौ के लिये 65 रु० प्रति क्विंटल सहाय्य मूल्य निर्धारित किया गया है । चने के लिये भी जोकि रबी की दालों में अत्यन्त महत्वपूर्ण है वर्ष 1976–77 के मौसम के लिये 90 रु० प्रति क्विंटल सहाय्य मूल्य निर्धारित किया गया है । जहां कहीं भी आवश्यक हो गेहूं, जौ और चने के ऊपर दिए गए मूल्यों पर सहायता देने के लिये पहले हो पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं । भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्सुक है कि पूर्ण रूप से किसानों के हितों की रक्षा की जाए और किसी भी हालत में कोई भी उत्पादक औसतन किस्म के खाद्यान्नों के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित वसूली मूल्य/सहाय्य मूल्य से कम मूल्य प्राप्त न करे ।

सरकार अन्य फसलों के मूल्यों के वर्तमान रुख पर भी निगाह रख रही है ।

कीट नियंत्रण संगठन

1996. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीट नियंत्रण संगठनों के रूप में कम से कम 200 छोटी-मोटी कम्पनियां कार्य कर रही हैं जिन्हें या तो बहुत कम तकनीकी जानकारी है या बिल्कुल नहीं है ;

(ख) क्या सरकार के तकनीकी विशेषज्ञ कर्मचारी इन कम्पनियों का उचित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है । और

(ग) कीटनाशक रसायन औषधियों से कृषि फसलों तथा वनस्पतियों को होने वाली हानि रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) तथा (ख). देश में कार्य कर रहे कीट नियंत्रण संगठनों का पूरा रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । वनस्पति-संरक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय हमारे देश से निर्यात किए जाने वाले अखरोट के तीन कीटनियंत्रण के प्रचालकों द्वारा किए गए धूम्रीकरण के काम की निगरानी करता है । वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद् ने निर्यात के लिए तेल निकाले हुए चावल की भूसी के धूम्रीकरण और निदूषण के लिए निर्यात क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम 1963 के अधीन 14 कीट नियंत्रण कम्पनियों को स्वीकृति दी है और सरकार के तकनीकी विशेषज्ञ कर्मचारियों द्वारा इन कम्पनियों के कार्य की जांच और निगरानी की जाती है । सरकार ने कीट नियंत्रण संगठनो को कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है । इस प्रयोजन के लिए उनके लाइसेंस लेने के लिए अधिनियम में उचित व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) अब समेकित कीट नियंत्रण और व्यवस्था करने का कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत रसायन, जैविक और शारीरिक श्रम संबंधी विधियां अपनाई जाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में कमियों के लगने का पता लगाने और कम से कम मात्रा में रसायन नियंत्रण उपाय करने के लिए कीट निगरानी तथा पूर्वानुमान प्रारम्भ किया गया है।

खाद्य तेल तथा वनस्पति का मूल्य

1997. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 के पूर्वार्द्ध में वनस्पति उत्पादन में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई ;

(ख) क्या जनवरी 1975 में वनस्पति पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करने के बाद से इसके मूल्यों में गिरावट नहीं आई जैसा कि आशा थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय खाद्य तेलों, वनस्पति मूंगफली का तेल तथा सूर्यमुखी के तेल के मूल्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1975–76 के प्रथम आधे भाग में 1974–75 की उसी अवधि की तुलना में वनस्पति के उत्पादन में लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) जनवरी, 1975 में विनियंत्रण के बाद आशा थी कि वनस्पति तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अनुमेय खाने योग्य तेलों के मूल्यों की भारित औसत से वनस्पति के मूल्यों में घट-बढ़ होगी। यह आशा सामान्यतया ठीक सिद्ध हुई है। अक्तूबर, 1975 में विशषतया मूंगफली की नयी फ़सल की आमद के बाद जनवरी, 1975 की तुलना में वनस्पति के मूल्यों में 41 प्रतिशत की गिरावट आयी है।

(ग) 31 मार्च, 1976 को वनस्पति और मूंगफ़ली के तेल के मूल्यों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वनस्पति (16.5 किलोग्राम टिन)	98–102.50 रुपये
मूंगफ़ली का तेल (प्रति मीटरी टन)	4500 रुपये

सूरजमुखी तेल का सीमित व्यापार होने से, इसके मूल्यों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश को खाद्यान्न की सप्लाई

1998. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975–76 के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी मात्रा में खाद्यान्न की सप्लाई की गई तथा वर्ष 1976–77 में कितना खाद्यान्न सप्लाई किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : वर्ष 1975–76 के दौरान, फ़रवरी, 1976 के अन्त तक मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 73 हजार मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किया गया है।

केन्द्रीय भण्डार में कुल उपलब्धता राज्य की सापेक्षा आवश्यकताओं, मंडियों में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रति-मास प्रत्येक राज्य को खाद्यान्नों के आवंटन किए जाते हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 1976-77 के दौरान भी इसी आधार पर मध्य प्रदेश को खाद्यान्नों के आवंटन किए जाएंगे और इसलिए खाद्यान्नों की जो मात्रा दी जाएगी उसके बारे में इस समय ठीक-ठीक बताया नहीं जा सकता है।

Medium and Large Irrigation Schemes

***1999. Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) names of medium and large irrigation schemes for Madhya Pradesh approved by he Central Government; and

(b) reasons for not according approval to other schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) The names of major and medium Irrigation schemes for Madhya Pradesh approved so far are given in the Annexed Statement.

(b) 14 major and 27 medium irrigation schemes of Madhya Pradesh are pending clearance with Government of India. Out of these 6 medium projects have been found acceptable by the Advisory Committee of the Planning Commission for clearance.

3 Major and 3 medium schemes are in Narmada Basin and are under dispute. Clearance of these projects can be considered after the Namada Dispute is resolved.

Comments on 6 major and 9 medium schemes have been sent to the State Government and their replies are awaited. This includes one major scheme in Narmada Basin, accord for clearance of which was reached by agreement among the concerned States in March, 1975.

Remaining 5 major and 9 medium schemes are in various stages of scrutiny in the Central Water Commission, Department of Agriculture and the Ministry of Finance.

These projects will be cleared for inclusion in the State's development Plan after they are found technically feasible, economically viable and necessary funds are made available by the State.

Statement

List of major and medium schemes of Madhya Pradesh :—

MAJOR

1. Bhandar Canal (Part of Matatilla Dam in Uttar Pradesh)
2. Hasdeo Barrage
3. Chambal Stage I & II
4. Tawa
5. Barna
6. Hasdeo Right Bank Canal
7. Mahanadi Reservoir

MEDIUM :

1. Ari Tank
2. Barodia
3. Bhitigarh
4. Daroli
5. Board Valley Development
6. Dudhawa
7. Dhuandhar
8. Gangulpura
9. Dhakri-Kheda
10. Gondli
11. Kulgarhi
12. Kundanali (Danoh)
13. Mola
14. Morwan
15. Sagar Nadi
16. Sarda
17. Shivgarh Bhedli
18. Sampna
19. Beniganga
20. Chillar (Tillar)
21. Development of Maniai Tank
22. Bilandi
23. Devindra Nagar
24. Kodar Nalla
25. Khaswa Nalla
26. Nandanwara
27. Nagdanalla
28. Kharadi Tank
29. Nahlesara
30. Remodeling of Mahanadi Canal
31. Akhajiri
32. Gurmanalla
33. Bhainswar
34. Gopalpura
35. Jassaiya
36. Chappi
37. Pampawati
38. Jamni R.B.C.
39. Majana
40. Chandrakashav
41. Sindh
42. Rangwan H.L.C.
43. Bagh R.B.C.
44. Pairy
45. Bhainskshedi
46. Putka
47. Kunwar Pur
48. Ruse Tank Project
49. Quazi Khedi Tank Project
50. Bichia Tank Project.

मूंगफली के संकर बीजों का आयात

2000. **श्री डी० डी० देसाई : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी बीज उत्पादको को विदेशों से मूंगफली के संकर बीजों का आयात करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या इन बीजों को आयात करने से पूर्व क्वारंटाइन तथा अन्य नियन्त्रण में रखा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के बीजों का आयात किया गया है तथा भारतीय स्थितियों में उसे कितने उत्पादन की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) से (ग) गुजरात के एक गैर-सरकारी बीज उत्पादक को इस्राइल से मूंगफली की शुलामिठ किस्म के 3.5 मीटरी टन बीजों का आयात करने की अनुमति दी गई थी। यह आयात निरीक्षण तथा वनस्पति संगरोध के अन्य नियन्त्रणों के अन्तर्गत किया जाना था। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग, गुजरात के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषक क्षेत्रों में अक्तूबर, 1975 में इस किस्म पर सात फसल परीक्षण किए गए थे और यह पाया गया कि सूखने से पहले इसकी उपज का वजन 4320 किं० ग्रा० से 7165 कि० ग्रा० प्रति हैक्टार है। तिलहनों पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के अन्तर्गत और परीक्षण करने का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में प्राध्यापकों के पदों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण

2001. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में प्राध्यापकों के पदों में भर्ती के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिये आरक्षण प्रदान करने पर सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आरक्षण की इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यक्रम तथा समय सारणी बनाना और विचार करना चाहता है; और

(ग) जितने प्रतिशत स्थानों का आरक्षण किया गया हो उतने उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में क्या उन्हें रिक्त रखा जाएगा तथा आगामी चयन तक उन्हें आगे ले जाया जायेगा अथवा उनमें गैर अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अपने अध्यापन पदों पर नियुक्तियां, अपने-अपने समावेशन के अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों में निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, आयोग को, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अध्यापन पदों पर आरक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय को किसी प्रकार के अनुदेश अथवा मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी करने के लिए अधिकार नहीं देता है। फिर भी, आयोग ने 14–15 जुलाई, 1975 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षण करने के प्रश्न पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समिति की सिफ़ारिशों पर विचार करते हुए अपना यह मत प्रकट किया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों के लिए, विश्वविद्यालयों/कालेजों में लेक्चरारों के पदों पर भर्ती में आरक्षण किया जाना चाहिए, जो कि उक्त पदों के लिए निर्धारित योग्यताएं रखते हों और वे अन्यथा नियुक्ति हेतु उपयुक्त समझे गये हों। आयोग ने यह भी निर्णय किया

कि ऐसे आरक्षणों की क्रियावधि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार की जाए। आयोग ने अपना यह भी मत प्रगट किया कि अध्यापन पद बहुत देर तक रिक्त न पड़ रहें, इसलिए उक्त आरक्षणों को रोस्टर पद्धति के आधार पर नहीं चलाया जाए और न ही आरक्षित पदों को वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाना चाहिए।

जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध है, आरक्षण की क्रियाविधि पर विचार करने हेतु 24 अप्रैल, 1976 को कुलपतियों की समिति की बैठक बुलाई गई है। राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में, आयोग ने राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों तथा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 29 अगस्त, 1975 को पत्र लिखा है जिसमें उनके मार्गदर्शन के लिए आयोग ने इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

नई दिल्ली में जिला शिक्षा अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन

2002. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जिला शिक्षा अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन तीन दिन तक चला;

(ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारियों ने विज्ञान तथा गणित के शिक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि छात्र इस वैज्ञानिक युग के अनुरूप जिसमें वे रहते हैं, तर्क संगत दृष्टिकोण का विकास कर सकें;

(ग) क्या उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाह्य परीक्षाओं के जटिल प्रभाव को दूर किया जाये और शिक्षा के प्रत्याशित परिणाम के अनुरूप शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किये जायें; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार किस प्रकार इन सुझाव आदि को प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) सम्मेलन की सिफ़ारिशो को, उसमें भाग लेने वालों की टिप्पणियों तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखकर अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

सिफ़ारिशें चार वर्गों में बांटी गयी हैं, अर्थात (i) दस वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या, (ii) + 2 स्तर पर व्यावसायिकरण लागू करना, (iii) गैर औपचारिक शिक्षा, और (iv) जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन को सुदृढ बनाना। इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को भेजा जायेगा।

भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार

2004. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां 500 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी हैं तथा लिपिक संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी के वर्ग में उनका प्रतिशत क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां

(ख) भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 167 अधिकारी 500/-रुपये प्रति मास से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता लिपिक संवर्ग में लगभग 10.76 और चतुर्थ श्रेणी के पदों में 23.87 है ।

गन्ने के कीटों के लिये नया रसायन

2005. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना अनुसंधान केन्द्र, जालंधर ने, समस्त उत्तर भारत में व्याप्त 'टाप बोर' कीट को नष्ट करने के लिए, जो प्रारम्भिक चरणों में गन्ने की वृद्धि रोक देता है, कार्बोफ्यूरम (फ्यूरेजन) नामक एक नया रसायन तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) जालंधर स्थित गन्ना अनुसंधान केन्द्र ने कीटनाशक कारबोफुरान (फ्यूराडन) की प्रभावकारिता के बारे में जांच की है और पता लगाया है कि यह गन्ने के शीर्ष छेदक कीट की रोकथाम कर सकता है । यह रसायन इस केन्द्र में तैयार नहीं किया गया है बल्कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित रसायन है ।

गन्ने की फ़सल को बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं में कई कीट व्याधियो का सामना करना पड़ता है। छेदक कीटों से फ़सल को गम्भीर हानि पहुंचती है। शीर्ष छेदक कीट सारे भारत में फ़ैला हुआ है पर उत्तर भारत में इसका प्रकोप अधिक गम्भीर है। इस कीट का सम्पूर्ण जीवनचक्र अण्डे के प्रौढ़ावस्था तक सात सप्ताह का होता है और आमतौर पर फ़सल के एक मौसम में इसकी चार संततियां होती है । इन चार संततियां में से तीसरी संतति जो जुलाई के मध्य में नजर आती है सबसे अधिक विनाशकारी होती है । गन्ना अनुसंधान संस्थान, जालंधर में किये गये परीक्षणों के आधार पर पता चला है कि मिट्टी को कारबोफ़ुरान से उपचारित करने से कीट की इस संतति के हमले की रोकथाम की जा सकती है । यह कीटनाशक दवा जून के अन्तिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में तनों के नीचे के आधार के पास दी जाती है। एक बार दवा देने के लिए इसे नम मिट्टी में मिला कर दिया जाता है । रसायन देने के तुरन्त बाद खेत की सिंचाई कर दी जाती है । तीन वर्ष के आंकड़ों के आधार पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने 12 कि० प्रति एकड़ (व्यावसायिक उत्पाद) की मात्रा सुझाई है । फ़िर भी 1975 में अध्ययनों के आंकड़ो के फ़लस्वरूप पता चला कि इस मात्रा

को घटाकर 6 कि० प्रति एकड़ तक किया जा सकता है । कीट को पूरी तरह खत्म करने के लिए ठीक समय पर दवा देना बहुत महत्वपूर्ण है । अन्य प्रभावित क्षेत्रों में इस कीटनाशक रसायन की प्रभावकारिता पर परीक्षण किये जा रहे हैं ।

कार्बोफुरन (फ्यूराडन) एक व्यापक रूप से प्रभावकारी दैहिक कीटनाशक रसायन है और ज्वार के तनाछेदक, गाल फुलाई और धान के कई प्रमुख कीटों को खत्म करने में कारगर साबित हुआ है । यह 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण और तीन प्रतिशत दानों के रूप में मिलता है । मांस के साथ अन्दर जाने पर यह बहुत विषाक्त होता है । इसलिये बहुत खतरनाक है । कृषि विभाग की कीटनाशक रसायन पंजीकरण समिति ने सुरक्षा की दृष्टि से इसके दानेदार रूप में कैपसूल तैयार करने की स्वीकृति दी है । मांस के साथ अधिक विषाक्त होने के कारण इसे देते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहियें :—

1—हाथ के दस्ताने और काला चश्मा इस्तेमाल किये जाने चाहिएं ।

2—रसायन देने वाले व्यक्ति के हाथों में कोई घाव नहीं होना चाहिए ।

3—दवा देने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए ।

4—रसायन देते समय बीड़ी-सिगरेट न पी जाए और न ही कुछ खाया जाय ।

खुम्भी (मशरूम) की नई तकनीक

2006. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने खुम्भी का सस्ता और जनसाधारण को सुलभ उत्पादन करने के लिए एक तकनीक तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विश्वविद्यालय ने किसानों को उसकी तकनीकी जानकारी और बीज सामग्री दे दी है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) जी हां, विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक अवस्थाओं में उष्ण कटिबन्धीय खुम्भियों के उत्पादन के लिए एक सरल तकनीकी विकसित की है ।

(ख) सीमित साधनों के कारण अभी तक विश्वविद्यालय ने इस तकनीकी की जानकारी और इसकी बीज सामग्री केवल कानपुर और उसके आस पास के क्षेत्रों के कुछ ही लोगों को दिया है । जिसमें स्त्रियां भी शामिल हैं । देश के विभिन्न भागों के अनेक लोगों को भी उनके द्वारा पुछ-ताछ करने पर, इस तकनीक की सूचना दी गई है । इस पर और आगे विस्तार कार्य किया जा रहा है ।

जगन्नाथ पुरी मंदिर में मरम्मत का कार्य

2008. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगन्नाथ पुरी मंदिर (उड़ीसा) में प्रस्तावित मरम्मत कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस में किये गये मरम्मत कार्य का विवरण क्या है और उस पर अब तक कुल कितना धन खर्च हुआ है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जगन्नाथ मंदिर और उसी के आहते में लक्ष्मी मंदिर की मरम्मत का काम प्रगति पर है।

(ख) मरम्मत की निम्नलिखित मदों पर मार्च, 1976 के अंत तक 46,345 रु० की राशि खर्च हो चुकी है।

(1) मौलिक पत्थर की नक्काशी को उघाड़ने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर की बाहरी दीवारों के निचले भाग से चूने के पलस्तर को हटाना;

(2) उभरे हुए क्षतिग्रस्त पत्थरों को फिर से स्थापित करना और मरम्मत कराना;

(3) दीवारों में पानी के रिसने को रोकने के लिए चिनाई के खुले जोड़ों की टीप करना; और

(4) मुख्य मन्दिर की छत में रिसावों को रोकना तथा शिखर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करना।

लक्ष्मी मन्दिर के विषय में उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त रंगीन पुताई के साथ-साथ उत्कीर्णित पत्थरों के रासायनिक उपचार का काम भी ले लिया गया है।

उड़ीसा के लिये पृथक पुरातत्वीय सर्विज

2009. **श्री अर्जुन सेठी** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या सरकार उड़ीसा के लिये राज्य में कार्य-भार और ऐतिहासिक स्मारको के बेहतर अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक पृथक पुरातत्वीय सर्विज की स्वीकृति देने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : पुरातत्व की समीक्षा समिति (1965) में स्मारकों के और अधिक कुशलतापूर्ण रख-रखाव तथा प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सर्किलों के पुनर्विभाजन के लिए सिफ़ारिशें की थीं। सरकार ने समिति की सिफ़ारिशो को मंजूर कर लिया है। इन सिफ़ारिशों के अनुपालन में उड़ीसा के राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्वीय स्मारकों के रख-रखाव का काम पूर्वी सर्किल द्वारा किया जा रहा है।

खुले बाजार में चावल का मूल्य

2010. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की अच्छी फ़सल के बावजूद भी खुले बाजार में चावल के मूल्य कम नहीं हुए हैं और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों द्वारा मूल्यों के बारे में भारत सरकार को उपलब्ध की गई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि चालू विपणन मौसम के दौरान चावल के थोक मूल्यों में गिरावट आयी है। देश के अधिकांश भागों में पिछले विपणन मौसम की इसी अवधि के दौरान चल रहे मूल्यों की तुलना में इस समय मूल्य कम चल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश को चीनी का कोटा

2011. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि राज्य को चीनी का पूरा कोटा दिया जाये जिससे जनता की मांग पूरी की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) अनेक तथ्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न राज्यों को लेवी चीनी के आवंटन करने का निर्णय किया जाता है जिनसे देश में दी गई कुल लेवी चीनी, प्रत्येक राज्य में चीनी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, चीनी की खपत के सामान्य प्रतिमान आदि तथ्य शामिल हैं। सरकार स्थिति की बराबर समीक्षा करती रहती है।

Ban on Cow Slaughter

2012. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) obstacles Government are encountering in banning cow slaughter; and

(b) States which have not banned cow slaughter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (*a*) The subject of preservation, protection and improvement of stock in Entry 15 of List II in the VII Schedule of the Constitution, is a State subject and, therefore, the attention of the States/Union territories has been drawn towards the implementation of Article 48 of the Constitution as interpretted by the Supreme Court. However, a Committee on Cow Protection has been constituted to examine the matter from all aspects and make its recommendation to the Government. The Committee is expected to submit its report to the Government by 31st May, 1976. Suitable legislation will be initiated after the Committee has submitted its report and the Government have taken a decision on its recommendations.

(b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Delhi Schools functioning in Tents

2013. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(*a*) number of schools in Delhi which are functioning in tents now; and

(*b*) reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (*a*) The requisite information as furnished by the Delhi Administration, New Delhi Municipal Committee, Delhi Cantt. Board and Delhi Municipal Corporation is as follows :—

(*i*) Delhi Administration	64 schools are functioning purely in tents and 97 schools are functioning partly in tents and partly in buildings.
(ii) New Delhi Municipal Committee	5 schools are functioning in tents.
(iii) Delhi Cantt. Board	All schools are functioning in buildings.
(iv) Delhi Municipal Corporation	130 schools are running purely in tents and 30 schools are functioning partly in tents.

(b) The reasons for running the schools in tents are :—

(i) Difficulties in procurement of land.

(ii) Delay in completin the formalities in obtaining sanctions/clearance of lay out/Building Plans from the local bodies and the Delhi Urban Art Commission.

(iii) Paucity of Funds.

Statues of Britishers in Delhi

2014. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(*a*) the number of statues of the Britishers which still remain installed in Delhi; and

(*b*) reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) All the Statues of the Britishers were removed from the places where these had been installed. However, after removal, these had to be kept somewhere. Hence these were kept in the Kingsway park. This does not amount to installation.

(*b*) Does not arise.

Land under wheat cultivation

2015. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(*a*) whether, due to fall in wheat prices, farmers have decided to grow wheat in lesser area;

(*b*) whether they have diverted to the production of mustard, gram, linseed, soyabean, etc. and

(*c*) if so, steps Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (*a*) Final estimates of area sown to different rabi crops during 1975-76 have not yet become available. However, according to available reports, are a under wheat during the year is expected to register an increase as compared to 1974-75.

(b: & (c).) Do not arise.

2016. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों को भू कटाव के कारण खाद्यान्नों में भारी हानि का सामना करना पड़ता है;

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इन उपायो से भू कटाव रोकने में कहां तक सफ़लता मिली है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भू कटाव की समस्या वायु तथा जल के कारण देश के प्रत्येक राज्य में किसी न किसी रूप में पाई जाती है । भूमि सर्वेक्षण द्वारा पूरे देश का सर्वेक्षण कर लेने के पश्चातही इस प्रकार के क्षेत्रों के राज्यवार वितरण के अनुमान लगाए जा सकते हैं । सर्वेक्षण काम जारी है ।

(ख) तथा (ग) देश में मृदा की क्षमता में कमी की समस्या को मृदा तथा जल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सुलझाया जा रहा है । इसका तात्पर्य यह है कि मृदा को उसकी उर्वरा क्षमता के अनुसार प्रयोग करके और निम्नलिखित साधनों जैसे कि बांध बनाना, मेड बनाना, गली नियंत्रण, जल उपयोग, लवणीय-क्षारीय भूमि सुधार, वनरोपण और चरागाह विकास से मृदा की सभी प्रकार की कमियों को दूर किया गया है । मृदा और जल सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि के प्रारम्भ से शुरू किया गया था । 1975-76 के अन्त तक 219 लाख हैक्टार का क्षेत्र 422.03 करोड़ रुपये के कुल खर्च से पूरा किया जाना था । वास्तविक उपलब्धियों तथा खर्च का योजनावार विस्तृत व्यौरा नीचे दिया गया है :—

(क्षेत्र दस लाख हैक्टारों में और रूपये करोडों में)

अवधि	उपचार किया गया क्षेत्र	खर्च
प्रथम योजना . . .	0.30	1.60
द्वितीय योजना	1.28	20.36
तृतीय योजना	4.49	77.42
1966—69	4.59	86.79
चतुर्थ योजना . . .	8.19	162.46
1974-75	1.12	39.27
1975-76 . . .	1.93	34.13
जोड़ . . .	21.90	422.03

पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि, अर्थात् 1974-75 से 1978-79 के दौरान मृदा और जल सर्वेक्षण कार्यक्रमों को और भी तीव्र किया गया है । सम्पूर्ण अवधि के दौरान लगभग 50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 278.28 करोड़ रुपये के परिव्यय से पूरा किया जाना है ।

उत्तरी बिहार में चीनी के कारखानों का बन्द होना

2017. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उत्तरी बिहार में 26 चीनी कारखानों में से 21 कारखाने घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) क्या इनमें से बहुत से कारखाने इस सीजन में बन्द रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का बिहार में चीनी उद्योग को बचाने के लिये क्या तत्काल उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). उत्तरी बिहार की कई एक फैक्टरियों के अद्यतन तुलन-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुये हैं जिससे हानि की मौजूदा स्थिति का पता लग सके । तथापि, यह सामान्य जानकारी है कि गत वर्षों में गन्ना विकास पर कम ध्यान देने और संयंत्र तथा मशीनरी पुरानी हो जान के कारण उत्तरी बिहार की अधिकांश चीनी फ़ैक्टरियां लाभ पर नहीं चल रही हैं । चालू मौसम के दौरान, दो फ़ैक्टरियों ने तो बिलकुल ही पिराई नहीं की । राज्य सरकार को इस मामले की पूर्ण जानकारी है और इस बात की जांच कर रही है कि इस स्थिति में कैसे सुधार लाया जाये । भारत सरकार भी देश के पुराने चीनी यूनिटों का पुनर्वास और आधुनिकीकरण करने के बारे में विचार कर रही है ।

ओलम्पिक खेलों के लिये खिलाड़ियों का चुनाव

2018. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओलम्पिक खेलों के लिये खिलाड़ियों के चयन के क्या मानदंड हैं ;

(ख) क्या इन मानदंडों का ठीक ठीक पालन किया जाता है ; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). ओलम्पिक खेलो के लिये खिलाड़ी भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा चुने और प्रायोजित किये जाते हैं , जो कि एक स्वायत्त संगठन है । उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार संघ ने निर्णय किया है कि आगामी मोंट्रियल ओलम्पिक खेलों के लिये नियमानुसार, केवल उन खिलाड़ियों को प्रायोजित किया जाएगा जो अपने इस समय के निष्पादन के अनुसार, 1972 के म्यूनिख ओलम्पिक खेलों में कम से कम छठा स्थान प्राप्त किया हो । भारतीय ओलम्पिक सघ ने सभी राष्ट्रीय फ़ेडेरेशनों तथा संघों को उसके द्वारा तैयार की गई चुनाव कसौटी को कड़ाई से अनुपालन करने के लिये पहल ही सूचित कर दिया है ।

सम्बन्धित खिलाड़ी को ग्रामीण अथवा शहरी पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना ओलम्पिक खेलों के लिये खिलाड़ियों का चयन का आधार निष्पादन पर है । 1976 के मोंट्रियल ओलम्पिक खेलों के लिये चयन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

संस्कृति और पाली के लिये वित्तीय सहायता

2019. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी केन्द्रीय योजना है जिस के अंतर्गत संस्कृत और पाली को प्रोत्साहन देने में लगी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का संक्षिप्त प्रारूप क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख). सरकार पाली सहित संस्कृत की प्रोन्नति के लिये अनेक योजनायें कार्यान्वित कर रही है। इस दिशा में उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :—

(i) मंत्रालय द्वारा पूरी वित्तीय सहायता प्राप्त एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान स्थापित किया गया है जो विद्यापीठों को चलाता है। इन विद्यापीठों में स्नातकोत्तर तक की कक्षायें आयोजित की जाती हैं और अनुसंधान कार्य भी किया जाता है।

(ii) स्वैच्छिक संस्थाओं, गुरूकुलों आदि को विभिन्न परियोजनाओं के लिये सहायक अनुदान दिये जाते हैं। -

(iii) छात्रों को परम्परागत पाठशालाओं में अध्ययन करने के लिये तथा विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य करने हेतु छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन के लिये तथा संस्कृत पत्रिकाओं को विषयवस्तु और कोटि में सुधार करने एवं अप्राप्य संस्कृत पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। संस्कृत की पाण्डुलिपियों की विषयसूचियां तैयार करने तथा दुर्लभ पाण्डुलिपियो को प्रकाशित करने के लिये भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में विवरण

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10613/76]

गैर-आवासी भारतीयों को भारत में औद्योगिक. परियोजनाएं स्थापित करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विवरण

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : : मैं गैर-आवासी भारतीयों को भारत में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिये दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10614/76]

सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 274 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा एक का व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10615/76]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 255 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10616/76)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 126(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 10617/76]

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचिन के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 10618/76]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन नियम

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटास्वामी : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उप धारा (3) के

अंतर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति, जो दिनांक 13 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 394 में प्रकाशित हुए, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 10619/76]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमान, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 1 अप्रैल, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1976 को पास किये गये बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा 1 अप्रैल, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 मार्च, 1976 को पास किये गये बेतवा नदी बोर्ड विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(तीन) कि राज्य सभा 31 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1976 को पास किये गये लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1976 को पास किये गये लौह अयस्क खान और मैंगनिज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकार विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1976 को पास किये गये बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(छः) कि राज्य सभा ने 1 अप्रैल, 1976 की अपनी बैठक में कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया है।

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL

राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

महासचिव : मैं कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक 1976 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

अनुदानों की मांगें, 1976-77—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—contd.

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय—जारी

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : श्रीमान नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि वह राष्ट्र के वाणिज्य और उद्योग के प्राण हैं। परन्तु यह तभी संभव है जब अन्तर्देशीय नौवहन व्यवस्था का समुचित विकास किया जाए। अतः मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि वह राज्य बोर्डों और केन्द्रीय बोर्ड के माध्यम से इसके विकास के लिये उचित कदम उठाये।

मेरे अपने राज्य में ही बहुत सा सामान सड़क परिवहन द्वारा लाना ले जाना पड़ता है, जिसकी लागत जल परिवहन से चार गुना और तेल परिवहन से तीन गुना होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि देश के उस भाग में जल नौवहन के विकास के लिये उचित मार्ग दर्शन, तकनीकी जानकारी और वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। गोहाटी और आसाम के अन्य भागों से कलकत्ता चाय, पटसन आदि भेजने के लिये बंगला देश में से होकर जल परिवहन मार्ग को पुनः खोला जाना चाहिए क्योंकि इस पर नौवहन लागत बहुत कम आती है और साथ ही रेल और सडक परिवहन से माल भेजने में चोरी और दुर्घटनाओं आदि के परिणामस्वरूप होने वाली हानि से भी बचा जा सकता है।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि किसी मार्ग को राष्ट्रीय राजपथ मानने के मापदण्ड ये हैं, राज्यो के बीच उसका सम्पर्क स्थापित करना या किसी विदेश से सम्पर्क मार्ग होना, या उसका सामरिक महत्व होना। आसाम में ब्रह्मपुत्र के उत्तरी ओर अमीनगांव से जोनाई एक सड़क जाती है जो उत्तरी टंक मार्ग कहलाता है। यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और इस सड़क के समानान्तर एक रेलवे लाइन का चीनी आक्रमण के समय निर्माण आरम्भ किया गया था, जोनाई पहले नेफा में था और वह सीधे आसाम के राज्यपाल के नियंत्रणाधीन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह क्षेत्र आसाम को हस्तांतरित कर दिया गया और अभी हाल तक वहां कोई लगान आदि नहीं था। इस क्षेत्र में 90 प्रतिशत जनजातीय लोग रहते हैं। शिलापत्थर से जोनाई तक के 70 किलोमीटर मार्ग पर मिट्टी तो बिछाई जा चुकी है परन्तु मार्ग में पड़ने वाली कुछ नदियों पर पुल नही बनाये गये हैं। इससे लोगों को मुख्यालय को तथा अन्य नगरों के बीच आने जाने में जनता को कठिनाई होती है? लोगों को नौकाओं से जाना पड़ता है। इससे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी परेशानी होती है क्योंकि आसाम के पूर्व और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के भाग और एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिये उन्हें ब्रह्मपुत्र को पार करना पड़ता है। संचार की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय दक्षिणी किनारे पर स्थित है। विद्यार्थियों और अध्यापकों को नौकाओं और स्टीमर से नदी पार करनी पड़ती है। एक प्रकार से शिलापत्थर से सोनारीघाट तक की सड़क राष्ट्रीय राजपथ योजना के अन्तर्गत आती है। परन्तु इसे राष्ट्रीय राजपथ घोषित नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि सामरिक महत्व, क्षेत्र के पिछड़ेपन और इसके जनजातीय क्षेत्र होने को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया जाना चाहिए।

[श्री विश्व नारायण शास्त्री]

1975 में केन्द्रीय सड़क निधि में से आसाम के लिये 612 लाख रुपए नियत किये गये थे परन्तु वास्तव में केवल 357 लाख रुपए खर्च किये गये । इसके क्या कारण हैं । मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये कि जो धन नियत किया जाता है उसका उपयोग हो । 1974–75 और 1975–76 में नई सड़कों के लिये 175 लाख रुपए और सड़कें चौड़ी और मजबूत करने के लिये 109 लाख रुपए नियत किये गये, जो मेरे विचार में बहुत कम थे । मंत्री महोदय को इस क्षेत्र का दौरा करना चाहिये ताकि उन्हें इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता समझ में आ सके और इस क्षेत्र में आवश्यक सुधार किये जा सकें ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर): मेरे पास यह थोड़ा सा जो समय है इसमें मैं एक या दो महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी विषयों का उल्लेख करूंगी । कलकत्ता पत्तन की स्थिति बहुत ही खराब है । यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक मंत्रालय इस ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं देगा । मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि कलकत्ता पत्तन की स्थिति में शीघ्र सुधार होने की आशा नहीं है । इसलिए मेरे विचार से हमें इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए । कलकत्ता में अधिक मात्रा में माल उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए तथा उस माल की तुरन्त निकासी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

हल्दिया और कलकत्ता पत्तनों के प्रशासन को अलग-अलग करने की बात सोची जा रही है । यह खेदजनक है । इस बात को शायद सभी जानते हैं कि मुख्य पत्तन के साथ एक सहायक पत्तन भी होना जरूरी है । हल्दिया पत्तन कलकत्ता पत्तन का सहायक पत्तन है । विश्व में कहीं भी एक ही नदी पर दो मुख्य पत्तन नहीं हैं । इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार, वहां की वाणिज्यिक संस्थाएँ, श्रमिक वर्ग सभी यह मांग कर रहे हैं कि इन दो पत्तनों का प्रशासन अलग नहीं किया जाना चाहिए । और इनका एक ही प्रशासन बना रहना चाहिए । सरकार को इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए तथा पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां के लोगों की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए । दोहरा प्रशासन स्थापित करने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए । हम चाहते हैं कि हाल्दिया को कलकत्ता का सहायक पत्तन बनाया जाये । ये दोनों मिल कर कलकत्ता की समस्या हल करें ।

कोचीन विशेष टैंकर बर्थ मूलतः 1970 में स्वीकृत किया गया था । भारतीय जहाजरानी निगम और तेल निगम का विचार था कि इसकी स्थापना से हम 14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे । लेकिन अब तक पता चला है कि संसाधनों के सीमित होने के कारण इस परियोजना को छोड़ दिये जाने की आशंका है यद्यपि इस विषय में प्रधान मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिये थे । इस सारे मौसमों में कार्य करने वाले पत्तन के नौवहन मार्ग को, जिसमें रेत और गाद भर गई है, साफ करवाना बहुत आवश्यक है । 'टैंकर बर्थ' का कार्य जिम्मेदारी की भावना से शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए । इस प्रकार की राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के लिए धन की व्यवस्था करनी ही होगी । मुझे आशा है कि मंत्रालय इसके लिए संसाधन अवश्य जुटायेगा । धन उपलब्ध न होने का बहाना बना कर आप अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते । उपलब्ध संसाधनों का विकास करने और उनमें वृद्धि करने की बजाय आप इस प्रकार से उनकी उपेक्षा करते

हैं । आपका दृष्टिकोण समग्रतावादी होना चाहिए । प्रधान मंत्री का आश्वासन राष्ट्रीय वचनबद्धता है और इसका धन के अभाव का बहाना बना कर उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए ।

जहां तक पारादीप बन्दरगाह का सम्बन्ध है, वहां मछली पकड़ने के लिए बन्दगरगाह बनाने की बात सरकार एक लम्बे अर्से से करती आ रही है । इस परियोजना का क्या बना ? बजट पत्रों एवं निष्पत्ति बजट पत्रों में इस परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है ।

श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में शामिल करने के बारे में कहा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए कार्य दल बनाये जायेंगे, क्या आपने हाल ही में इस बात का कोई जायजा लिया है कि ये कार्य कर भी रहे हैं या नहीं और यदि कर रहे हैं तो किस प्रकार की इस सम्बन्ध में कुछ दुःखद घटनाएं घटी हैं । अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की विजागपत्तन कर्मकार यूनियन के एक प्रतिनिधि ने बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि चेयरमैन ने उस पर फाइल फेंको थी । क्या मजदूरों को इसी प्रकार भागीदार बनाया जा रहा है ? इसी प्रकार की गारण्टो उन्हें दी जा रही है। सरकार को कर्मचारियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए और इस प्रकार की विद्यमान कठिनाइयां दूर की जानी चाहिएं । प्रबन्धकों में स्वच्छता लाई जानी चाहिए और मजदूरों को नीति निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए ।

सड़क परिवहन की हालत भो बहुत खराब है । सड़कें टूटी हुई हैं । पुलों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता । फलस्वरूप वाहनों को क्षति पहुंचती है और निर्माता धन समेटते हैं । अनेक गांवों में सड़कें नहीं हैं । उन्हें मुख्य सड़कों से नहीं जोड़ा गया है । इस बारे में भी धन के अभाव की दलीलें दी जाती हैं । यदि आपकी योजना सही है तो धन भी उपलब्ध हो सकता है । सारा धन तो ठेकेदार हजम कर जाते हैं। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।

दिल्ली परिवहन की हालत भी खराब है । वाहनों की दशा भी बिगड़ी हुई है । इससे वातावरण भी दूषित हो रहा है । कर्मकारों को हतोत्साहित किया जा रहा है । उनसे सुधार के लिए सुझाव नहीं मांगे जा रहे हैं । इस परिवहन की बसों के रखरखाव की ओर ध्यान देने की जरूरत है । कर्मकारों के निर्णयों को अमल में लाने में विलम्ब क्यों किया जाता है । ड्राइवरों के लिए दो वेतन मान रखने की क्या जरूरत है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? इन सब तथ्यों की जांच होनी चाहिए ।

जहां तक अन्तर्देशीय जल परिवहन का सम्बन्ध है, हमारे देश की परिवहन व्यवस्था में इसका बहुत ही मत्हवपूर्ण स्थान है । इसमें सुधार लाने के लिए रेलों, सड़कों, पत्तनों और अन्तर्देशीय जल परिवहन में तालमेल रखा जाना चाहिए । एक समग्र योजना बनानें में क्या कठिनाई है ? यदि हम अपने उद्योगों का विकास करना चाहते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाना चाहते हैं, विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें अपनी परिवहन व्यवस्था को सुधारना होगा । इस लिए मंत्रालय को प्रगतिशील कदम उठाने चाहिएं ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): It is regrettable that enough attention has not been paid to the development of inland water transport in the backward areas surrounded by rivers where there are no railway and road links. Two Committees namely Bhagwati Committee and Gokhale Committee have been appointed in the past to go into this question, but their reports have been thrown in the waste-paper basket, nothing concrete has been done for the development of inland waterways. Even the department created for the purpose is still temporary. Its employees are temporary. They have not been confirmed. People are appointed there on deputation, who come and go.

A service had been introduced between Patna and Ghazipur on experimental basis. But it is not being run properly because most of the people working therein are deputationists who do not pay adequate attention to the work. This state of affair should be improved.

When Shri Raj Bahadur was the incharge of this Ministry, he had said that a Bill would be brought to declare the Ganga as a national waterway. His successor Shri Tripathi had also assured the House that the matter would be expedited. But the Bill has not come yet. It is high time that greater attention is paid to this matter.

It is difficult to agree to the view that inland water transport is costlier than other modes of transport. In fact it is not only cheaper but job-oriented also. Let this be got inquired into by the National Council of Applied Economic Research.

The Jhelum should be declared as national waterway since there is no other means of transport in Kashmir. It is not a wise thing not to declare waterway from Calcutta to Allah abad. The construction of a bridge on the Ganga at Buxar has been going on for the last five years. It should be expedited. In fact it should have been completed three years ago.

There is great need of setting up a Centrally sponsored backward areas road and bridge Corporation to undertake the construction of roads and bridges in backward areas. Unless such a body is constituted, these areas are not likely to develop.

***श्री एम० एस० शिवस्वामी** (तिरुचेंदूर) : मंत्रालय के वर्ष 1975–76 के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि तूतीकोरिन पत्तन परियोजना 1976–77 के अन्त तक पूरी हो जायेगी । इस परियोजना की अनुमानित लागत 46 करोड़ रुपये है और अब तक 35.29 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । जब इस बजट में शेष 10.71 करोड़ रुपये की राशि का उपबन्ध ही नहीं है तो यह परियोजना 1976–77 के अन्त तक कैसे पूरी हो जायेगी । मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें ।

इस सम्बन्ध में जो भी स्थिति हो इस परियोजना को वर्ष 1976–77 के अन्त तक समाप्त किया जाना चाहिए ।

महोदय, तूतीकोरिन बन्दरगाह से नमक ही निर्यात की मुख्य मद है ; पिछले वर्ष 1,53,236 टन नमक तूतीकोरिन से कलकत्ता भेजा गया । इस वर्ष नमक का निर्यात और अधिक होने की सम्भावना है क्योंकि सुदूर-पूर्व देश जैसे सिंगापुर और इंडोनेशिया आदि के साथ नमक निर्यात सम्बन्धी समझौते हुए हैं । इन देशों को लगभग 3 लाख टन नमक निर्यात होने की सम्भावना है । किन्तु मुझे डर है कि नमक के निर्यात में शीघ्र ही गिरावट आ जायेगी क्योंकि तूतीकोरिन में अन्य उद्योगों की स्थापना करने के लिये भूमि का अर्जन किया जा रहा है । इस प्रकार नमक उत्पादक क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । यहां पर 1000 एकड़ भूमि उद्योग समूह स्थापित करने के लिये अर्जित की जा चुकी है यदि इस प्रकार उद्योगों के लिये भूमि का अर्जन किया जाता रहा तो इससे नमक के

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil

उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । इसके साथ 10,000 कर्मचारी जो नमक उद्योग में लगे हैं, बेकार हो जायेंगे । भविष्य में 4,000 एकड़ भूमि उद्योगों के लिये अर्जित किये जाने की सम्भावना है । अतः मैं नौवहन और परिवहन मन्त्री से अपील करूंगा कि वह तूतीकोरिन से निर्यात होने वाली इस मुख्य मद को उत्पन्न हो रहे खतरे पर विचार करे और उद्योग मन्त्री को यह सिफारिश करे कि तूतीकोरिन में भूमि अधिग्रहण बन्द किया जाये और नये उद्योगों की स्थापना के लिये वहां पहले से विद्यमान नमक उद्योग का दमन न किया जाये, नमक निर्यात बढ़ा कर 10 लाख टन भी किया जा सकता है तथा तूतीकोरिन पत्तन परियोजना पर कुल अनुमान की 75 प्रतिशत राशि व्यय भी की जा चुकी है । मन्त्री महोदय इस सदन को आश्वासन दें कि इस वर्ष के अन्त तक शेष 25 प्रतिशत राशि भी इसके लिए आवंटित कर दी जायेगी ।

महोदय, तूतीकोरिन में एक बड़ा और एक छोटा दो पत्तन हैं । तूतीकोरिन में सूत मिलें भी हैं और यहां से उत्पादित कपड़े का कोचीन तथा मद्रास बन्दरगाह के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है । जबकि भाड़ा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत तूतीकोरिन से दो सौ मील दूरी पर बन रहा कपड़ा तूतीकोरिन बन्दरगाह के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है । इस योजना के लागू होने से पहले कोयम्बतूर, उद सलापेटट्ई, करूर तथा अन्य स्थानों का सूती कपड़े का सामान तूतीकोरिन बन्दरगाह से निर्यात किया जाता था । अतः तूतीकोरिन में उत्पादित सामान के मामले में भाड़ा प्रोत्साहन योजना बाधक बन गई है । इसे समाप्त किया जाये ।

हमारे समुद्र तट के साथ-साथ यात्री तथा माल यातायात सेवाएं आरम्भ करने की बहुत आवश्यकता है । किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यदि ऐसी यात्री यातायात सेवाऐं आरम्भ हो जाये तो रेल यातायात में भीड़ कम हो जायेगी।

कल के समाचार पत्रों में मैंने पढा है कि एक समुद्रतट रक्षक योजना शीघ्र ही चालू की जायेगी । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि तूतीकोरिन श्रीलंका से मात्र 60 मील दूरी पर है तथा पूर्वी तट पर यह रक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील स्थिति में है इसलिये उसे नौसेना का अड्डा बना दिया जाना चाहिये । यदि दक्षिण के खतरे को दूर करना है तो यह अनिवार्य है । इसी प्रकार मद्रास होकर कन्याकुमारी से कासी तक समुद्र तटीय सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना चाहिए।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : सड़क निर्माण के मामले में देश के बहुत से भागों में भारी असमानता व्याप्त है । जबकि कुछ क्षेत्रों में समतल सड़कों की प्रतिशतता 95 है तो नेफा और अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ दूसरे क्षेत्रों में यह 4 से भी कम है । इस प्रकार की असमानता दूर की जानी चाहिए ।

यह बड़े ही खेद की बात है कि सड़क परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत आदिवासियों तथा अन्य पददलित लोगों की अत्यधिक उपेक्षा की गई है । मंत्री महोदय को इस पर नये सिरे से विचार करना चाहिये और चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान कम से कम एक तिहाई समतल सड़कें बनाने का न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त करना चाहिये ।

मन्त्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ राज्य मोटरगाड़ी कर अधिक दर से वसूल कर रहे हैं । उदाहरणार्थ कर्नाटक में 5 टन की क्षमता वाले ट्रक पर 3600 रुपये वार्षिक देना पड़ता है जो तीन सौ रुपये मासिक पड़ता है । लेकिन त्रिपुरा में इसी ट्रक पर केवल 200 रुपये कर देना पड़ता है । यह भेदभाव दूर किया जाना चाहिये अतः समूचे देश में समान कर लगाना चाहिये । यह भी खेद की बात है कि ट्रक चालकों का कोई संगठन नहीं है जिससे कि वे अपनी सेवा की शर्तों में सुधार करने हेतु कोई सार्थक कार्मिक संघ बना सकें । कुछ ट्रक चालक तो एक दिन में 22 घन्टे तक ट्रक चलाते हैं इस प्रकार आप ऐसे लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं जो ट्रक चलाता चलाता उंघता रहता है क्योंकि उसे दिन के अधिकांश घन्टे ट्रक चलाना पड़ता है । शायद इसलिये ही सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं । हमने कल ही सुना है कि आसाम में 50 व्यक्ति डूब गये । यह इसलिये हुआ कि जिस ट्राली में लोग सफर कर रहे थे उसे एक ट्रेक्टर द्वारा चलाया जा रहा था और वह ट्राली ट्रैक्टर से अलग हो गई । कर्नाटक में भी एक दुर्घटना हुई है जिसमें यात्री एक घाटी में गिर गये । होशियारपुर में भी एक ऐसी ही दुर्घटना हुई है । इन सब का कारण यह है कि चालकों की सेवा शर्तें अच्छी नहीं है । मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में एक विधेयक ला रहे हैं । किन्तु सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चालकों का एक संघ बनाया जाये । अगर इसमें राजनीतिक दल रुचि नहीं लेते तो सरकार को आगे बढ़ कर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये और संघ बना कर चालकों की सेवा शर्तों में सुधार लाना चाहिये ।

मैं समुद्रतट के निकट क्षेत्र से सम्बन्धित हूं । मैं अपना समय पत्तन और जहाजरानी के विषय को देना चाहता था किन्तु मैंने सड़को की समस्या के बारे में बोल कर काफी समय बिता दिया है । जहाजरानी के सम्बन्ध में दिये जा रहे 70 करोड़ ऋण में से 8.62 करोड़ रुपये सहायता के लिये दिये जा रहे हैं । वित्त मन्त्री ने एक नया सिद्धान्त प्रस्तुत किया है । उन्होंने कहा है कि उर्वरकों तथा भारतीय खाद्य निगम के व्यापार में वित्त लगाने के बजाय अब राष्ट्रीय बैंकिंग ढांचा इस भार को वहन करेगा । आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते जिससे जहाजरानी व्यापार में वित्त लगाने का भार भी भारतीय बैंकिंग पद्धति ही वहन करे ।

परिचालित किये गये प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि पत्तन से लाभ सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है । अगर अब इस पर विचार करना था तो इस योजना को छः वर्ष पहले क्यों बनाया गया था ? अब आप यह कह रहे हैं कि इससे लाभ होगा या नहीं ? इस परियोजना के लिये $5\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । शायद इसलिये कि हम चिल्ला नहीं सकते या हमारा उतना राजनीतिक प्रभाव नहीं है लेकिन इस प्रकार हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि इस परियोजना को इस योजना की अवधि में कार्यान्वित किया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं सभा का ध्यान अपने बड़े पत्तनों की स्थिति की ओर दिलाता हूं । 8 बड़े पत्तन संकट में हैं । बड़े पत्तनों के मामले में जांच करने के

लिये एक कार्यदल की नियुक्ति की गई थी। मुझे या सभा को इस बात का पता नहीं चला है कि इस कार्यदल के कार्य का परिणाम क्या रहा है। हमने यह देखा है कि बड़े पत्तनों की उत्पादकता स्थिर ही नहीं रही है अपितु इसमें गिरावट भी आई है। जब तक सरकार इन बड़े पत्तनों का जीर्णोद्धार नहीं करेगी, तब तक ये पत्तन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये लाभकारी के बजाय अलाभकारी ही बनी रहेंगी।

मैं प्रदीप पत्तन के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

उड़ीसा सरकार ने अपने अल्प संसाधनों से इस बड़े और गहरे पत्तन का निर्माण करके राष्ट्र को भेंट किया। परन्तु जब से यह भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया है, तब से इसका विकास नहीं हो रहा है।

यह दुःख की बात है कि केन्द्र द्वारा इस पत्तन का प्रशासन संभालने के बाद प्रदीप पत्तन के साथ सौतेली मां जैसा वर्ताव किया जा रहा है। इसकी एक लौह अयस्क सम्बन्धी गोदी है। यह संतोष का विषय है कि इस गोदी के विकास के लिये सरकार पत्तन न्यास प्राधिकरण के 5.30 करोड़ रुपये के और ऋण के लिये एक आवेदन पत्र पर विचार कर रही है। इस पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। एक दूसरी माल गोदी का भी निर्माण किया गया है परन्तु इसमें भाण्डागार सुविधा नहीं है। इसकी मांग की जाती रही है।

यद्यपि पत्तन रेलवे का काम पूरा हो चुका है, फिर भी पत्तन रेलवे भारतीय रेलवे के कर्मचारियों द्वारा चलाई जाती है। कर्मचारियों के पास रहने की जगह नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी पारादीप जायें तो उन्हें वहां मूल सुविधाओं रहित झोंपड़ियों का एक नगर मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं प्रदीप पत्तन का विकास क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री वयालार रवि (चिर्रायंकील) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिन मानानीय मंत्री श्री त्रिवेदी बता रहे थे कि किन कारणों से कोचीन में सुपर टैंकर गोदी परियोजना का विचार त्याग दिया गया। मंत्री महोदय ने इस सभा को यह बता कर गुमराह किया है कि कुछ देशों में पोतों में बीच समुद्र मे माल लादने या उतारने का कार्य हो रहा है और कोचीन तेल शोधक कारखानों में बम्बई हाई का कच्चा तेल प्रयोग किया जा सकता है। समुद्र के बीच में माल लादने या उतारने की व्यवस्था किसी देश में हमेशा नहीं रहती है। हो सकता है कि किसी देश ने अस्थायी रूप से यह व्यवस्था लागू की हो। कच्चा तेल समुद्र के किनारे या शोधक कारखानों तक ले जाना भी स्थायी बात नहीं है। यह भी सही है कि कोचीन में दो पावस ऋतुएं होती हैं, और समुद्र एक वर्ष में लगभग 8 महीने अशान्त रहता है।

उन्होंने यह कहा कि बम्बई हाई का कच्चा तेल कोचीन तेल शोधक कारखानों में प्रयोग किया जा सकता है ? जहां तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं हो सकता है । डिजाइन में परिवर्तन करने के लिये कोचीन तेल शोधक कारखाने में करोड़ों रुपये लगाने की आवश्यकता है । मुझे इसकी जानकारी इसलिये है क्योंकि मैं वहां यूनियन का अध्यक्ष रहा हूं ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : तब आप क्या इस्तेमाल में लाएंगे ।

श्री वयालार रवि : अब वे आबू धाबी और ईराक के कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं ।

दूसरी बात नौवहन विकास निधि की है । इसने अभी तक लगभग 429 करोड़ रुपये का भुगतान किया है जब कि 729 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं । मैं जलपोत अलाट करने की बात कहता हूं । एक जलपोत 29 लाख रुपये का है । धनराशि देने में इसने समुद्री विकास प्राधिकरण से भी परामर्श नहीं किया जो कि समुद्री उत्पादों पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है ।

भारतीय नौवहन निगम अपनी एजेन्सी प्रायः एक ऐसे व्यक्ति को देता है जिसके पास किसी प्राइवेट कम्पनी की कोई एजेन्सी नहीं है । कोचीन में एक ही व्यक्ति के पास भारतीय नौवहन निगम और प्राइवेट कम्पनी की एजेन्सी है जिससे निगम को लाभ नहीं हो रहा है ।

अन्त में मैं कोचीन में राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में एक अपील करना चाहता हूं। वहां शीघ्र ही एक उपमार्ग बनाया जाना चाहिए । राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर एक पुल की शीघ्र ही मंजूरी दी जाये और इस पर कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाये।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने को विवश हुआ हूं कि आमतौर पर देश के पूर्वोत्तर भाग और विशेषकर उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उपेक्षा की गयी है तथा परिवहन मंत्रालय ने भी इसकी काफी उपेक्षा की है । 1970 में एक केन्द्रीय दल ने बहराइच और गोंडा जिले की औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण किया और अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, कानपुर और लखनऊ में परिवहन अवरोधों को दूर करने के लिये घाघरा नदी पर घाघरा घाट में हर मौसम में उपयोगी एक सड़क पुल बनाना अत्यावश्यक है । मैं भी इसके लिये बल देता रहा हूं । परन्तु इसे बजट योजना में शामिल नहीं किया गया है । अतः मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि कम से कम पुल का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाना चाहिये, क्योंकि यह पिछड़े जिलों बहराइच, गोंडा और बस्ती तथा अन्य स्थानों के चहुंमुखी विकास के लिये अत्यावश्यक है । दूसरे जम्मू और कश्मीर को आसाम मार्गों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव ठीक नहीं हो रहा है । कुछ वर्षों के बाद यह

बेकार हो जायेगा और इसकी मरम्मत के लिये कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मेरा अनुरोध यह है कि इस सड़क के समुचित रख-रखाव की ओर ध्यान दिया जाये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : पत्तनों पर अनेक गैर-सरकारी गोदाम हैं जिनका उपयोग जमाखोरी और अवैध कार्यों के लिये किया जाता है। मैंने पहले भी इस बारे में उल्लेख किया था। क्या मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किये हैं कि पत्तन क्षेत्रों में कितने गोदाम हैं ? मैं चाहता हूं कि सरकार इन सभी गोदामों को अपने हाथ में ले ले और इन सबका उपभोग निर्यात किये जाने वाले माल को रखने के लिये किया जाये।

हमारे पास माल निर्यात करने के लिये पर्याप्त संख्या में जहाज नहीं हैं। कई बार हमें दूसरे देशों के जहाजों को किराये पर लेना पड़ता है जिस के लिये विदेशी मुद्रा के रूप में काफी धनराशि देनी पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं कि हम इस मामले में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

ट्रकों द्वारा माल ढोने के बारे में मुझे यह कहना है कि अधिकांश दुर्घटनायें सुबह होती हैं। अतः रात के 1 बजे के बाद इनके चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

श्री धामनकर (भिवंडी) : महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि रत्नगिरि पत्तन को सभी मौसम में काम आनेवाला पत्तन बनाया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया जायेगा, तो इससे लोगों की आवश्यकतायें पूरी होंगी। मुगल लाइन के पास दो जहाज हैं। 1965 में इसके पास पांच जहाज थे। वहां पर छोटे जहाज चलाये जायें, ताकि वे छोटे पत्तनों पर जा सकें। छोटे पत्तनों पर यात्रा सुविधायें भी जुटायी जायें।

सत्यतो, अगरदंड और ऐसे पत्तनों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। सत्यती में एक सहकारी समिति है। इसे छोटी नावें बनानी चाहिये। मछुओं की सहकारी-समितियां भी होनी चाहिये। बम्बई-पूना-बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग और बम्बई-नासिक-आगरा राज-मार्ग के विकास के लिये अधिक धनराशि मंजूर की जानी चाहियें, क्योंकि इन पर भारी यातायात होता है। महाराष्ट्र में परिवहन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं केवल दो बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। एक तो गोपालपुर पत्तन के बारे में है। इस पर कार्य धीमी गति से हो रहा है। इस पर कार्य तेज किया जाना चाहिये। दूसरे, पारादीप में मत्स्य बंदरगाह पर कार्य ठप्प नहीं होना चाहिए। सरकार को आवश्यक धनराशि देनी चाहिए। परादीप में 2000 से अधिक कर्मकारों के आवास स्थल गिरा दिये गये हैं और उन्हें इनके बदले में कोई और जगह नहीं दी गई है। अतः उनकी समस्या की ओर भी शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिए।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, a bridge is under construction on Ganga at Patna. Since this bridge is of great significance for the development of North and South Bihar, its construction should be expedited.

More attention should be paid to the development of inland water transport in Bihar because it is playing a very good role there. Certain demands of workers working there are pending with the Ministry. These demands should be sympathetically and favourably considered. Some arrangements should be made to enable the workers to participate in the management.

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : यह एक संयोग की बात है कि जहां आज हम नौवहन मंत्रालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहां आज हम 13वां राष्ट्रीय नौवहन दिवस भी मना रहे हैं । 57 वर्ष पूर्व वर्ष 1957 में इसी दिन 'लायलटी' नामक भारतीय वाणिज्य पोत बम्बई से यूनाइटेड किंग्डम के लिये रवाना हुआ था । स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय नौवहन ने भारी प्रगति की है । यह एक गर्व की बात है कि आज भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों की देख-रेख में भारतीय पोत सातों समुद्रों में तैर रहे हैं । मैं वाणिज्यिक नौवहन में लगे हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये शुभकामना करता हूं ।

1947 में सड़कों की कुल 3.8 लाख किलोमीटर लम्बाई थी जब कि इस समय यह 12.93 लाख किलोमीटर है । इस प्रकार इसमें 200 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है । इस क्षेत्र में हमारी सफलताएं बहुत अधिक होते हुए भी हम अमरीका, जर्मनी और जापान जैसे देशों का अभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं ।

पांचवीं योजना के अन्तर्गत राज्यों ने 43,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों के प्रस्ताव भेजे थे । वित्तीय साधनों के अभाव के कारण पहले इसे घटाकर 10,000 किलोमीटर और बाद में इसे और कम करके 6,000 किलोमीटर कर दिया गया क्योंकि योजना आयोग ने राष्ट्रीय राजपथों में वृद्धि करने के प्रस्तावों को तब तक लम्बित रखने के लिये कहा है, जब तक कि वित्तीय स्थिति मे सुधार नहीं हो जाता ।

गत 29 वर्षों में हमें राष्ट्रीय राजपथों का विकास करने के लिये 570 करोड़ रुपये मुश्किल से मिले । इससे हमने 4,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया, 22,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों की स्थिति में सुधार किया, 14,000 किलो मीटर लम्बी सड़कों पर दोहरे पथ की व्यवस्था करके उन्हें चौड़ा किया । पिछली योजना के अन्तर्गत बचा हुआ कार्य भी पूरा हो रहा है । 1976–77 में 200 किलोमीटर, सड़क के उड़े हुए भागों का पुनः निर्माण करने और 12.00 किलोमीटर दोहरा पथ बनाने की योजना है ।

जहां तक गावों और मुख्यालयों के बीच सम्पर्क सड़कों के निर्माण का सम्बन्ध है, इसके लिये हमारे पास 500 करोड़ रूपये हैं । यह रकम 1500 या इस के आसपास जनसंख्या वाले गांवों से राष्ट्रीय राजपथों तक सड़कें बनाने पर खर्च की जायेगी । पहाड़ी क्षेत्रों में कई गांवों को एक यूनिट मानकर चला जायेगा क्योंकि वहां की जनसंख्या कम और बिखरी हुई है ।

श्री डागा ने आलोचना करते हुए यह पूछा कि 2.5 करोड़ रुपये किस लिये चाहिये । उन्होंने शायद यह सोचा है कि यह समस्त राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में खर्च की जायेगी । वास्तव में प्रशासनिक व्यय के लिये तो केवल 93 लाख रुपये ही हैं जो कुल व्यय का केवल 0.77 प्रतिशत हैं । इतना कम प्रतिशत खर्च तो विश्व भर में कहीं भी नहीं है ।

केन्द्रीय सड़क संबंध के अधीन जो कार्य हो रहा है वह तो हमें संविधान के अन्तर्गत सौंपा गया है । इसके नियंत्रणाधीन जो सड़कें हैं वे कुल सड़क लम्बाई की छः प्रतिशत है और इन पर 30 प्रतिशत यातायात होता है। इस सम्बन्ध में यह भी बता दिया जाये कि जितनी निधि हमारे लिये आवंटित की जाती है उसका

अधिकांश भाग राज्यों को ही दे दिया जाता है क्योंकि सड़क निर्माण कार्य, चाहे वह राष्ट्रीय राजपथ हों या राज्य राजपथ हो अथवा कोई अन्य सड़क हो, राज्यों को सौंप दिया जाता है। हां, इस कार्य का अधीक्षण करने के लिये कुछ कर्मचारी हैं जो देश भर में केवल 9 स्थानों पर रखे हुए है जिन के माध्यम से हमें निर्माण कार्य की स्थिति का पता चलता रहता है। इस कार्य के लिये राज्य सरकारें हमारे से 7½ प्रतिशत खर्च लेती हैं। अब इसे बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। बल इस बात पर दिया जा रहा है कि लोक निर्माण विभागों में इस कार्य के लिये अलग संगठन होने चाहिये जिससे राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण कार्य अधिक सुचारू रूप से हो सके। एक ही संगठन होने से हमारे राजपथों की उपेक्षा होती है। कुछ राज्यों ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है और आशा है कि अन्य राज्य सरकारें भी इस के लिये राजी हो जायेंगी।

एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रको के आने-जाने पर 3,000 से 4,000 रुपये चुंगी आदि के रूप में व्यय करना पड़ता है। ट्रक वालों को न केवल अपना राज्य सरकार का ही अपितु उन सभी राज्यों में, जहां से वह ट्रक गुजरता है, कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है और इस प्रकार कुल मिलाकर 6,000 रुपये से ले कर 10,000 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिये राष्ट्रीय परमिट जारी करने का प्रस्ताव है। इस के अन्तर्गत ट्रक चालक 500 रुपये अपने राज्य को और 700 रुपये प्रति वर्ष एक ही स्थान पर देगा जो राशि बाद में अन्य राज्यों में बांट दी जायेगी जहां से वह ट्रक गुजरेगा। इससे ट्रक चालकों को बहुत सुविधा हो जायेगी क्योंकि उन्हें अब रास्ते में कहीं नहीं रुकना पड़ेगा। अब तीन तरह के परमिट जारी किये जाया करेंगे अन्तर्राज्यीय, प्रादेशिक और अन्तर्राज्यीय। इन परमिटों का आवंटन वैज्ञानिक आधार पर प्रत्येक राज्य में ट्रकों की संख्या को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

चुंगी को समाप्त करने और ट्रकों को बिना रोक-टोक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये पांच मुख्य मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया गया है। आशा है इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिया जायेगा। चुंगी को समाप्त कर दिया जायेगा और राज्य सरकारों ने जो भी कर लेना होगा वह एक ही स्थान पर ले लिया जायेगा। इस से ट्रक वालों का बहुत समय बच जायेगा और माल एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जाने लगेगा।

विभिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार की निरीक्षण चौकियां बनी हुई है। हमारा विचार है कि यह सारा कार्य एक ही चौकी पर हो जाये। इस प्रयोजन के लिये हमें बहुप्रयोजनीय निरीक्षण यूनिट स्थापित करने चाहिये जिससे ट्रक चालकों को अधिक स्थानों पर परेशान न होना पड़े। इससे समय की बचत होगी और इसके साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी।

ट्रक के अतिरिक्त, ट्रक चालकों, कंडक्टरों और क्लीनरों के लिये आराम करने के लिये कुछ स्थानों की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वे लोग कार्य के निश्चित घंटों के पश्चात् वहां पर जाकर आराम कर सकें। इस प्रयोजन के लिये मैंने एक संशोधन पेश किया है।

जहां तक दुर्घटनाओं का प्रश्न है, हम उनके कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण सड़कों का तंग होना और यातायात की अधिकता है। दूसरा ट्रक चालकों के लिये कार्य काल निश्चित किया जाना चाहिये। चूंकि उन्हें अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है इसलिये वे शराब पीते हैं। चाय की ऐसी दुकानें हैं जहां पर अफीम और अन्य औषधियां मिलाकर चाय तैयार की जाती है। इस प्रकार गन्तव्य स्थान की दूरी के अनुसार शराब भी कई प्रकार की मिलती है। हमें इन सब बातों पर निगाह रखनी होगी। शराब पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये शीघ्र ही एक संशोधी विधेयक पेश किया जायेगा।

स्कूटर चालकों को टोप पहनना चाहिये। यह भी कहा गया है कि बेल्ट की व्यवस्था होनी चाहिये। यह भी ठीक है। परन्तु अभी हम पहले शराब बन्दी के बारे में संशोध विधेयक द्वारा कुछ संशोधन पेश करने जा रहे हैं तत्पश्चात् इन बातों पर भी विचार किया जायेगा।

बुकिंग एजेंसियों का प्रश्न उठाया गया है। कहा गया है कि कुछ लोग दोनों पक्षों के लिए एजेंट का काम करते हैं। हम इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। बैल-गाड़ियों को नया रूप देने के बारे में भी हम विचार कर रहे है ताकि उनकी गति बढ़ाई जा सके।

दिल्ली परिवहन निगम के सम्बन्ध में मैं कई बार जानकारी दे चुका हूं। यह निगम जब हमें सौंपा गया तो वह करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहा था। मेरे आने से पहले इसमें 30 और 60 पैसे के समान दर टिकट प्रणाली लागू हो चुकी थी। इस प्रणाली को लागू किये अभी लगभग 6 मास ही हुए हैं। इसमें हमारी आशा के अनुकूल सफलता मिलने की सम्भावना नहीं है हम एक वर्ष पूरा हो जाने के बाद इस पर पुनः विचार करेंगे। वास्तव में इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हाल ही में हमने 24 करोड़ रुपये पूंजीगत आवश्यकता और 18 करोड़ रुपये मार्गोपायों के लिए अग्रिम के तौर पर दिये हैं। इसे और रुपया देना पड़ेगा।

जबसे यह निगम हमारे अधीन आया है तबसे हमने 1300 नई बसें इसकी फ्लीट में शामिल किये हैं। 700 पुरानी बसों का निपटान किया गया है। इस तरह हमारे पास 600 नई बसें रह गई हैं। अभी भी बसों की कमी है। यात्री बहुत हैं, भीड़-भाड़ बहुत रहती है। 250 मार्गों पर हमारी बसें चल रही हैं और इनकी 10–12 मिनट की सेवा है। ब्रेक-डाउन के प्रतिशत में भी कमी हुई है। हमने नये बह बस डिपो भी बनाये हैं। प्रत्येक डिपो में लगभग 100 बसें खड़ी की जाती हैं।

इस निगम को जो आय हो रही है वह संतोषजनक नहीं है। जून 1975 में इसकी प्रतिदिन आय 4.5 लाख रुपये थी और अब 6 लाख रुपये हो गई है। पर इसमें काफी अधिक वृद्धि होनी चाहिये जिससे कि हम कम से कम इसका खर्च पूरा कर सकें।

कलकत्ता पत्तन के बारे में आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इसकी परम्परागत प्रतिष्ठा और साख को कम होने नहीं देंगे। तीन योजनाओं के दौरान इस पर हमने लगभग 50 करोड़ रुपया व्यय किया है। हम इस विषय में सूक्ष्मता से विचार कर रहे हैं। इस पत्तन पर माल के लदान और निकासी की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। 1971 में इसकी आय केवल 26 करोड़ रुपये थी और अब 54 करोड़ रुपये है।

कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के प्रबन्ध के बारे में गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। इस बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। विशाखापत्तनम् और तूतीकोरीन में इस समय दो गोदियां हैं। एक और गोदी का निर्माण किया जा रहा है। नये और पुराने पत्तन, जहाजों आदि के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है। कोचीन सुपर टैंक की वही स्थिति है जो कि प्रधान मंत्री ने कोचीन में अपने भाषण में बताई थी।

एक माननीय सदस्य ने एक विशेष पाइनियर वर्ग के जहाजों का प्रश्न उठाया है। मैंने इस प्रश्न को नोट कर लिया है। कन्टेनरों के बारे में हम विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हम जर्मनी के साथ बातचीत कर रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि विशाखापत्तनम् शिपयार्ड को पर्याप्त क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं। पर हमारे पास पर्याप्त आदेश हैं जो 1978–79 तक के लिए काफी होंगे। हम और अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं।

संसदीय समितियों और विभागीय समितियों की सिफारिशों को लागू न किये जाने और उनकी अपेक्षा की जाने की बात कही गई है। तटीय नौवहन सम्बन्धी सिफारिशों पर विचार किया गया है और उन्हें लागू भी किया गया है। फिजी और फिलीपाइन को एक सेवा चालू करने सम्बन्धी सिफारिश को भी लागू किया गया है। भारत-लैटिन अमरीका मार्ग सम्बन्धी सिफारिश भी लगभग स्वीकार कर ली गई है। नये व्यापार मार्ग, जहाजरानी विकास निधि के ढांचे के पुनर्निर्माण, समितियां आदि सम्बन्धी सिफारिशों पर विचार हो रहा है और उन्हें अमल में लाया जा रहा है।

अन्तर्देशीय जलपरिवहन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जलपरिवहन परिवहन का अच्छा और सस्ता साधन है। पर इसके लिए घाटों का निर्माण करने, नदियों को गहरा करने, टर्मिनल बनाने आदि पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। एक ओर यह एक सस्ता साधन है दूसरी ओर बहुत महंगा। जैसे ही हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे हम इस ओर सबसे पहले ध्यान देंगे। अब भी हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं।

पुलों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का सुझाव दिया गया है। ये कार्य 1978 तक पूरे कर दिये जायेंगे। आसाम में नार्थ ट्रंक रोड का कार्य सीमावर्ती सड़क संगठन ने अपने हाथ में दिया है और यह लगभग पूरा हो चुका है। बक्सर पुल के बारे में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर अब वे कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं और पुल तैयार होने वाला है।

So far as I.L.O's recommendations are concerned, my colleague Shri Trivedi had given the information to the House. The I.L.O. has laid down a minimum of 48 pounds. We cannot compete with Japan, England and America.

Abut Patna bridge, a sum of Rs. 4.5 crores has already been provided. An amount of Rs. 7 crores has been kept in the CRF for 1976-77.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने कई कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। यदि कोई सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को अलग से न रखना चाहता हो तो मैं सभी को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नौवहन और परिवहन मंत्रालय की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Ministry of Shipping and Transport were put and adopted,

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	ी
		रु०	रु०
79	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	2,04,93,000	.
80	सड़कें	67,22,12,000	69,00,68,000
81	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	20,75,67,000	172,60,36,000
82	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	89,53,000	10,14,53,000

अनुदानों की मांगें 1976-77

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—*Contd.*

रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1976–77 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
20	रक्षा मंत्रालय . .	1,38,97,000	23,88,05,000
21	रक्षा सेवाएं—सेना	1374,79,78,000	..
22	रक्षा सेवाएं—नौ सेना . .	140,18,53,000	..
23	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	426,42,04,000	
24	रक्षा सेवाएं–पेंशनें	95,46,87,000	..
25	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		216,02,17,000

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा–पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा के लिये वर्ष 1976–77 के लिये कुल अनुमानित राशि 2703.89 करोड़ रुपये और शुद्ध राशि 2544 करोड़ रुपये है। 1975–76 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 1976–77 के कुल अनुमानों में 100.15 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इस संम्बंध में मेरा निवेदन यह है कि हमारी राष्ट्रीय नीति नियमित रूप से सेना के रखने पर होने वाले खर्च में कमी करने की होनी चाहिये। इस सेना में धीरे धीरे कमी की जानी चाहिये। इसके बजाय अधिकतम संख्या में नवयुवकों, पुरुषों और महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, ताकि जब देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो तो वे इसका मुकाबला कर सके। हमें केवल अपनी इस सेना पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये। इस मामले में हमें वियतनाम का अनुसरण करना चाहिये। सेना पर खर्च होने वाली धनराशि को हम विकास कार्यों में उपयोग करें। हमें साम्राज्य-वादियों की नीति का अनुसरण नहीं करना चाहिये।

केवल रक्षा बजट में वृद्धि ही देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये। हमारी नीति शांतिपूर्ण रहने की होनी चाहिये।

हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि देश की रक्षा शस्त्रास्त्रों और जनता पर ही निर्भर नहीं है, परन्तु कतिपय और भी बाते हैं। रक्षा सम्बन्धी बातें गोपनीय रखी जानी चाहियें।

रक्षा के मामले में मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। सरकार ने अपने एक प्रतिवेदन में यह कहा था कि महाशक्तियों की नौसैनिक उपस्थिति के कारण हिन्द महासागर तेजी से एक तनावपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। परन्तु ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने इस खतरे की गंभीरता को महसूस नहीं किया है।

लोक लेखा समिति के 167वें प्रतिवेदन में अमरीकी सैनिक गुप्तचर विभाग की अनुसंधान कार्यों के रूप में भारत में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। सरकार इस सम्बन्ध में कौन से एहतियाती कदम उठा रही है ? यदि सरकार बहुराष्ट्रीय निगमों को विकसित होने देगी, तो अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध कैसे निपटा जा सकेगा। यदि हमें कई बातों के लिये अमरीका पर निर्भर रहना पड़ेगा तो हम अपना स्वतंत्र रक्षा बल नहीं बना सकेंगे। अतः हमें यह नीति बदलनी चाहिये। हमें एशिया में साम्राज्यवादियों को चालों के खिलाफ़ स्पष्ट रूप से कहना चाहिये, क्योंकि दिएगो गर्सिया में अमरीका नौसैनिक अड्डे की उपस्थिति से भारत, एशिया और खाड़ी देशों को खतरा है।

हमें अपनी सेना को अपनी जनता का मित्र बनाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि सेना का उपयोग हड़तालों को कुचलने के लिये किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सेना इसके लिये नहीं है। इसका काम तो आक्रमक से लड़ना और देश की रक्षा करना है।

अम्बरनाथ के कार्मिक संघों के 18 नेता आंसुका के अधीन नजरबंद हैं। अन्य कारखानों के और लोग भी विरुद्ध हो सकते हैं। उनका कसूर क्या है ? उन्होंने तो प्रधानमंत्री को समयोपरि मजूरी आदि में कमी करने के सम्बन्ध में एक ज्ञापन पेश किया था। जिसकी वजह से उन्हे आंसुका के अन्तर्गत नजरबंद किया गया। उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।

रक्षा उत्पादन के कार्यकरण में कतिपय दोष है। एक 'डिजाइन तथा डेवलपमेंट सेल' बनाया गया है। इस 'सेल' की स्थापना सामान, पुर्जे, सामग्री का स्वदेशीकरण करने तथा आयुध/गोलाबारूद के सम्बन्ध में डिजाइन में होने वाले दोषों को दूर करने के लिये की गयी थी। इससे सरकार को काफी हानि उठानी पड़ी है। भविष्य में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जो भी योजना शुरु करे, उसका कारगर ढंग से कार्यान्वियन हो।

अब मैं रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों की कतिपय समस्याओं की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाता हूं। सरकार इस बात से सहमत हो गयी थी कि 1-2-68 से शिक्षित रक्षा कर्मचारियों को इंजीनियरी स्नातक (ए०एम०आई०ई०) होने पर विशेष वेतन वृद्धि देकर प्रोत्साहन दिया जायेगा। अब यह योजना छोड़ दी गयी है। इंजीनियरी स्नातकों के लिये निम्न श्रेणी से प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के पदों तक पहुंचने के लिये स्वतः ही अवसर मिलने चाहिए। इससे गरीब परन्तु प्रतिभाशाली लोग लाभान्वित होंगे।

दूसरे, तृतीय वेतन आयोग ने पर्यवेक्षक 'ए' का वेतनमान निर्धारित नहीं किया है। सरकार ने एक बार कहा था कि वह इस मामले पर विचार करेगी। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इसे शीघ्र निर्धारित किया जाना चाहिए।

तीसरे, शारीरिक स्वस्थता / अस्वस्थता प्रमाणित करने के लिये कुछेक डाक्टरों को प्राधिकृत करने की सरकार की नीति से अनेक कर्मचारी चिकित्सा के आधार पर छुट्टी लेने की सुविधा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि देश के सभी भागों में ऐसे चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रयोजन के लिये किसी भी रजिस्टर्ड डाक्टर द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र वैध समझा जाना चाहिए।

औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच छुट्टी में जो विषमता है, उसे दूर किया जाना चाहिए और औद्योगिक कर्मचारियों की छुट्टी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

1017 एल० एस०--6

श्रमिक, सफ़ाई कर्मचारी, टेलीफ़ोन आपरेटर जैसे अन्य वेतन भोगी कर्मचारियों की पांच वर्ष की सेवा के पश्चात वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए। इस श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिये इस समय कोई व्यवस्था नहीं है।

सरकार को रिक्त पदों की भरती शीघ्र करनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में कैंटीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए। इस समय वे नैमित्तिक श्रमिक या किसी कैंटीन के ठेकेदार के कर्मचारी अथवा किसी सहकारी समिति के कर्मचारी समझे जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधायें उन्हें मिलनी चाहिएं।

रक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

Following cut motions in respect of Demands of the Ministry of Defence were moved:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
20	4	श्री भोगेन्द्र झा	फौजी अफसरों के रूप में जवानों से पदोन्नति द्वारा किये जाने वालो की अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें
20	5	,,	जवानों और अफसरों के लिये एक ही मैस में खाने पीने की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
20	6		जवानों एवं अफसरों को साम्प्रदायिकता-विरोधी जनतांत्रिक और समाजवादी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता।	,,
20	7	,,	देश की स्वतंत्रता, अखंडता और जनतांत्रिक पद्धति के विरुद्ध अस्थिरता लाने में प्रयत्नशील विदेशी साम्राज्यवादी और उससे सम्बद्ध प्रगतियों और प्रयासों के विरुद्ध जवानों और अफसरों को प्रशिक्षित और सचेत करने की आवश्यकता।	,,
20	9	श्री एस० एम० बनर्जी	विभिन्न रक्षा स्थापनाओं में काम करने वाले पर्यवेक्षकों तथा अन्य सम्बद्ध श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों को अंतिम रूप न देना।	,,

1	2	3	4	5
20	10	श्री एस० एम० बनर्जी	रक्षा स्थापनाओं में काम कर रहे असैनिक कर्मचारियों के लिये नियुक्त वर्गी-करण न्यायाधिकरण का काम न करना।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
20	11	,,	आयुध कारखानों में छोटे-मोटे काम पर लाभ पर रोक।	,,
20	12	,,	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में अधिक काम की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
20	18	,,	रक्षा स्थापनाओं में सेवा-शर्तों के मामले में औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों में प्रभाव दूर करना।	,,
20	19	,,	रक्षा उत्पादन बोर्ड का कार्यकरण।	,,
20	20	,,	आयुध कारखानों, निरीक्षणाय तथा अनुसन्धान और विकास संगठनों में घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता।	,,
20	21	,,	रक्षा स्थापनाओं में विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों के योगदान की योजना लागू करने की आवश्यकता।	,,
20	22	,,	एम० ई० एस० में सैनिकीकरण की योजना।	,,
20	23	,,	त्रिची और अम्बरनाथ स्थित आयुध कारखानों में कतिपय कर्मचारियों के मामलों में निलंबन आदेश रद्द करने की आवश्यकता।	,,
20	13	श्री रामावतार शास्त्री	एम० ई० एस० के श्रमिकों तथा कर्म-चारियों की मांगें मानने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
20	14	,,	रक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति में कदा-चार रोकने में असफलता।	,,
20	15	,,	जवानों के प्रति अधिकारियों का नौकर-शाही रवैया रोकने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
20	16	श्री रामावतार शास्त्री	रक्षा के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
21	17	,,	छावनी बोर्डों की कार्यावधि तीन वर्ष से पांच वर्ष करने की असफलता।	,,
20	24	,,	जवानों के साथ अच्छा व्यवहार करने में असफलता।	राशि में 100 रुपए कम किये जायें।
20	25	,,	अधिकारियों और जवानों के भोजन के लिए एक ही प्रकार के भोजनालयों की व्यवस्था करने में विफलता।	,,
20	26	,,	फौजी अधिकारियों एवं जवानों में साम्राज्य एवं फासिस्ट विरोधी भावनाएं भरने की आवश्यकता।	,,
20	27	,,	जवानों के साथ बरती जाने वाली भेदभाव की नीति का अंत करने में विफलता।	,,
20	28	,,	दानापुर छावनी बोर्ड में सेना में भर्ती करने में कदाचार।	,,
20	29	,,	दानापुर छावनी बोर्ड के अन्तर्गत पड़ने वाली सड़कों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता।	,,
20	30	,,	दानापुर छावनी बोर्ड क्षेत्र के अंदर मच्छरों का प्रकोप।	,,
20	31	,,	दानापुर छावनी बोर्ड के मुहल्लों में गंदगी का साम्राज्य।	,,
20	32	,,	दानापुर छावनी के अंदर अस्पताल के बगल से जाने वाली सड़क की मरम्मत करने की आवश्यकता।	,,
20	33	,,	दानापुर छावनी के स्लाटर हाऊस की जमीन पर बसे हरिजनों को वहां स्थायी रूप से बसाने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
20	34	श्री रामावतार शास्त्री	दानापुर छावनी बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपये कम किये जायें।
20	35	,,	दानापुर छावनी के अन्तर्गत पेय जल के अभाव को दूर करने की आवश्यकता	,,
20	36	,,	छावनी बोर्डों के अध्यक्षों के मनोनयन के स्थान पर निर्वाचन की आवश्यकता।	,,
20	37	,,	छावनी बोर्डों के अंदर बसे नागरिकों के मकानों को नियमित करने तथा उनपर उनके अधिकार की घोषणा करने की आवश्यकता।	,,
20	38	,,	दानापुर छावनी से होकर दियारे के लोगों के आने जाने की सुविधा को जारी रखने की आवश्यकता।	,,
20	39	,,	फौजी जवानों में समाजवाद, धर्म-निर्पेक्षता एवं जनतांत्रिक विचारों के प्रचार पर विशेष बल देने की आवश्यकता।	,,
20	40	,,	फौजी अफसरों एवं जवानों को साम्राज्यवादियों द्वारा देश की स्वतंत्रता पर आंच पहुंचाने संबंधी षड्यंत्रों से सावधान एवं चौकस रखने की आवश्यकता।	,,

श्री ब्रजराज सिंह-कोटा (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र की सुरक्षा समूचे राष्ट्र के लिये महत्व का विषय है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि नीति निर्धारण करते समय व्यक्त किये गये सभी विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। रक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में विभिन्न खतरों का उल्लेख है, जिनके बारे में हमें चेतावनी दी गई है। हम मानते हैं कि हमारे सामने खतरे हैं परन्तु जब तक हमारे पास पूरे रिकार्ड और अन्य कागजात न देख सकें हम कैसे संतुष्ट हों कि इनका सामना करने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्र और संसद् सदस्यों को यह बताने की आवश्यकता है कि वास्तव में खतरा क्या है और उसका सामना करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये।

गत वर्ष और इस वर्ष भी रक्षा बजट की लगभग 55 प्रतिशत राशि पेट्रोलियम उत्पादों, तेल, इंधन, वेतन, भत्तों और पेंशन आदि पर खर्च हो जायेगी और रक्षा बजट के लिये केवल 40 प्रतिशत राशि रह जायेगी। यह चिंता की बात है। इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये और हमारी रक्षा सेवाओं की शक्ति को सुदृढ़ किया जाना चाहिये। मंत्रालय के प्रतिवेदन में मुख्यत: उत्तर और पश्चिम से खतरे का उल्लेख है। मैं नहीं समझता कि उत्तर की ओर से कोई कार्यवाही होगी परन्तु पश्चिम की ओर पाकिस्तान ने गत वर्ष अपने रक्षा बजट में 25 प्रतिशत की वृद्धि की है। उसने पैदल सेना के तीन नये डिवीजन और एक नया आर्मर्ड डिवीजन तैयार किया है जबकि हमारी स्थिति 1971 से पूर्व की ही है। पश्चिमी क्षेत्र में हमारी सैन्य शक्ति में इस अनुपात मे वृद्धि नहीं हुई है। जबकि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी नेता अपनी आन्तरिक समस्याओं से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिये पश्चिमी सीमा पर तनाव पैदा करते हैं। आपको यह भी देखना चाहिये कि पाकिस्तान बिना मूल्य दिये गल्फ से मधरेब तक काफी बड़े क्षेत्र से हथियार प्राप्त करने में सिद्धहस्त है। साथ ही पाकिस्तान बहुत से आयुध कारखाने स्थापित कर रहा है।

यह कहना उचित नहीं है कि उसका औद्योगिक आधार नहीं है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि मूलत: हमारी जाति, वंश, कुशलता, कौशल संसाधन आदि एक से ही हैं। हमें उसकी क्षमता को कम नहीं समझना चाहिये। उसने वाह में हाल ही में 9-10 आयुध कारखाने स्थापित किये हैं। उसे कुछ प्रक्षेपणास्त्र, टैंक-रोधी हथियार और विमान आदि प्राप्त होने वाले हैं। एक दूसरे पहलू की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि चीन ने अपना पहले का पृथक्करण का दृष्टिकोण छोड़कर पश्चिमी और यूरोपीय देशों से तकनीकी सहयोग लेकर रौल्स रायस विमान इंजन तथा अन्य शस्त्रास्त्र बनाने शुरू किये हैं। अत: इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन से बाहर ये शास्त्रास्त्र सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस समस्या को हल करने में अपना योगदान करना चाहिये।

प्रतिवेदन में हिन्द महासागर क्षेत्र से भी खतरे का उल्लेख है। बड़ी शक्तियां स्थानीय विवादों में हस्तक्षेप करने के अवसर की तलाश में रहती हैं। हमारा सिद्धांत और उद्देश्य स्पष्ट है कि किसी बाहरी शक्ति को इस क्षेत्र में नहीं आने देना चाहिये। साथ ही हमे हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों को उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इनमें से चार देशों के पास आधुनिक पनडुब्बी सैन्य शक्ति है और सात के पास नवीनतम क्षेपणास्त्र है और पश्चिम में हमारे पड़ौसी देश के साथ एक देश का चाबहार में एक बड़ा अड्डा है। हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा और अपनी नौसैनिक शक्ति को सुदृढ़ करना होगा। नौसेना के लिये 168 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं जो सारे रक्षा बजट का 10 प्रतिशत मात्र है। वास्तविक अंकों में नौसेना रखने वाले आधुनिक राष्ट्र अपनी नौसेना पर अपने रक्षा बजट का एक तिहाई भाग खर्च करते हैं। हमें अपनी नौसेना की ओर अधिक ध्यान देना होगा। मुझे हाल में बम्बई में नौसेनिक अभ्यास देखने का अवसर मिला था। उनका हौसला देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई।

नौसेना का काम देश की समुद्री सोमा, व्यापारिक और समुद्री मार्गों की रक्षा करना ही हीं अपितु समुद्री क्षेत्र में गश्त करना और संम्भावित खतरों का पता लगाना भी है। इसे समुद्री सतह पर, उसके नीचे जल में और उसके ऊपर वायु क्षेत्र में भी काम करना होता है। कुछ क्षेत्रों में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। विक्रांन्त पर विमान बहुत पुराने हैं और काफी दूर तक मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र तो है नहीं। हमने 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बम्बई में गहरे समुद्र में तेल निकालने का कार्य आरम्भ किया है।

जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है। हमें नहीं मालूम कि इसकी रक्षा के लिये यदि कोई व्यवस्था है। आज पाकिस्तान के पास एटलांटिक समुद्री टोह विमान हैं, जो 35 मील, अर्थात् 55 इसके किलो मीटर तक मार करने वाले एक्सो ऐक्जोसट एम० एम० 30–40 प्रक्षेपक्षास्त्र ले जा सकते है। इसके विरुद्ध हमारे पास लींडर श्रेणी के पोतों में, जैसे उदयगिरी, नीलगिरी, मुश्किल से 5000 मीटर की दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपक्षास्त्र हैं। हमें बम्बई के पास के गहरे समुद्र में तेल स्थापनों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अपने सन्य पोतों में वर्तमान इंजनों के स्थान पर गैस टरबाइन इंजन लगाने चाहिये तथा अधिक कारगर पनडुब्बी-रोधक सैन्यपोत बनाने चाहिये और अपनी पनडुब्बी बेडे को भी बढ़ाना चाहिये।

हमारी वायु सेना विश्व में पांचवी या छठी सबसे बड़ी वायु सेना है और इसका अब तक का रिकार्ड बहुत अच्छा रहा है। परन्तु हमरी वायु सेना में दो मुख्य कमियां है, जिसमें से एक है बम्वर्षक शक्ति। इसके लिये हमारे पास उपयुक्त विमान नहीं हैं। इस में हमारे पास 1952 के कैनबारा हैं और 'सुकोई' विमान अच्छे साबित नहीं हुए है। सुकोई के निर्माता सोवियत संघ के पास बहुत ज्यादा विमान हैं। वे जहां 4 विमानों की आवश्यकता हो वे वहां 40 विमान भेजकर काम कर सकते हैं। हमें आधुनिकतम विमान चाहियें जो सुरक्षित हो तथा 300 मील से अधिक की दूरी तक जा सके। आज विमानों से आक्रमण से बचने के लिये नये शस्त्रास्त्रों का आविष्कार हो चुका है और विमानों के आने, लक्ष्य का पता लगाने और शस्त्र छोड़ने और बचकर निकलने के लिये उसे बहुत कम समय मिलता है। यदि पहले ही अवसर में वार नहीं किय गया तो वह संकट में पड़ जायेगा। हमारी आक्रमण शक्ति में इस कमी को शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाना चाहिये। दूसरी कमी है परिवहन विमान क्षमता की। हमारे पास द्वितीय युद्ध के समय के C-119 और डकोटा विमान हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं और बचतपूर्ण ढ़ंग से काम अंजाम नहीं दे सकते हैं। अब केवल ए० एन०–12 विमान ही रह जाता है। या तो आप ए० एन०–12 की संख्या बढ़ाइये या वी०टी०ओ० एल० या एस० टी० ओ० एल० विशेषाताओं वाले अधिक आधुनिक विमान लीजिए। साथ ही हैलीकाप्टर शक्ति भी बढाने की आवश्यकता है। आज विश्व में पैदल सेना की रक्षा, टैंको को तोड़ने, सैनिकों को निकालने और मदद पहुंचाने में हैलीकाप्टरो का उपयोग किया जा रहा है। 1971 के युद्ध में तंमैल की लड़ाई में सेना को नदी पार करने में हैलीकाप्टरों से बड़ी सहायता मिली थी। अत : हमें हैलीकाप्टरों की संख्या को काफ़ी बढाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की आपात की स्थिति की चेतावनी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें ऐसी संकटकालीन स्थिति पर काबू पाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए हमें तेज गति वाले रिफ्लेविसज और तेजी से जबाबी कार्य-वाही करने वाले उपकरणों की जरूरत है। हमें 10 टनर ट्रंकों का निर्माण करना चाहिए और निर्माण करने के बाद उन्हे काम में लाना चाहिये। ऐसे ट्रंकों से हम अधिक सामग्री ला लेजा सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि वाहनो को ज्यादा इधर इधर आना जाना नहीं पड़ेगा। संक्षेप में मैं यह कहना चाहूंगा कि सेल्फ़ प्रोपेल्ड बन्दूकों, लैसर रेंज्ड बन्दूकों तथा प्रिसिजन एंटी गाइडिड मिसालों जैसी नई चीजों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

मेरा यह विचार है कि बड़ी बड़ी जो धमकियां दी जार्ती है उन पर अच्छी प्रकार ध्यान दिया जाना चाहियें उनके बारे में रक्षा मिशन को पूणरुपेन जानकारी दी जानी चाहियें। हमारी जो तीनों सेवाएं है उनमें पूरा समन्वय होना चाहिए। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी एक ही होना चाहिए।

हम देखते हैं कि कई बार व्यर्थ का व्यय भी होता है । ऐसे व्यर्थ व्यय को रोकने तथा सेनाओं के बीच यक्सा कार्य पर होने वाले दुहरे व्यय को रोकने के के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए । हमें किसी एक हथियार प्रदायक पर पूर्णरुपेन निर्भर नहीं करना चाहिए ।

हमारे नए प्रतिरक्षा मंत्री गतिशील हैं तथा हमें आशा है कि वह रक्षा मंत्रालय में अवश्य ही सुधार करेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं नए रक्षा मंत्री का स्वागत करता हूं परन्तु इसके साथ ही साथ इस बात की निराशा भी व्यक्त करता हूं कि इस प्रतिवेदन में रक्षा सम्बन्धी तैयारियों के बारे में पिछले प्रतिवेदनों की तुलना में कम जानकारी दी गई हैं । प्रतिवेदन में कम जानकारी होने के कारण सदस्य इस विषय पर हो रहे वाद-विवाद में सार्थक योगदान नहीं कर सकते ।

प्राय : यह कह कर टाल दिया जाता है कि अमुक जानकारी देना लोकहित में नहीं है । परन्तु वास्तविकता यह है कि अन्य लोकतांत्रिक देशों में सदस्यों को इस प्रकार की जानकारी तुरन्त उपलब्ध की जाती है । यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि ऐसा यहां हमारे देश में क्यों नहीं किया जाता है । मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदव इस पर विचार करे ।

यहां पर हिन्द महासागर में दियागोगार्सिया अडडे का भी उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख महा शक्तियों के बीच होड़ के संदर्भ में किया गया है । किन्तु अमरीका ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि हिन्द महासागर में दियागो गार्सिया अड्डे के बारे में महाशक्तियों के बीच होड़ होने का प्रश्न नहीं उठता है । वह हिन्द महासागर में नौसैनिक और उपस्थिति इसलिए चाहता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह तटीय देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके । प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है जो किया जाना चाहिए था ।

राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के संदर्भ में मै अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । प्रतिवेदन में कई बार क्षमायाचना क्यों की गई है यह बात मेरी समझ में नहीं आई है । प्रश्न यह नहीं है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना धन व्यय कर रहे हैं प्रश्न यह है कि जो धन व्यय किया जा रहा है वह सही तारीके से व्यय हो रहा है या नहीं । हम सब जानते हैं कि हमारे देश के वित्तीय संसाधनों पर दबाव है और इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय संसाधनों की एक एक कौड़ी का ठीक उपयोग हो रहा है । इस प्रतिवेदन में लागत प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है । मैं समझता हूं कि लागत प्रभाव को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । यदि यह जरूरी हो तो हमें भिन्न-भिन्न मदों के लिए धन का प्रावधान फिर से इस तरह से कर लेना चाहिए जिससे कि सुरक्षा बलों की युद्ध सन्नद्धता सुनिश्चित हो सके । परन्तु इन मामलों पर कोई प्रकाश नहीं डाला जाता है तथा यही मेरी शिकायत भी है ।

मैं नियमित सेवा तथा आरक्षित सेवा की अवधि बढाए जाने का स्वागत करता हूं । यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इस के लिए मैं बधाई मंत्री महोदय को दूं या वर्तमान सेवनाध्यक्ष को दूं । यह अवधि तो पहले ही बढ़ जानी चाहिए थी परन्तु इसका मैं अब भी स्वागत करता हूं ।

यह एक प्रसन्नता की बात है कि थल सेना में एक नयी रिज़र्व सैनिक नीति की शुरूआत की गई है, इस योजना के अनुसार सभी सिपाहियों को कम से कम 15 से 18 वर्ष तक सक्रिय सेवा

में रखा जायेगा। अचानक हमला हो जाने की दशा में रिज़र्व सैनिकों को बुला कर उनसे वह कार्य नहीं लिया जा सकता जो सक्रिय सेवा में सैनिक बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह तो ठीक है परन्तु यह नहीं बताया गया कि इससे व्यय में कितनी बचत होने का अनुमान है और इसके फ़लस्वरूप इस वर्ष भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

यह बात समझ में नहीं आयी कि कुछ मामलों में सक्रिय सेवा 15 वर्ष निश्चित की गई है और कुछ मामलों में यह 18 वर्ष निर्धारित की गई है। मैंने देखा है कि तकनीकी विशेषज्ञों और प्रवीण श्रेणियों को 4ग्रुपों में बांटा गया है। सक्रिय सेवा काल में अन्तर रखने का क्या आधार है? इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिये।

मंत्रालय की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वित्तीय बाध्यता के कारण कुछ मित-व्ययता संबंधी उपाय किये गये हैं। यह स्पस्ट नहीं है कि क्या इसका कुप्रभाव किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता पर तो नहीं पड़ा है। यदि पड़ा है तो सभा को उस की जानकारी दी जाये जिससे संसद इस बात पर विचार कर सके कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

आयुद्ध कारखानों तथा अन्य रक्षा उत्पादन यूनिटों में सराहनीय कार्य हुआ है। इस मामले में बहुत ही अधिक मजबूत नीव डाली जा चुकी है। परन्तु मंत्रालय की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि निर्माण कार्य और सामान मंगाने संबंधी प्रस्तावों के पूरा न कर पाने से गत वर्ष आवंटित की गई राशि का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है। प्रायः आयव्ययक में प्राक्कलित राशि से अधिक खर्च हो जाता है किन्तु इस मामले विशेष में स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल है। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

आयुद्ध कारखानों में अलग-अलग कार्य के लिये भुगतान करने की पद्धति पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। मेरे विचार में यह एक अच्छी नीति है। हां, यदि इस नीति का उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो यह एक अदूरदर्शी नीति होगी। इस मामले पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिये।

यह एक अच्छी बात है कि हिन्दुस्तान एरानोटिक्स लिमिटेड और मजगांव डाक लिमिटेड में श्रमिकों को प्रबंधकों के साथ सहयोजित किया गया है। मेरे विचार में ऐसी ही योजना सभी उत्पादन यूनिटों में आरम्भ की जाये जिससे श्रमिक प्रबन्ध कार्यों में भाग ले सकें।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि रक्षा प्रयोजनों के लिये कुछ सामान गैर-सरकारी क्षेत्रों से मंगाया जाता है। यह तो हमेशा होता रहा है और इसमें कोई नयी बात नहीं है। इस सम्बन्ध में चिन्ताजनक बात तो यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र से मंगाये जाने वाले सामान का निरीक्षण करने सम्बन्धी कार्य में कमी की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह किन आधारो पर किया जा रहा है। सामान की क्वालिटी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये।

मुझे बताया गया है कि मितव्ययता की दृष्टि से प्रशिक्षण सम्बन्धी सैनिक अभ्यासों में कमी कर दी गई है। यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि सैनिकों को सदा तैयार रखने के लिये सैनिक अभ्यासों का होना बहुत जरूरी है। इस मामले में मितव्ययता नहीं की जानी चाहिये।

रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में पुराने परिवहन विमानों को बदलने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया गया है। क्या यह सच नहीं है कि वायु सेना के पास अब जो विभिन्न प्रकार के विमान हैं वे पुराने और गतप्रयोग हैं। उनके स्थान पर नये और आधुनिक विमानों का अर्जन करने के लिये

क्या किया जा रहा है ? एच० एफ़० मारुत विमान अब सुपरसोनिक विमानों का मुकाबला नहीं कर सकता है। सुपरसोनिक विमानों का विकास करने की मूल योजना को क्रियान्वित करने के बारे में क्या स्थिति है ?

आज नौसेना का महत्व बहुत अधिक बढ गया है। प्रश्न केवल वणिक्-पोतों को बचाने का ही नहीं है परन्तु यह हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डों से सम्भव खतरों का सामना करने तथा बम्बई हाई में महासागर के बीच कार्यरत सागर-सम्राट और तेल खुदाई स्थापना की रक्षा करने का भी है। क्योंकि किसी आक्रमण की दशा में इन पर पहला वार होगा। 'विक्रान्त' नहीं, तो विक्रान्त पर लदे विमान को बदलने की आवश्यकता है। आशा है, लीएण्डर फ्रीगेट कार्यक्रम पूरा होने वाला होगा। इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है। इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिये। मेरे विचार में इस कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् हमें आधुनिकतम और अधिक संख्या में पनडुब्बी तोड़ विमानों की जरूरत पड़ेगी।

नौसैनिक हेलीकोप्टरों और दूर तक मार करने वाले सामुद्री प्रावेक्षण विमानों के बारे में कुछ सोच विचार हो रहा था, उसका क्या परिणाम निकला है। हमें इस बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिये कि हमें किन चीजो की जरूरत है।

सैनिकों का मनोबल बना रहे इसके लिये आवश्यक है कि उनके लिये पदोन्नति के अवसर मिलते रहने चाहिये। पदोन्नति की पुरानी कड़ियों को बदल कर नये रास्ते निकालने चाहिये। यह सुनने में आया है कि वायु सैनिकों और नौसैनिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जल्दी तबादला कर दिया जाता है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

1965 और 1971 में हुए युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पेंशन के मामलों को अभी तक नहीं निपटाया गया है। इस मामले की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि ये मामले पिछले 5, 7 वर्षों से लम्बित हैं। यह अधिकारियों के लिये शोभनीय नहीं है।

गत वर्ष के अनुभव को देखते हुए, जब राजद्रोह और सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काने के प्रयत्न किये गये, क्या सरकार ने सैनिकों में लोकतंत्रात्मक और साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को उत्पन्न करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ? उन्होंने देश की रक्षा करनी होती है। सैनिक न केवल वेतन और पेंशन के लिये अपितु आदर्शों के लिये लड़ते हैं। इसलिये उनमें लोकतंत्रीय भावनाओं को जगा कर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना होगा। यह बात वियतनाम में हुए युद्ध से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। वहां पर एक छोटे से देश ने एक इतने अधिक शक्तिशाली देश का मुकाबला किया और अन्त में विजय पायी। अधिकारियों और सिपाहियों के बीच विद्यमान सामाजिक पृथक्करण को समाप्त करना चाहिये जिससे वे एक दूसरे के अधिक निकट आ सकें।

गत वर्ष इस सभा की समितियों की रिपोर्टों से भ्रष्टाचार के कुछ मामलों का पता चला था। मैं जानना चाहता हूं कि इन मामलों में आगे क्या कार्यवाही की गई है। पहाड़ी स्थानों पर सैनिकों को दिये गये घटिया किस्म के कम्बलों के मामले से सम्बन्धित अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल सन्धू के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। एक मेजर धवन का मामला था। चूंकि उसने कुछ अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ किया था, इसलिये उसे पदच्युत होना पड़ा था।

मुझे आशा है कि नये रक्षा मंत्री, श्री बंसीलाल इन सभी मामलों पर विचार करने के पश्चात् सेनाओं में अवांछनीय तत्वों को निकाल बाहर करेंगे ।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : हमारे बजट में रक्षा के लिए नियतन विश्वभर में कम है। तथापि स्थल, वायु तथा नौसेना के क्षेत्र में विश्व भर में हमारा क्रमश : चौथा, पांचवा और आठवां स्थान है । गुटनिरपेक्ष नीति के आधार पर भारत ने सदा शांति और सुरक्षा का पक्ष लिया है । हम किसी का इलाका हथियाना नहीं चाहते परन्तु यदि कोई अन्य देश हमारे देश की अखण्डता को नष्ट करने की कुचेष्टा करेगा तो हम उसका मुह तोड़ जवाब देने के लिये सदा तत्पर रहेंगे ।

पड़ौसी और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर उन्हें बनाये रखने के लिये हमारे प्रधान मंत्री ने ठोस योगदान किया है। शिमला समझौता हमारे इस दावे का परिचायक है। हम परस्पर सम्मान, प्रादेशिक अखण्डता और सार्वभौमसत्ता में विश्वास रखते हैं। इसके बावजूद हमारे पड़ौसी देश विशेषकर चीन आये दिन हमारी अखण्डता को चुनौती देने का साहस करता रहता है। गत वर्ष चीनी सैनिकों ने हमारे कुछ सैनिकों को जान से मार डाला। यह कोई अच्छी बात नहीं है । इसी प्रकार पाकिस्तान का इरादा भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और वह शिमला समझौते का उल्लंघन कर के हथियारों को जमा करने में व्यस्त है।

यह एक अच्छी बात है कि हम रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं । प्रक्षेपास्त्रों के उत्पादन के मामले में सराहनीय कार्य हो रहा है हमें सशस्त्र सेनाओं को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए और उनमें देश के लिये बलिदान करने की भावना उत्पन्न करनी चाहिए क्योंकि बलिदान की भावना से ओत-प्रोत सैनिक ही हमें सफल बना सकते हैं। हमें गर्व है कि हमारे रक्षा मंत्री, श्री बंसीलाल ने थोड़े ही समय में सभी मामलो से अवगत हो कर ऐसे वक्तव्य दिये हैं जो इस बात के परिचायक हैं कि हम रक्षा के क्षेत्र में ठोस कार्य कर रहे हैं और हम किसी भी विदेशी आक्रमण का मुकाबला कर सकते हैं ।

प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी से युद्ध कला में क्रान्ति उत्पन्न हो गई है । हमें इनके उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिये क्योंकि युद्धक्षेत्र में प्रक्षेपास्त्र ही काम आते हैं और उनकी सहायता से सैनिक अधिक अच्छी तरह से शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे देश में हल्के प्रक्षेपास्त्रों का उत्पादन नहीं हो रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

हमारे आयुद्ध कारखानों में सराहनीय कार्य हो रहा है । संगणकों के निर्माण से और रेडार व्यवस्था में सुधार होने से हम अब किसी भी खतरे का मुकाबला करने की स्थिति में हैं। हमारे देशभक्त लोग प्रधान मंत्री के मार्ग दर्शन में अपने देश को किसी भी खतरे से बचाने के लिये हर सम्भव बलिदान करने के लिये तैयार हैं। देश की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि देश में युवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाये और उनमें अनुशासन की भावना उत्पन्न की जाये । मुझे विश्वास है कि श्री संजय गांधी के नेतृत्व में युवक 4 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान करेंगे । बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुद्ध कारखाने सुचारु रूप से चल रहे हैं। श्रमिकों को प्रबन्धकों के साथ सहयोजित किया जा रहा है । सभी आयुद्ध कारखानों में उत्पादन समितियां स्थापित की गई हैं और उत्पादन बढ़ाने के मामले में श्रमिक और प्रबन्धक एक दूसरे को पूर्णरूपेण सहयोग दे रहे हैं । मुझे आशा है कि आयुद्ध कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा जिससे हम अपनी सेनाओं को अधिक अच्छी तरह से लैस

[श्री मल्लिकार्जुन]

कर सकेंगे । और इसके फलस्वरूप हम किसी भी बाहरी आक्रमण का मुकाबला कर सकेंगे । चाहे पाकिस्तान कितने अधिक हथियार एकत्र क्यों न कर ले ।

श्री एन० ई० होरो (खुन्टी) : श्रीमन्, राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था के स्वरूप के बारे में मंत्रालय के अपने प्रतिवेदन में कुछ परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं । एक ओर तो कहा गया है कि हम ऐसे भू-भाग में हैं जहां विश्व में तनाव के कम हो जाने का लाभ अभी तक भारत को नहीं मिल पाया है और हमारी सुरक्षा के लिये खतरा कम नहीं हुआ है हालांकि हम विश्व म शान्ति और मैत्री बढ़ाने के लिये सदा प्रयत्नशील रहे हैं । दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि हम हथियार और गोलाबारूद खरीदने की अपेक्षा शान्ति कायम रखने और राष्ट्रीय विकास योजनाओं को सफल बनाने के अधिक पक्ष में हैं और यही कारण है कि हमने अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में रक्षा का व्यय का स्तर काफी नीचे रखा है । एक ओर तो हम रक्षा सेनाओं को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर हम रक्षा व्यय का स्तर काफी नीचे रखना चाहते हैं । बिना धन खर्च किये सेनाओं को अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है ? इस समय देश को जिन वास्तविकताओं का सामना करना है, उनसे अवगत होना है और अपने देश के हितों का पूरा ध्यान रखना है । आज हम देखते हैं कि पश्चिमी शक्तियां हिन्द महासागर में अपनी गतिविधियों को तेज करती जा रही हैं जब कि हम इस सम्बन्ध में अपने हितो की उपेक्षा करके चुप्पी साध बैठे हैं । कई अफ्रीकी एशियाई विकासशील देश हमारी ओर अपना मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ा रहे हैं लेकिन हम इस दिशा में कोई अर्थपूर्ण कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । वियतनाम में युद्ध समाप्त होने के पश्चात् विश्व में स्थिति बदल गई है । इस बदले हुए वातवावरण में हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं को अधिक मजबूत बनाना है और ऐसा करने के लिये हमें रक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ेगी । इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि अमरीका, सोवियत रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी आदि देश अरब देशों को सैनिक सामान बेच रहे हैं । अमरीका ने 1975 में इन देशों को 930 करोड़ रुपये का सैनिक सामान बेचा जबकि पांच वर्ष पूर्व वह केवल 92.10 करोड़ रुपये का बेच रहा था । इन परिस्थितियों में हमें भी सेनाओं पर अधिक व्यय करना होगा । केवल शान्ति शान्ति कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि शान्ति तो सभी चाहते हैं परन्तु फिर भी खतरा बना हुआ है । इसलिये हमें शक्तिशाली बनना हैं ।

खेद है कि सेना में भर्ती अब भी जातियों के आधार पर की जाती है । यही कारण है कि 1968–71 में आसाम में, जिसकी जनसंख्या 122.10 लाख है, कुल 4,881 व्यक्ति, बिहार से, जिसकी जनसंख्या 464.90 लाख है, 8,664 व्यक्ति, पंजाब से, जिसकी जनसंख्या 114 लाख है, 26,312 व्यक्ति, हरियाणा से, जिसकी जनसंख्या 76 लाख है, 14,841 व्यक्ति, और उत्तर प्रदेश से, जिसकी जनसंख्या 737.50 लाख है, 27,133 व्यक्ति भर्ती किये गये । इन आंकड़ों से पता चलता है कि 60 प्रतिशत सशस्त्र सैनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों से लिये जाते हैं । सेना में अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है । पश्चिमी बंगाल से केवल 2 प्रतिशत लोग सशस्त्र सेनाओं में हैं । हमें भर्ती की इस नीति को बदलना होगा । और इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस मामले में सभी राज्यों को लगभग एक जैसा प्रतिनिधित्व मिले ।

बिहार राज्य में रांची में सेना ने एक धार्मिक समिति के कुछ स्थान पर पिछले 35 वर्ष से कब्जा कर रखा है । आशा है, नये रक्षा मंत्री इस मामले की ओर ध्यान देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप उसे विस्तृत रूप में लिख दें । वह अच्छा रहेगा

Shri Biswanath Roy (Deoria): India is a great country and it is natural that it has a vast border extending from Sri Lanka to China and the armed strength and means required to defend such a long border are yet not available in the country.

We have got two countries across our borders who have expansionist policies. They have attacked our borders a number of times. In view of this, we have no exercise utmost vigilance on our borders and more resources are required for our defence preparedness to meet any threat to our security.

We should also strengthen our Navy. More funds should be available for increasing our naval power. It is said that more attention is being paid on laboratory research and defence production. The value of the defence production has risen to 100 crores of rupees. It is definitely a matter of pride. But there is need to further increase it because of the fact that China is helping Pakistan not only with tanks and aeroplanes but with torpedoes or submarines. Besides, America has also lifted the embargo on arms sales to Pakistan as a result of which Pakistan has consolidated its position. It has already made up for the losses suffered by it in the last Indo-Pak war of 1971. America and Ghina have helped Pakistan in this regard. So the threat from Pakistan is still there. We need to be vigilant.

Diego Garcia base is also posing a great threat to our country. We should raise our voice against this in international forums.

Some of the Officers resigned from the Navy and joined private Shipping Companies. This was not a good development for the interest of our navy. This matter should be looked into.

There should be no trade unionism in our defence production units on the lines on which we have in the private sector units. Trade unionism in these units is not in the interest of the country. There should be no policies in the functioning of these units. Of course, the welfare of the workers should be looked after.

There should be more National Defence Academies for the training of defence personnel. There can be one in the South, one in the East and one in the Western part of the country also.

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्री बंसीलाल की रक्षा मन्त्री के पद पर नियुक्ति से बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा यह पूरा विश्वास है कि इन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति उनसे अच्छा इस पद के लिये योग्य सिद्ध नहीं हो सकता था। प्रधान मंत्री ने इन्हें इस पद पर नियुक्त करके अच्छा कार्य किया है। मैं उन्हें अरसे से जानता हूं वह काफी कठोर व्यक्ति हैं और यद्यपि उनका बाह्य व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है किन्तु सैनिक तथा उनके परिवारों के लिये उनके दिल में बड़ी सहानुभूति है। उन्होंने हरियाणा में उनके लिये बहुत कुछ किया है। इसके अतिरिक्त उनकी एक और विशेषता है जो उन्हें इस पद पर रहते हुए बड़ी काम आयेगी। जब उनका किसी शत्रु से सामना होता है तो वह उसके विरुद्ध हर सम्भव हथियार का प्रयोग करते हैं। हमें उनसे बड़ी-बड़ी आशायें हैं। भारत को एक सशक्त रक्षा दल की आवश्यकता है। इनका नाम लाल फीताशाही को समाप्त करने के सम्बन्ध में भी प्रसिद्ध है। मुझे आशा है कि रक्षा विभाग को उनके सशक्त व्यक्तित्व का पूरा लाभ मिलेगा।

रक्षा मंत्रालय की मांगों में पिछले वर्ष के बजट की तुलना में केवल 136 करोड़ रुपये की ही अधिक मांग की गई है। यह वृद्धि बिल्कुल कम है। इतनी धनराशि से तो एक अच्छा विध्वंसक अथवा न्यूकलीय-पनडुब्बी अथवा दूर तक मार करने वाला आधुनिक बमवर्षक भी खरीदना सम्भव नहीं है। पाकिस्तान तथा खाड़ी देशों में हथियार जमा किये जा रहे हैं। हिन्द महासागर की ओर से भी हमारी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत की समुद्री सीमा बड़ी लम्बी है उसके अनुसार हमारे पास नौसैनिक शक्ति बड़ी कम है। हमारी नौसैनिक शक्ति का वायु विंग बड़ी ही छोटा है। इस समय यह विंग नौसैनिक शक्ति का केवल 8 प्रतिशत ही है। इसे अन्य देशों के समान कम से कम 30 प्रतिशत होना चाहिये तभी हम अपने देश की प्रभावशाली ढंग से रक्षा कर सकते हैं।

[श्री वीरेंद्र सिंह राव]

रक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये बहुत ही कम धनराशि दी जा रही है। मजगांवों डाक को केवल 4.5 करोड़ रुपये और भारत डायनामाईट्स को केवल 40 लाख दिये जा रहे हैं। यह प्रतिष्ठान बड़ा महत्वपूर्ण अनुसंधान कर रहे है। इस प्रकार इतनी कम धनराशि की व्यवस्था करके हम अपने सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे विचार से अगर रक्षा मन्त्री कुल बजट का 50 प्रतिशत भी रक्षा व्यवस्था के लिये मांग लेते तो यह सदन उसे देने में आनाकानी नहीं करता। ऐसा करने से हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। जब तक देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती तब तक 20-सूत्रीय कार्यक्रम का भी कोई लाभ नहीं हो सकता है। देश की सुरक्षा के लिये तथा सैनिकों का ऊंचा होंसला बनाये रखने के लिये सैनिकों के परिवारो की कल्याण सम्बन्धी योजनाओं पर बल देने की आवश्यकता है। आप देश के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये कदम उठा रहे हैं साथ-साथ सैनिकों के परिवारों के कल्याण सम्बन्धी एक और सूत्र 20-सूत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिये। सैनिक तभी अच्छी तरह लड़ाई कर सकता है जब उसे अपने परिवार के सम्बन्ध में किसी प्रकार की चिन्ता न हो।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

हम अपनी सुरक्षा पर अपनी राष्ट्रीय आय का 4 प्रतिशत ही व्यय कर रहे हैं। हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान 10 प्रतिशत तक व्यय कर रहा है। अन्य देश भी जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से कोई विशेष खतरा नहीं है वह भी अधिक व्यय कर रहे हैं। अतः हमें अपनी रक्षा व्यवस्था पर अधिक व्यय करना चाहिये।

भारतीय सेना को राजनीति से मुक्त रखना चाहिये। राजनीतिक दलों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। वहां किसी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा का भी प्रवेश नहीं होने देना चाहिये। हमारे देश में अनेक धर्म हैं और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं हैं। जब तक देश की सेना में एकता नहीं होगी हम इसकी सुरक्षा की आशा भी नहीं कर सकते हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

वीरता और देश भक्ति पर किसी विशेष वर्ग के लोगों का एकाधिकार नहीं है। सेना में भर्ती किसी विशेष राज्य की भर्ती योग्य पुरुषों की जनसंख्या पर ही आधारित नहीं की जानी चाहिये। असली युद्धवीर एक रात में नहीं बन जाता है। समय के लम्बे अन्तराल के बाद ही कुछ विशेषताएं पैदा होती हैं। जहां देश के लिये लड़ना और अपना शौर्य दिखाना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है वहां हमें केवल योग्य और उपयुक्त व्यक्ति ही भर्ती करने चाहिये। सेना में वर्तमान वर्ग बनाने की नीति बहुत सराहनीय है।

सन्तोष का विषय है कि सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी की पेंशन की दरों में वृद्धि की गई है। लेकिन यह वृद्धि उचित ढंग से नहीं की गई है। न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वालों को उतना लाभ नहीं हुआ जितना उन्हें होना चाहिये था।

भूतपूर्व सैनिक होने के नाते में रक्षा मन्त्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पेंशन की दरों में सुधार किया है। किन्तु जिस प्रकार से पेंशन में वृद्धि दी गई है वह निर्णय सही नहीं है क्योंकि एक सिपाही को तो पेंशन में 90 प्रतिशत वृद्धि दी गई है और एक सूबेदार-मेजर की यह वृद्धि 85 प्रतिशत है किन्तु उच्च वेतन प्राप्त करने वालों के लिये यही वृद्धि 127 प्रतिशत है मेरे विचार से वृद्धि की दरें उचित नहीं है। होना तो यह चाहिये था कि जो न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अधिक पेंशन दी जाती। इस

वृद्धि की घोषणा से पहले एक सिपाही को 40 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी। मैं किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता किन्तु राजनीतिक पेंशन पाने वालों को 300 रुपये पेंशन दी जाती है। आजाद हिन्द फोज के भूतपूर्व सिपाही को दो प्रकार की, एक राजनीतिक तथा दूसरी सेना से पेंशन प्राप्त होती है अतः कोई कारण नहीं कि इस स्वतन्त्र देश के सिपाही को उतनी भी पेंशन न मिले जितनी आजाद हिन्द फौज के किसी सिपाही को अथवा किसी सेवा निवृत चपरासी को मिलती है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि सिपाही की पेंशन में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है।

मैं सक्रिय सेवा काल तथा रिजर्व सेवाकाल बढ़ाने सम्बन्धी आपके निर्णय की भी सराहना करता हूं मैं रक्षा मन्त्री से अनुरोध करुंगा कि वह भूतपूर्व सैनिकों की तथा उनके परिवारों की कठिनाइयों के बारे में देखभाल करने के लिये एक विशेष संगठन स्थापित करे, इससे उनमें एक ऐसी भावना का उदय होगा। जिससे वह समझेंगे कि यही वह लोग है जो देश की रक्षा कर रहे हैं और समूचा राष्ट्र उनकी इस सेवा के लिये उनका आभारी है। इस समय एक सिपाही और एक असैनिक व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाता। जब कभी सिपाही अपने घर जाता है तो अगर कोई उसके विरुद्ध पुलिस में शिकायत करता है तो पुलिस शीघ्र ही उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लेती है यद्यपि उसके विरुद्ध शिकायत में लगाये गये आरोप प्रायः झूठे होते है जो गांवां मैं दलबन्दी के कारण लगाये जाते हैं। रक्षा संगठनों में अनेक असैनिक कर्मचारी भी है। इन संस्थानां में अब कार्मिक संघों की गतिविधियां प्रवेश पा रही है। रक्षा प्रतिष्ठानों और रक्षा कार्यालयों में काम करने वाले प्रत्येक असैनिक कर्मचारी को वर्दी में होना चाहिये। उन्हें सेना अधिनियम के अधीन लाया जाना चाहिये और उन्हें वर्दी में रहना चाहिये। रक्षा संस्थानां में अनुशासन लाने का एक यही सही तरीका है। यह नौसेना वायुसेना तथा अन्य संस्थानो में भी लागू किया जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्यों नहीं यहां पर भी वर्दी लागू की जाये ?

श्री विरेन्द्र सिंह राव : मुझे प्रसन्नता होगी किन्तु शायद आपको इसमें आपत्ति होगी। आज भी परिस्थितियों के परिवेश में रक्षा बजट का अधिक भाग सेना पर व्यय किया जाना चाहिये। हमें हिन्दमहासागर में पनडुब्बियां और नियंत्रित प्रेक्षपास्त्रो से खतरा हो रहा है हमारे पड़ोसी अत्यन्त आधुमिक शास्त्रास्त्रों से लैस हो रहे है। आशा है रक्षा मन्त्री मंत्री मंडल के अन्य सदस्यो से अनुरोध करेंगे कि रक्षा बजट की अधिक प्रतिशतता देश की रक्षा पर व्यय करेंगे।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : Mr. Speaker Sir, I am thankful to you that you have given me on an opportunity to speak. Air force and armed forces are very important for defending the borders of the country that the third wing of our forces, the Navy is not of less importance. Our coasted line is more but 3,000 miles long. History tells us that the countries with weak navies are not able to defend their broders effectively. England established a large empire because of her large naval force. America is a super power because of her strong navy. It is suggested that we should also develop our navy into a strong force. At present, the emphasis is more on armed forces and air force rather than on navy. In the last Indo-Pak war, our naval forces did exemplary work. Our navy has two commands, eastern and western commands. But our islands such as Andaman and Nicobar, Lakshdweep, etc. even do not have proper patrolling arrrangements. Fishermen from Burma, and Indonesia come for fishing there. Even Chinese ships come and go back but we are not able to know, so, my suggestion is that we should have a good naval base in Andaman and Nicobar, so that the safety of these vulnerable area is ensured.

I would also like to draw your attention to the fact that in our Navy there is only one aircaft carrier. There should be another air craft carrier in the Eastern Command. Our Naval aircrafts are obsolete. We should replace them by modern aircrafts. More funds should be allocated for strengthening the Navy.

Paktistan is acquiring more and more armaments from the countries like England, France America and China. Iran having close relations with Pakistan has been acquiring sophisticated weapons. This threat from Pakistan has to be kept in mind while preparing for our defence.

We should pay attention to the development of our airports. We should manufacture and more aircrafts and they should be equipped with modern weapons.

We should increase our defence production. So far as our defence needs are concer we have to become self-reliant.

More steps should be taken to look after our war widows and disabled soldiers prop as our war widows live in far fluing rural areas. They are helpless. Our soldiers and defe personnel, who are posted in dificult terrains should be looked after well.

With these words I support these demands.

Shri Hari Singh ((Khwja) : Mr. Speaker, Sir, our Defence Ministry is in the hands very eefficient and able administrator. The functing of different units of the Def Ministry has improved after the new Defence Miniter has taken charge of his portfolio. believe in work.

Pakistan is acquiring arms from different sources. It posed a grave threat to our secur Whenever the internal setiuation in Pakistan detiroirates, it whips up anti-India by hysteria whi leads to armed conflict. It has been our experience in the past. We have to keep in mind t threat from Pakistan while looking after our defence.

So far as other countries are concerned, China is our neighbour. Panchsheel pact w signed and a slogan "Hindi Chini Bhai Bhai" was raised. Despite these things, China stabbed our back and now it wants to destory the democracy in India and wants to stablish its hegemo in Asia. China has made hydrogen bomb, missiles and other modern weapons. Americ establishing relations with China. If we want that democracy continues India, our de should be strong.

Our Defence Department is keeping all aspects in view and making solid efforts to m defence strong. We are happy that our defence produc tion has increase four times. W to become self-sufficient in arms. If we do not become self-sufficient in arms our inde dence will be in danger.

Mr. Speaker, I would also like to point out that Bulandshahar district has provided number of people to the Army and Air Force. But there is no recruiting Office in Bulands District. I have been making a demand for that for the last one year.

The weaker sections of our society did not get full opportunities in the past to develop the selves. They could not get a chance to show their valour. Bravery is not the monopoly any caste or community. People belonging to different communities and states should be giv chance in our army to serve the country.

In the end I would like to state that I have confidence in the Defence Ministry. Defence Minister has good personal experience and our ar med forces will be strong. With words, I support the demands of the Defence Ministry.

Shri Achal Singh (Agra) : I support the demands in respect of Defence Minis I am happy that our Prime Minister has appointed Shri Bansilal as a Defence Minister. India large country. We face danger on both sides of our western and northern borders. Every eff should be mde to strengthen our armed forces irrespective of the expenditure involved there

America has established a military base in Indian ocean which has been opposed by vario nations of Asia. America and Britain are making efforts to further strengthen this base. T base will prove to be a danger for Indian and this fact should always be kept in view.

It is a matter of great happiness that our defence production is increasing armament are being produced in large quantity in our ordnance factories.

I would like to point out some local issues also. There is a move to remove the civilians cantonment areas. This will result in dislocation of lakhs of civilians and create innu able difficulties. Government should reconsider this decision. I would also like to draw attention to the problem being faced in Agra cantonment. Its population is about 40,000. T s scarcity of drinking water. I request you to kindly solve this problem. It is a basic pro and it should be solved without delay.

With these words I support these demands.

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि श्री भुट्टो श्मीर लेना चाहते हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनके लिये यह बहुत मुश्किल है। ा का प्रश्न नहीं है परन्तु काश्मीर की जनता का प्रश्न है । वे कभी भी पाकिस्तान में मिलना न्द नहीं करेंगे ।

पाकिस्तान भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण प्रचार कर रहा है और इसलिये वह भारत के लिये खतरा बन रहा है । अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने पर प्रतिबन्ध हटा लिया पाकिस्तान ने चीन को कराची पत्तन के प्रयोग की अनुमति दे दी है । अतः हमें सचेत रहना हिए ।

दूसरी ओर चीन है । चीन हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शत्रुओं का समर्थन ही नहीं कर रहा है, पितु भारत विरोधी प्रचार भी कर रहा है ।

तीसरी ओर बंगला देश है । बंगलादेश भी हमारे प्रति मैत्रीपूर्ण रवैया नहीं अपना रहा है ।

अमरीका भी बड़े पैमाने पर हिन्द महासागर में अपनी गतिविधियां चला रहा है । हिन्द गर में पहले की तुलना में अब अधिक खतरा उत्पन्न हो गया है ।

हमें बड़ी शक्तियों की अधिक चिन्ता नहीं है हमें तो उन छोटे-छोटे देशों से डर है जिनकी कोई राय नहीं है और जिन्हें बड़े देश माध्यम बनाते हैं ये देश अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकते अमेरिका अफ्रीकी-एशियाई देशों को माध्यम बनाकर हिन्द महासागर में बड़े पैमाने पर अपनी संचयन कर रहा है । इस सागर में पहले की अपेक्षा अब अधिक खतरा पैदा हो गया है । रीका तटीय देशों की आन्तरिक और बाह्य नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है । वाद शोषण पर जीवित रहता है । हिन्द महासागर में विपुल प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं । लिए वह बड़े पैमाने पर इस महसागर में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और उस पर अपना पूर्ण नियंत्रण ना चाहता है ।

अतः हमारी नीति एशियाई एकता का अभियान चलाने की होनी चाहिए हिन्द महासागर को क्षेत्र बनाये रखने के लिए हमें अभियान चलाना चाहिए । हम एक शक्तिशाली गुटनिरपेक्ष राष्ट्र और एशिया के देशों को प्रभावित कर सकते हैं । हमें एशिया के देशों में एकता लाने और उनकी क्षा के लिए अवश्य प्रयास करने चाहिए । हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ्रीका और शया के देशों का महाद्वीप एक शान्ति क्षेत्र बने जिससे कि वे अपना अपने तरीके से विकास कर सकें ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्य मणिपुर): इस अवसर पर हम सेना के तीनों अंगों को बधाई और आशा करते हैं कि रक्षा विभाग एक नये मंत्री को सौंपे जाने से इनकी कार्यकुशलता और । हमारी सेना ने जो वीरता दिखाई है उसके बारे में मैं विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वीरता विश्वविख्यात है ।

कुछ सदस्यों का कहना है कि रक्षा सेवाओं के लिए बजट में जो व्यवस्था की गई है वह देश की जरूरतों के अनुपात से अधिक है । लेकिन यह ठीक नहीं है । हमारे रक्षा बजट में

जिस अनुपात से व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है । यह बहुत ही थोड़ी रकम है । ब... अधिक व्यवस्था होनी चाहिए थी । देश की सुरक्षा के लिए आपसी एकता और संगठन अ... आवश्यक है । हम एक होकर ही देश की रक्षा कर सकते हैं । कोई भी नियमित सेनाओं से ही दे... रक्षा नहीं कर सकता । इसके लिए जनता का समर्थन जरूरी है । हर व्यक्ति को देश की... करने के तरीके का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । देश में राष्ट्रीय केडिट ... सैनिक स्कूल जैसी कुछ योजनाएं हैं । हमारी सशस्त्र सेनाओं की मौजूदा श... को और अधिक मजबूत बनाने के भी ये साधन हैं । पर आज भी कई राज्य हैं जहां सैनिक स्कूल नहीं हैं । वहां प्रशिक्षण संस्थायें भी नहीं हैं । इस प्रकार के स्कूलों और राष्ट्र... केडिट कोर को प्रोत्साहन देने तथा प्रशिक्षण व्यवस्था करने से अधिक से अधिक युवकों को प्रशि... मिलेगा और वे सेना के लिए सहायक सिद्ध होंगे । अतः सैनिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जा... चाहिए ।

हमारे सैनिकों की कई जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता । हमारी सेना के लगभग 4 ला... जवान पहाड़ों पर तैनात हैं । उनकी हालत सुधारने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए ता... उनकी लड़ने की इच्छा शक्ति को मजबूत किया जा सके । इच्छा शक्ति के बिना सुपर लड़ाकू विम... टैंक आदि काम नहीं कर सकते । सशस्त्र सेनाओं के लिए कल्याणकारी अपनाना बहुत जरूरी ... मुझे आशा है कि जो कुछ और जब भी आवश्यक समझा जायेगा । उनके कल्याण के लिए कि... जायेगा ।

रक्षा संगठन की कई शाखायें इस समय पिछड़े समुदायों के लोगों को सेना में भर्ती कर र... हैं । इनके लिए कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित होते हैं । इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहि... कि वे सुरक्षित स्थान उन्हीं लोगों की भर्ती से भरे जायें जिन के लिए वे सुरक्षित हैं ।

राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम यह देखना जरूरी है कि किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये । मुझे इस बात का अनुभव है कि अन्तराष्ट्रीय सीमा पर जवानों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इन सीमाओं पर रहने वाले लोगों को भी बहुत कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं । अतः इन क्षेत्रों का पता लगाकर वहां सड़कों के निर्माण के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए । इससे बाह्य आक्रमण के विरुद्ध देश की सुरक्षा और अच्छी तरह सुनिश्चित हो सकेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमारी सशस्त्र सेनाओं ने हाल ही में पटना तथा अन्य स्थानों पर दैवी विपत्तियों के दौरान आश्चर्यजनक कार्य किया । इससे वे असैनिक जनता के निकट सम्पर्क में आये और पटना तथा अन्य स्थानों पर प्रत्येक नागरिक उनकी भूरिभूरि प्रशंसा कर रहा है आशा है कि भविष्य में भी सेना से इसी प्रकार का कार्य लिया जायेगा और उसका लोकप्रिय आन्दोलनों को दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।

कहा गया है कि पाकिस्तान ने सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य आयुद्ध कारखाने स्थापित कर लिये हैं । हमें पाकिस्तान की क्षमता का अधि-अनुमान नहीं करना चाहिए । यह भी नहीं समझना चाहिए कि उसकी शक्ति कम है । पर वह आयातित मशीनों और हथियारों से युद्ध नहीं लड़ सकता । हमें परम्परागत तथा आधुनिकतम हथियारों के मामले में आत्म निर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए और इसी पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ।

हमारे आयुध कारखानों ने 1974-75 में अपने लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है । यह की बात है । इन आयुध कारखानों के कर्मचारी हमारी सशस्त्र सेनाओं की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने 1962, 1965 और 1971 में युद्धों के दौरान एक जुट होकर कार्य किया और जितने उत्पादन की जरूरत थी उससे भी अधिक उत्पादन किया। यह भी हमारी विजय का एक कारण था। पर फिर भी विभिन्न रक्षा परियोजनाओं में तालमेल बिठाने की आवश्यकता है ।

आयुध कारखानों के कर्मकार 50 प्रतिशत लाभ के निर्वधन का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे सरकार को ही फायदा है । इसका निराकरण होना चाहिए अन्यथा उत्पादन गिर जायेगा और कमी का बोलबाला हो जायेगा। दूसरी बात कुछ वर्गों के कर्मचारियों के वेतन मानों के बारे में है। वेतन आयोग की रिपोर्ट को आये 28 मास बीत चुके हैं पर पर्यवेक्षकों तथा कुछ अन्य सम्बद्ध कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित नहीं किए हैं। इन मामलों पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए ।

रक्षा उत्पादन बोर्ड में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए। इससे रक्षा उत्पादन बढ़ेगा।

ए० ओ० सी० के अधीन कार्य करने वाले क्लर्कों, अर्द्धकुशल तथा अकुशल कर्मकारों के लिए पदोन्नति के कोई मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। वहां एक अकुशल कार्मकार 25 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी अकुशल कार्मकार के रूप में सेवानिवृत्त होता है । इनके लिए पदोन्नति की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्गीकरण न्यायाधिकरण के अध्यक्ष ने अपना पद सम्भाल लिया है पर उसकी अभी कोई बैठक नहीं हुई है। यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्गीकरण शीघ्र अपना कार्य आरम्भ कर दें।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में लगभग 4000 कर्मचारी काम करते हैं। मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि इस कम्पनी में काम की कमी न हो।

औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारियों के बीच के भेदभाव को समाप्त किया जाना चहिए। सैनिकीकरण की योजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए । वर्तमान सैनिक कर्मचारियों की कीमत पर एम० ई० एस० में सैनिकीकरण नहीं किया जाना चाहिए। रक्षा प्रतिष्ठानों की कानटीनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को पूर्णतः सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए तथा उन्हें सभी प्रकार के लाभ दिये जाने चाहिएं ।

रक्षा (रक्षा उत्पादन) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल गाडगिल) : रक्षा उत्पादन की कार्यकुशलता का अनुमान लगाने से पूर्व मूल और आधारभूत बातों पर ध्यान देना जरूरी है। आज प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है। इसलिए रक्षा उत्पादन के सामने कई कठिनाइयां या समस्याएं आ जाती हैं। जिस चीज का हम आज डिजाइन तैयार करते हैं वही चीज उसका उत्पादन शुरू होने तक पुरानी पड़ जाती है, हमें अपनी रक्षा उत्पादन नीति का निरूपण देश की अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रख कर करना होता है। फिर इसे सामान्य औद्योगिक वातावरण के अनुकूल ढालना होता है। रक्षा उत्पादन की एक समस्या मांग में अनायास घट-बढ़ की भी है।

अतः रक्षा उत्पादन सम्बन्धी नीति का अन्तरराष्ट्रीय और राजनीतिक परिस्थितियों को कर काफी पहले निरूपण करना पड़ता है।

रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कई आयुध करखाने तथा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स आदि जैसे 9 रक्षा उपक्रम कार्य कर रहे हैं। गार्डन रीच तथा प्रागटूल्स के अलावा ये सभी वर्षों से लाभ कमा रहे हैं। पर इस वर्ष इन दोनों में अधिक उत्पादन हुआ और वे कुछ मुनाफा भी कमा सकते हैं।

जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है हमने आयुध कारखानों में छोटे हथियार बनाने के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करली है। मध्यम आकार के हथियार और गोलाबारूद के उत्पादन में, जो अब परम्परागत हिथियारों का स्थान ले रहे हैं, आत्म निर्भरता प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम बराबर हथियारों का आधुनिकीकरण करने, उनका डिजाइन बदलने और रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अनुसंधान और विकास कार्य तेजी से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई नई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और इसमें प्रगति हो रही है। सामान्य उपकरण (जनरल स्टोर) देश में ही बनाने के प्रयास बराबर जारी हैं और काफी देश में ही बनने लगे हैं।

हम आयुध कारखानों की प्रबन्ध व्यवस्था में भी आधुनिक तरीके लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। 19 आयुध कारखानों में संगणात्मक सामग्री आयोजन लागू किया जा चुका है। इससे प्रबन्ध और उत्पादन में अधिकाधिक कार्यकुशलता आयेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने लागत के बारे में उल्लेख किया। इस सम्बन्ध में हमने एक समिति बनाई है जो वर्तमान लागत लेखा और वित्त तथा प्रबन्ध के बीच सम्बन्ध की सतत परीक्षा करती है। आयुध कारखानों की समग्र उत्पादन योजना का किस प्रकार से पुनर्गठन किया जाय, इस बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है। हम स्थिति के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। उत्पादन में आधुनिक तरीके इस्तेमाल में लाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। जबलपुर कारखाने में शक्तिमान, निशान और निशान पेट्रोल वाहन तैयार हो रहे हैं। इनके 82% पुर्जे देशी हैं। यहां बसें भी बनाई जा रही हैं जिनका दिल्ली परिवहन निगम भी उपयोग कर रहा है। इद वाहनों की आरंभिक रिपोर्ट संतोषजनक है। रक्षा उत्पादन की 15 प्रतिशत क्षमता असैनिकपूर्ति के लिए इस्तेमाल हो रही है।

जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा रक्षा उत्पादन उपक्रमों के उत्पादन में पिछले दशक में आठगुना वृद्धि हुई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

प्राग टूल्स एवं गार्डन रीच में हुए घाटे को ध्यान में रखते हुए भी, वर्ष 1974-75 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने लाभ के रूप में सरकारी खजाने को 22.88 करोड़ रुपए दिये हैं और उम्मीद है वर्ष 1975-76 में लाभ की यह रकम बढ़कर 25 करोड़ रुपए तक पहुंच जायेगी।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स में कास्टिंग्ज, फोरजिक्स, धातुक तथा अधातुक कच्ची सामग्री केबल्स आदि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के रक्षा सम्बन्धी एक उपक्रम

में पिक्चर ट्यूबों का निर्माण होता है जो टेलीविजन के काम आती हैं। यह मुख्यतः तभी संभव हुआ जब सरकारी क्षेत्र के रक्षा सम्बन्धी उपक्रमों ने अनुसंधान तथा देशीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ किए। मजगांव गोदी को कठिन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद लगभग 40 करोड़ रुपए के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार भारत इलैक्ट्रोनिक्स को 25 करोड़ रुपए का एक क्रयादेश प्राप्त हुआ है। यहां तक कि गार्डन रीच को भी 2.75 करोड़ रुपए का एक क्रयादेश मिला है। अतएव सामान्यतः प्रगति पूर्णतः सन्तोषजनक रही है और हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल है।

जहां तक रक्षा सम्बन्धी आपूर्तियों का सम्बन्ध है, हमारी नीति यह रही है कि औद्योगिक नीति संकल्प के ढांचे में गैर-सरकारी क्षेत्र से मदद ली जाए। देश में छोटे-छोटे उद्यमियों में पर्याप्त प्रतिभा है। पूर्ण स्थित फोरम आफ इन्डस्ट्रिअल टैक्नोलजिस्ट्स रक्षा उत्पादन में सहायता देने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हमारे लिए यह उचित भी है कि हम ऐसे छोटे युवा उद्यमियों की सहायता लें। वास्तव में रक्षा आपूर्ति विभाग कुछ क्रयादेश गैर-सरकारी क्षेत्र को देता है। इस विचार से कि उत्पादन का यथा संभव अधिकतम देशीकरण किया जाए, हम एसोशियेशन आफ इंडियन इंजीनियर्स से भी निकट सम्पर्क बनाये रखते हैं।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के बारे में भी प्रश्न उठाया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योगों में कर्मकारों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है। ऐसी बात नहीं है कि यह योजना हमने केवल एच० ए० एल० में ही शुरु की है। आयुध कारखानें के महानिदेशक सभी कारखानों को निदेश जारी किए हैं कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के निदेशानुसार क्रियान्वित किया जाए और इन निदेशों के अनुसरण में कुछ कारखानों में संयुक्त परिषदें स्थापित हो चुकी हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा कि सभी आयुध कारखानों में यह कार्यक्रम अर्थात् उद्योग में कर्मकारों को प्रतिनिधित्व देने के कार्यक्रम को पूरी तरह क्रियान्वित किया जाए।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने आपात स्थिति के प्रारम्भ से लेकर अब तक 2274 प्रशिक्षु भर्ती किये हैं जिनमें अनुसूचित जातियों के 442, अनुसूचित जनजातियों के 18, विकलांग 2, अल्प संख्यक 720, स्त्रिया 44-शेष अन्य लोग हैं।

एच० ए० एल० कानपुर के बारे में भी बात उठाई गई है। वहां पहले ही एक विभागीय समिति है जिसे, इस बात पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया है कि एच० ए० एल० के कानपुर डिवीजन का अधिक से अधिक काम कैसे दिया जाए, काम में वृद्धि करने में प्रयोजन से वसन्त कृषि विमान का निर्माण कार्य भी इसी डिवीजन को सौंपा गया है। और इस समय काम की प्रगति अच्छी है।

जहां तक वर्गीकरण समिति का सम्बन्ध है, उसकी नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश श्री के० सी० पुरी को नवम्बर, 1975 में इस समिति का कार्यभार सौंपा जा चुका है। हाल ही में श्री कोहली को इस समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। प्रारम्भिक कार्य चल रहा है और समिति की बैठक शीघ्र होगी।

पर्यवेक्षकों के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है और यह तर्क दिया गया है कि रेलवे में इसी तरह का कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष वेतन दिया जाता है जबकि उन्हें नहीं दिया जाता । मैं उनकी इस बात से सहमत हूं । किन्तु इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने में अभी दो महीने का समय लगेगा, प्रबन्धकों तथा उप प्रबन्धकों का मामला भी इसी तरह का है ।

फुटकर कार्य के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि इस कार्य का हिसाब लगाने के दो तरीके है । पहला, सम्बन्धित वेतन मान के साधन के आधार पर और दूसरा, न्यूनतम के आधार पर । सरकार ने यह निर्णय किया कि साधन का आधार स्वीकार किया जाए किन्तु इस शर्त के साथ कि फुटकर कार्य लाभ की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न हो । यह सच है कि कुछ मामलों में फुटकर दरों की इस समस्या के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं । इस प्रयोजन के लिए आवश्यक जानकारी एवं आंकड़े एकत्रित करने के पश्चात् ही इस मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा ।

जहां तक आयुध कारखाने और अनुसंधान तथा विकास के बीच समन्वय का सम्बन्ध है, उनमें समन्वय स्थापित करने का निरन्तर प्रयास किया जाता है और इन दोनों के बीच सतत समन्वय भी है । और अधिक समन्वय स्थापित करने के लिए अब हमने एक विशेष अधिकारी मनोनीत किया है । इसी प्रकार हमने विभिन्न आयुध कारखानों में अनुसंधान तथा विकास प्रभाग खोलने का निर्णय किया है ।

माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने निरीक्षण के बारे में बात उठाई है । जो माल हमारी आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा । अधिष्ठापित किस्म नियंत्रण संगठन के साथ प्रसिद्ध फर्मों के मामले में कभी-कभी निरीक्षण में कमी कर दी जाती है । किन्तु अन्तिम रूप में वस्तु तभी स्वीकार की जाती है जब कि वह अपेक्षित विशिष्टियों के अनुरूप हो । यह कहना सही नहीं है कि इस मामले में कुछ ढील ढ़ाल बरती जाती है ।

रक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में हमारे कर्मचारियों का विशेषतः युवा इंजीनियरों का विशेष सराहनीय कार्य रहा है ।

[इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार 6 अप्रैल, 1976/17 चैत्र, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।]

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, April 6, 1976/Chaitra 17, 1898 (Saka)]

म० प्र० भा० स० मु० न० दि० एल०एस० 3—1017—एल०एस०—1-9-76—200

P. L. S. 48.LIX.20.76(N)
200

© 1976 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा, सचिवालय को प्राप्त ।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां सं
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक,
सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

© 1976 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of
Sabha (Fifth Edition) and Printed by the General Manager, Governme
Press, Minto Road, New Delhi.